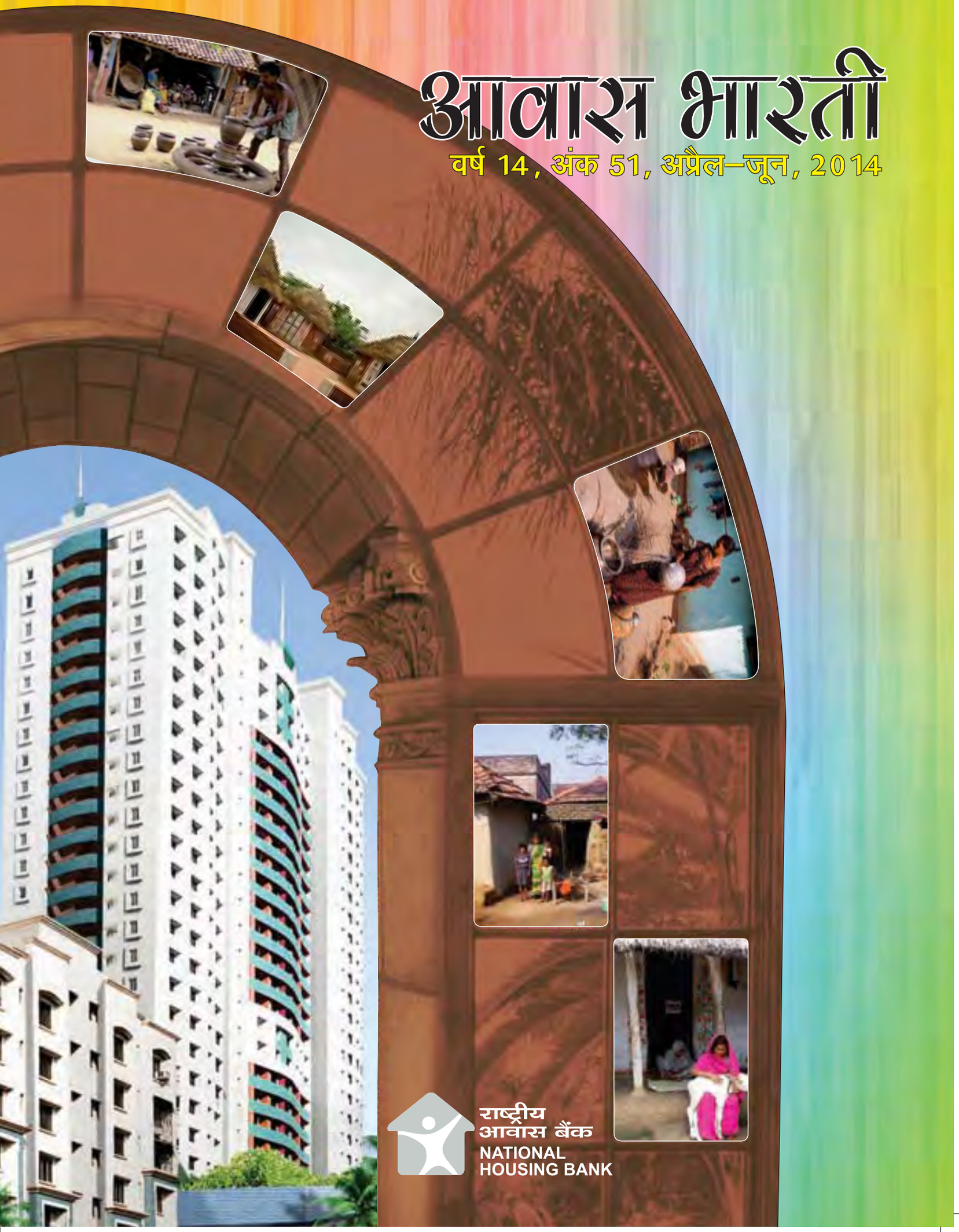

आवास भारती

वर्ष 14, अंक 51, अप्रैल–जून, 2014

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

आप की पाती

महोदय,

गृह पत्रिका ''आवास भारती'' का 50वां अंक सधन्यवाद दिनांक 9 जून, 2014 को प्राप्त हुआ जिसे भेजने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। प्रेषित अंक में जीवन से संबंधित विभिन्न मूलभूत विषयों पर दी गई जानकारी न केवल रोचक एवं महत्वपूर्ण हैं बल्कि ज्ञानवर्धक भी है। साथ ही अन्य लेख, कहानी तथा कविताओं का समावेश भी पठनीय है। भूमण्डलीकरण के इस दौर में हिंदी को निश्चित ही आप सभी के इन सराहनीय प्रयासों से सहायता मिलेगी ऐसी हमारी शुभकामना है। आशा करता हूं कि भविष्य में निरंतर राष्ट्रीय आवास बैंक की प्रकाशित सामग्रियां हमें प्राप्त होते रहेंगे।

भवदीय,
(कमल चौधरी)
मुख्य महाप्रबंधक
पीएफआर एण्ड डीए
प्रथम तल, आईसीएडीआर बिल्डिंग,
प्लाट नं06, वंसत कुंज, नई दिल्ली–110070

महोदय,
राष्ट्रीय आवास बैंक की गृह पत्रिका का जनवरी–मार्च, 2014 अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद। पत्रिका के इस अंक में आवास, वित्त, बैंकिंग, प्रबंधन, विकास, विनिमय, भाषा, व्यंग्य, स्वास्थ्य एवं सामाजिक चेतना आदि जैसे विषयों के लेखों का संकलन सराहनीय है साथ ही समसमायिक राजनैतिक व सामाजिक मूल्यों पर लेख एवं कहानी तथा कविताओं से इस अंक को संग्रहणीय बना दिया है। पत्रिका के सफल प्रकाशन हेतु हमारी शुभकामनाएं।

भवदीया,
(विजय पाटनी)
सहायक प्रबंधक (हिंदी)
दि हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
भारत सरकार का उपक्रम (वस्त्र मंत्रालय)

महोदय,

आपके पत्र सं0राआबैं/ईपीडी.राजभा.आभा./01/6776/2014/नदि दिनांक 21.05.2014 के साथ राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिका ''आवास भारती'' का नवीनतम त्रैमासिक अंक 50 - जनवरी-मार्च, 2014 की एक प्रति सधन्यवाद प्राप्त हुई।

पत्रिका में चयनित सामग्री का प्रकाशन कर आपने अंक को सचमुच सुंदर बनाया है। पत्रिका पूर्ण रूप से राजभाषा हिंदी को समर्पित हे। पत्रिका में निहित समस्त सामग्री रूचिकर, शिक्षाप्रद व ज्ञानवर्धक है। पत्रिका के कलात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए सम्पादन मंडल को हार्दिक बधाई। यह प्रसन्नता की बात है कि आपके द्वारा कर्मचारियों की रूचि का ख्याल रखा जाता है। पत्रिका में प्रकाशित सामग्री के बीच में छायाचित्रों ने इसे जानदार बनाया है। आशा है कि भविष्य में भी आपकी पत्रिका नियतमित रूप से प्राप्त होती रहेगी। पत्रिका के प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय,
(राकेश कुमार सुन्दरियाल)
हिंदी अधिकारी,
सैन्ट्रल कॉटेज इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

महोदय,

हमें आपके कार्यालय से प्रेषित गृह पत्रिका आवास भारती का जनवरी–मार्च, २०१४ का ५०वां अंक प्राप्त हुआ। धन्यवाद। आवास भारती पत्रिका का ५०वां अंक वास्तव में ही नये कलेवर एवं मोहक साज सज्जा के साथ अति सुन्दर बन पाया हें आशा है कि आगामी अंक भी इसी तरह प्रकाशित करते रहेंगे। पत्रिका में प्रकाशित संदेश बहुत ही प्रेरक हैं और पत्रिका में प्रकाशित विभिन्न लेख, व्यंग्य, कहानी एवं कविता इत्यादि स्तरीय एवं सारगर्भित हैं। इसके अतिरिक्त अन्य गतिविधियों/कार्यक्रमों से संबंधित सचित्र जानकारी अत्यंत उपयोगी एवं स्तरीय है। पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई।

भवदीय,
(डा0 आई.के. शर्मा)
मुख्य प्रबंधक – राजभाषा
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
मुम्बई – ४०००२१

संपादकीय

आप जानते हैं, देश में सम्पन्न लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान एक बात यह पूर्णतः स्पष्ट हुई कि हिंदी पूरे भारत के लिए सर्वग्राहय भाषा है। वर्तमान सत्ता धारी दल ने अपना सारा अभियान हिंदी में चलाया, यहां तक कि अहिंदी भाषी राज्यों में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्री मोदी जी ने अपने भाषण केवल हिंदी में दिए और उन्हें सुनने के लिए लाखों–लाख लोग एकत्र हुए। यहां तक कि दक्षिण भारत के राज्यों में तो लाखों लोग हिंदी में भाषा सुनने के लिए दस रूपये प्रवेश शुल्क देकर आए। ऐसा पहली बार हुआ और इससे यह भी साबित हुआ कि यदि वक्ता प्रखर है और अपनी बात को प्रस्तुत करने की शैली रोचक है और जन–जन की भाषा हिंदी में बोला जा रहा है तो फिर हिंदी सर्वग्राही एवं सर्व समावेशी बन ही जाती है।

हम सब हिंदी भाषियों को गर्व होना चाहिए कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी मूलतः गुजराती भाषी है; परंतु वे हिंदी के प्रबल पक्षधर हैं तथा हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी एवं अंग्रेजी के अच्छे जानकार हैं तथा इन सभी भाषाओं के प्रखर एवं ओजस्वी वक्ता भी हैं। आपका गठबंधन भी हिंदी का प्रबल पक्षधर है। आपने सत्ता संभालते ही यह मौखिक आदेश दिए हैं कि कार्यालयों का ज्यादा से ज्यादा कार्य हिंदी में हो। मई माह में गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग का एक परिपत्र जारी हुआ, जिसमें सरकार की ओर से कहा गया कि सरकारी कार्यालयों एवं सोशल मीडिया तथा फेसबुक एवं ट्विटर में हिंदी को प्राथमिकता दी जाए।

हालांकि इस पर अहिंदी भाषी कई राज्यों ने काफी हो–हल्ला मचाया, वे सभी भूल गए कि उन्होंने स्वयं अपने राज्यों में चुनाव के दौरान हिंदी भाषी बहुत इलाके में हिंदी में पोस्टर लगवाएं थे। आज दक्षिण के सभी राज्यों में बहुत सारे हिंदी ट्युशन सेंटर चलते हैं क्योंकि वहां के युवाओं और उनके अभिभावकों को यह समझ में आने लगा है कि केवल स्थानीय भाषा एवं अंग्रेजी के भरोसे काम नहीं चलेगा। हिंदी राष्ट्रव्यापी भाषा है इसे सीखना ही होगा।

अहिंदी भाषी प्रदेशों अर्थात् मराठी एवं तमिल भाषी या फिर बंगाली एवं तमिल या तेलगू भाषी श्रमिक वर्ग या आटो या टैक्सी ड्राइवर अंग्रेजी की बजाय हिंदी में संवाद करते हैं। मन में प्रश्न उठता है कि जब यह कम पढ़े–लिखे लोग हिंदी को जाने–अनजाने अपनाकर संवाद कर रहे हैं तब हम सभी पढ़–लिखे लोग हिंदी का सहजता से क्यों नहीं अपना सकते प्रश्न उठता है कहीं सच में हम अभी भी अंग्रेजी मानसिकता के गुलाम तो नहीं। हम जानबूझकर इस अंग्रेजी मोहपाश को छोड़ना नहीं चाहते। क्या हिंदी विरोध प्रायोजित है, कहीं इस विरोध को वे बाहरी शक्तियां हवा तो नहीं दे रहीं, जिन्हें अपने अंग्रेजी बेस्ड कंप्यूटर, साफ्टवेयर आदि बेचने हैं ताकि भारत कभी भी इस जकड़न से मुक्ति न पा सके। कहीं हम कंप्यूटरों के माध्यम से पुनः अंग्रेजी के मोहपाश के शिकार तो नहीं हो रहे। इस दिशा में हम सबको तुरंत सोचना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि बहुत देर हो जाए और फिर सदियों तक अंग्रेजी का प्रभुत्व कायम रहे। मैं यह विनतीपूर्वक कहना चाहता हूं कि हमें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को भी बचाना चाहिए। अधिक पढ़े–लिखे लोग अपने घरों में अपनी मातृभाषा का प्रयोग नहीं करते। लोग अपनी भाषा बोलना छोड़ रहे हैं। अतः क्षेत्रीय भाषा को कैसे मदद मिलें यह भी सोचनीय विषय है। उनमें जान डालने की दीर्घकालिन योजनाएं नहीं बनी तो क्षेत्रीय भाषाएं 50–60 साल बाद जिंदा रहेगी इसकी गारंटी नहीं है।

हिंदी का क्षेत्र व्यापक है। भारत के प्रत्येक राज्य में बोली और समझी जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी स्वतंत्रता संग्राम की भाषा थी। भारत ने अंग्रेजों से लड़ाई हिंदी भाषा में ही की थी। हिंदी की बदौलत ही हमें आजादी मिली। राजभाषा हिंदी का विकास संविधान निर्माताओं का स्वप्न था। सेठ गोविंद दास ने संसद में हिंदी की पैरोकारी की, कहा कि हजारो वर्षों से यह हमारी संस्कृति का प्रतीक रही है। सबको गर्व होना चाहिए कि हम हिंदी राष्ट्र से हैं। हमें निर्भिक होकर हिंदी के प्रसार के संवैधानिक कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अंग्रेजी को गुडबाय करने से पूर्व हमें पूरी तरह से अपनी राजभाषा को अपनाना होगा। हम प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। जय हिंदी, जय भारत।

डॉ0 जी.एन. सोमदेवे
सहायक महाप्रबंधक एवं
संपादक आवास भारती
मो0 09560900451

आवास भारती

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका
(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)
पंजी. संख्या, दिल्ली इन/2001/6138

वर्ष 14, अंक 51, अप्रैल–जून, 2014

विषय सूची

विषय	पृष्ठ सं.

प्रधान संरक्षक
मो. मुस्तफा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

संरक्षक
अर्णव रॉय
कार्यपालक निदेशक

संपादक
डॉ. जी.एन. सोमदेवे
सहायक महाप्रबंधक

सहायक संपादक
डॉ. अमर सिंह सचान
राजभाषा अधिकारी

संपादक मंडल

एस.के. पाढ़ी, सहायक महाप्रबंधक
रंजन कुमार बरून, सहायक महाप्रबंधक
मोहित कौल, क्षेत्रीय प्रबंधक
पंकज चड्ढा, प्रबंधक
रवि कुमार सिंह, प्रबंधक
संजीव कुमार सिंह, उप प्रबंधक
सुश्री स्तुति रूचा, उप प्रबंधक
अड्डा लीला विजयकृष्ण, सहायक प्रबंधक

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

(भारतीय रिजर्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व में)

कोर–5 ए, 3–5 तल,
इंडिया हैबिटेट सेंटर
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं।
संपादक या बैंक का इनके लिए ज़िम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

राष्ट्रीय आवास बैंक परिवार समाचार

1. नैल्लोर, आंध्र प्रदेश में 21-22 अप्रैल, 2014 को ग्रामीण आवास वित पर प्रशिक्षण

राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा ग्रामीण आवास वित विषय पर आंध्र प्रदेश के नैल्लोर जनपद में दिनांक 21 एवं 22 अप्रैल, 2014 को एक दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

दिनांक 21 अप्रैल, 2014 को प्रातः 9:45 बजे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक के चेयरमैन श्री डी.संपत कुमार चारी के द्वारा किया गया। आपने इस प्रशिक्षण की महत्ता आवश्यकता एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए सभी प्रतिभागियों को संबोधित किया।

इस कार्यक्रम का पहला सत्र इंडियन बैंक एसटीसी, विजयबाडा के पूर्व मुख्यप्रबंधक एवं संकाय सदस्य श्री एन. राम मोहन ने लिया जिसमें आपने आवास वित की व्यापारिक व्यावहार्यताओं एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा ग्रामीण आवास वित के ऋण एवं विपणन पर प्रकाश डाला।

प्रशिक्षण कार्य का दूसरा एवं तीसरा सत्र ग्रामीण आवास ऋणों के आवेदनों पर ऋण मूल्यांकन एवं प्रक्रियात्मकता तथा उसके व्यावहारिक अभ्यास पक्ष पर था, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व डीजीएम एवं संकाय श्री गणेश रामामूर्ति ने दो भागों में प्रस्तुत किया। इस प्रशिक्षण का चौथा एवं आज का आखिरी सत्र भी आपने ही संबोधित किया जिसे आवास ऋणों में धोखा–धडी एवं छलकपट पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। प्रशिक्षण के इस सत्र में कानूनी पहलुओं पर भी संक्षिप्त चर्चा की गई, जिनके तहत कार्रवाइयां की जा सकती हैं।

दिनांक 22 अप्रैल, 2014 का प्रथम एवं इस प्रशिक्षण का पांचवा सत्र आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक के ग्रामीण बैंकिंग प्रशिक्षण के पूर्व निदेशक एवं संकाय श्री जी.वी. भगवान ने संबोधित किया, जिसमें आपने ग्रामीण आवास ऋणों के संवितरण, उसके अनुपालन एवं वसूली के बारे में बताया।

इस प्रशिक्षण का छठवां सत्र हैदराबाद भारतीय स्टेट बैंक के स्टाफ कालेज के पूर्व सहायक महाप्रबंधक एवं संकाय सदस्य श्री एल. राजन ने लिया, जिसमें आपने ग्रामीण आवास ऋणों के परिप्रेक्ष्य में कानूनी पहलुओं के साथ आवास ऋणों के दस्तावेजों के प्रलेखन के महत्व पर प्रकाश डाला तथा अभ्यास कराते हुए उसे व्यावहारिक पक्ष को भी समझाया। प्रशिक्षण का सातवां सत्र भी श्री एल. राजन ने ही लिया, जिसमें आपने ग्रामीण आवास ऋणों के तकनीकी पक्षों, तकनीकी एवं कानूनी मूल्यांकन और कार्रवाई के बारे में बताया तथा रोल प्ले के द्वारा चरितार्थ करते हुए व्यावहारिक पहलू को भी उजागर किया।

इस प्रशिक्षण का आठवां सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के हैदराबाद प्रतिनिधि कार्यालय में नियुक्त उप प्रबंधक श्री आर. किरण कुमार ने लिया जिसके प्रथम भाग में आपने निम्न आया आवास ऋण हेतु जोखिम निधि गारंटी न्यास (सीआरजीएफटीएलआईएच) के बारे में प्रकाश डाला। इसके द्वितीय भाग में आपने प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केन्द्रीय रजिस्ट्री (सरसाई) के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई।

इस प्रशिक्षण का नौंवां एवं अंतिम सत्र, राष्ट्रीय आवास बैंक के मुख्यालय से पधारे सहायक महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार ने संबोधित किया जिसमें आपने राष्ट्रीय आवास बैंक की ओर से ग्रामीण आवास वित की योजनाओं एवं पहलों के बारे में बताते हुए ग्रामीण आवास के परिदृश्य पर प्रकाश डाला तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं पर जानकारी उपलब्ध कराई। प्रशिक्षण के अंत में प्रशिक्षण की महत्ता का मूल्यांकन एवं फीडबैक के साथ समापन किया गया।

2. लखनऊ (उ0प्र0) में 8 से 10 मई, 2014 तक आवास वित्त कंपनियों के लिए विनियमन अवसंरचना पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

देश की सर्वाधिक जनसंख्या एवं विशाल आकार वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिनांक 8 से 10 मई, 2014 तक एक तीन

दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण में आवास वित्त कंपनियों के लिए विनियमन अवसंरचना (ढांचे) के बारे में जानकारी प्रदान की गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय आवास बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री आर.एस. गर्ग के द्वारा किया गया जिसमें आपने आवास वित्त कंपनियों तथा उनके विनियमन

ढांचे एवं विनियामकता के बारे में एक रूपरेखा प्रस्तुत की।

इस प्रशिक्षण के प्रथम दिवस का प्रथम सत्र भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री एम.एन. सिंह ने लिया जिसमें आपने वित्तीय क्षेत्र के विनियामक एवं विनियमन पर एक विहंगावलोकन पेश किया। प्रशिक्षण का दूसरा सत्र रा.आ.बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री आर.एस. गर्ग के द्वारा संबोधित किया गया जिसमें विनियमन एवं पर्यवेक्षण भाग–। के तहत अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर प्रकाश डाला। प्रशिक्षण का तीसरा सत्र विनियमन एवं प्रशिक्षण के भाग–2 पर था, जिसमें निर्देशों एवं दिशा–निर्देशों की जानकारी दी गई। इस सत्र के रा.आ.बैंक के महाप्रबंधक श्री वी.राजन ने लिया जिसमें विभिन्न आदेश, निर्देशों एवं दिशानिर्देशों के बारे में जानकारी प्रदान की गई।

प्रशिक्षण का चौथा एवं आज का अंतिम सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री अनुज रस्तोगी ने लिया, जिसमें आपने आवास वित्त कंपनियों में होने वाले ग्राहक मामलों (शिकायतें व परिवादों), उचित आचार संहिता, डीएसए, वसूली एजेंटों की भूमिका तथा एमआईटीसी आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई।

दिनांक 9 मई, 2014 का पहला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का पाँचवां सत्र अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) तथा प्राथमिक एवं मध्यम ऋणदाता संस्थानों तथा वित्तीय संस्थानों एवं विनियामक संस्थानों में रिपोर्टिंग के बारे में था, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री डी.सी. सोनी ने संबोधित किया। प्रशिक्षण का छठवां सत्र रा.आ.बैंक के महाप्रबंधक श्री वी. राजन ने लिया, जिसमें आपने जमा विवरणियों डाटा प्रसंस्करण एवं डाटा विश्लेषण के बारे में जानकारी एवं महत्ता के बारे में जानकारी प्रदान की।

आज के कार्यक्रम का सातवां सत्र आवास वित्त कंपनियों पर लागू लेखांकन मानकों (यथा–प्रकटन, मूल्यांकन, आय निर्धारण, डीटीए एवं डीटीएल के उपाय एवं समाधान) पर लिया गया जिसे ''जैन चौपड़ा एडं कंपनी'' के भागीदार श्री अशोक चौपड़ा ने प्रस्तुत किया। आज का आठवां सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री के.एन. कुंभारे के द्वारा लिया गया जिसमें आपने विनियमन एवं पर्यवेक्षण के तहत एनसीडी निदेशों तथा अन्य महत्वपूर्ण नीति परिपत्रों के बारे में परिचर्चा की। आज का अंतिम किंतु कार्यक्रम का नौवां सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक श्री श्याम सुंदर जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें आपने शिकायत एवं परिवाद निवारण तंत्र एवं कार्य प्रक्रिया के बारे में बताया।

दिनांक 10 मई, 2014 को कार्यक्रम का दसवां एवं आज का पहला सत्र राष्ट्रीय आवास के सहायक महाप्रबंधक, श्री एस.एच.पी. रिजवी ने प्रस्तुत किया, जिसमें आपने ऊर्जा कुशल आवास पर एक विहगांवलोकन प्रस्तुत किया तथा इसे आज की बढ़ती आवश्यकता बताया। प्रशिक्षण का अंतिम एवं 11वां सत्र निरीक्षण के बारे में सामान्य दृष्टिपात पर था जिसमें रा.आ.बैंक की टीम के साथ प्रतिभागियों के द्वारा सीधे संवाद स्थापित कर समाधान ढूंढे गए।

3. ग्रामीण आवास वित्त पर मिजोरम ग्रामीण बैंकों हेतु आइजोल, मिजोरम में 19–20 मई, 2014 को दो दिवसीय प्रशिक्षण

मिजोरम की राजधानी आइजोल में दिनांक 19 एवं 20 मई, 2014 को ग्रामीण आवास वित्त पर मिजोरम राज्य के ग्रामीण बैंकों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत कार्यक्रम के उद्घाटन के साथ प्रारंभ हुई, जिसका उद्घाटन मिजोरम ग्रामीण बैंक के चेयर मैन श्री भूपेन डेका ने किया। प्रशिक्षण का पहला सत्र भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व उप महाप्रबंधक एवं संकाय श्री गणेश रामामूर्ति ने लिया, जिसमें आवास वित्त की व्यापारिक उपादेयता तथा क्षेत्रीय ग्रामीण आवास बैंकों द्वारा आवास ऋणों तथा उन के विपणन के बारे में जानकारी प्रदान की। श्री गणेश रामामूर्ति ने ही प्रशिक्षण का दूसरा सत्र भी लिया, जिसमें आपने आवास ऋणों की ऋणदेयता का मूल्यांकन एवं उसके प्रक्रमण (प्रोसेसिंग) के बारे में जानकारी प्रदान की तथा उसका व्यावहारिक अथ्यास की कराया गया। आज का तीसरा और चौथा सत्र स्टेट बैंक

अकादमी, गुड़गांव के सहायक महाप्रबंधक एवं संकाय श्री एन.डी. डुडेजा ने लिये जिसमें आपने पहले भाग में आवास ऋणों के आवेदनों की तकनीकी/मूल्यांकन तथा कार्रवाई के बारे में बताया। इसका रोल प्ले एवं व्यावहारिक अभ्यास का उपयोग भी किया। आपने ही चौथे सत्र में आवास ऋण धोखाधड़ी तथा उनकी रोकथाम एवं बचाव के उपायों पर प्रकाश डाला।

दिनांक 20 मई, 2014 को प्रशिक्षण का पांचवां एवं आज का पहला सत्र आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक के ग्रामीण बैकिंग प्रशिक्षण केन्द्र के पूर्व निदेशक एवं संकाय श्री जी.वी. भगवान ने लिया, जिसमें आपने ग्रामीण आवास ऋणों के संवितरण, अनुपालन एवं वसूली के बारे में जानकारी प्रदान की। आज के दूसरे एवं प्रशिक्षण के छठवे सत्र में स्टेट बैंक अकादमी, गुड़गांव के पूर्व सहायक महाप्रबंधक एवं संकाय श्री एन.डी. डुडेजा ने आवास ऋणों के दस्तावेजों के प्रलेखन के कानूनी पहलुओं सहित सभी पक्षों पर प्रकाश डाला।

इस कार्यक्रम का सातवां एवं आज का तीसरा सत्र श्री गणेश रामामूर्ति, पूर्व उप महाप्रबंधक एवं संकाय, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा लिया गया। जिसमें आवास ऋणों के आवेदक के तकनीकी एवं कानूनी मूल्यांकन सहित कार्रवाई के बारे में जानकारी प्रदान की और इसका भौतिक अभ्यास भी कराया।

प्रशिक्षण का आठवां सत्र रा.आ.बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री एस. चक्रवर्ती के द्वारा लिया गया जिसमें आपने ''निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास'' (सीआरजीएफटीएलआईएच) के बारे में जानकारी दी। आपने ही प्रतिभागियों को सरसाई अर्थात ''प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केन्द्रीय रजिस्ट्री'' के बारे में जानकारी तथा राष्ट्रीय आवास की भूमिका के बारे में बताया। आज का

आखिरी एवं नौवां सत्र रा.आ.बैंक के महाप्रबंधक श्री ए.पी. सक्सेना के द्वारा लिया गया जिसमें आपने ग्रामीण आवास परिदृश्य तथा विभिन्न पहलों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक की योजनाओं एवं प्रयासों पर प्रकाश डाला। सत्र के अंत में सहभागियों को सभी शीर्ष प्रबंधकों ने सामूहिक रूप से प्रशिक्षण की प्रभावशीलता एवं आवश्यकता पर अभिभाषण दिया।

4. अरूणाचल प्रदेश के ग्रामीण बैंकों हेतु 23-24 मई, 2014 को ग्रामीण आवास वित्त पर प्रशिक्षण

दिनांक 23 एवं 24 मई, 2014 को अरूणाचल प्रदेश के नाहरलगुन कस्बे में ग्रामीण आवास वित्त विषय पर ग्रामीण बैंकों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य अरूणाचल प्रदेश के ग्रामीण बैंकों के लिए ग्रामीण आवास वित्त के बारे में ज्ञानवर्धन एवं बेहतर निष्पादकता सिखाना था। इस कार्यक्रम का उद्घाटन अरूणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के चेयरमैन श्री एस.आर. बनर्जी ने किया और प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं महत्ता पर प्रकाश डाला।

दिनांक 23 मई, 2014 को प्रशिक्षण का पहला सत्र स्टाफ कालेज, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व उपमहाप्रबंधक एवं संकाय श्री गणेश रामामूर्ति ने संबोधित किया। जिसमें आपने आवास वित्त की व्यापारिक व्यावहार्यता, उपयोगिता तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के द्वारा आवास ऋणों के विपणन पर प्रकाश डाला। चाय अवकाश के बाद प्रशिक्षण का दूसरा सत्र भी श्री गणेश रामामूर्ति के द्वारा ही लिया गया, जिसमें आपने आवास ऋणों, आवेदनों की ऋण क्षमता (साख) मूल्यांकन एवं उसकी प्रक्रियात्मकता के बारे में जानकारी प्रदान की।

आज का तीसरा सत्र स्टेट बैंक अकादमी, गुड़गांव के सहायक महाप्रबंधक एवं संकाय श्री एन.डी. डुडेजा ने लिया जिसमें आपने इससे पूर्व सत्र के विषय को आगे बढ़ाते हुए ऋण आवेदनों के तकनीकी एवं कानूनी मूल्यांकन एवं पहलुओं के बारे में बताया और इसके लिए रोल प्ले एवं व्यावहारिक अभ्यास का सहारा लिया। आज का अंतिम एवं चौथा सत्र आवास ऋणों पर धोखा धड़ी के बारे में था जिसे श्री एन.डी. डुडेजा ने ही प्रस्तुत किया। आपने आवास ऋणों की धोखा धड़ी एवं उनके बचाव के पक्षों पर प्रकाश डाला।

आज दिनांक 24 मई, 2014 का पहला एवं प्रशिक्षण का पाचवां सत्र आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक के ग्रामीण बैंकिंग प्रशिक्षण के पूर्व निदेशक एवं संकाय श्री जी.वी. भगवान ने संबोधित किया, जिसमें आपने ग्रामीण आवास ऋणों के संवितरण, अनुपालन एवं वसूली के बारे में बताया। प्रशिक्षण का छठवां सत्र स्टेट बैंक अकादमी, गुडगांव के सहायक महाप्रबंधक एवं संकाय श्री एन.डी. डुडेजा ने लिया। इस दौरान आपने आवास ऋण के कानूनी पहलुओं सहित आवास ऋण हेतु दस्तावेजों के प्रलेखन पर न केवल चर्चा की, बल्कि इसका व्यावहारिक अभ्यास भी कराया गया।

आज का तीसरा किंतु कार्यक्रम का सातवां सत्र एक बार पुनः श्री गणेश रामामूर्ति, पूर्व उप महाप्रबंधक एवं संकाय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लिया और आपने आवास ऋण आवेदनों के तकनीकी एवं कानूनी मूल्यांकन पक्ष के साथ–साथ कार्यवाही के पक्ष को पेश किया और साथ ही व्यावहारिक अभ्यास भी कराया। आज का चौथा एवं कार्यक्रम का आठवां सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक श्री नीलाद्रि बोस ने लिया जिसमें आपने "निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास" (सीआरजीएफटीएलआईएच) के बारे में बताया। आपने इसी सत्र में सरसाई अर्थात् "प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति स्वत्व की केन्द्रीय रजिस्ट्री" के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई तथा यह भी बताया कि ये दोनों सांस्थानिक योजनाएं क्यों जरूरी एवं महत्वपूर्ण हैं।

इसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का नौवां सत्र ग्रामीण आवास परिदृश्य तथा सरकार की पहल एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक की विभिन्न योजनाओं एवं पहलों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस सत्र को राष्ट्रीय आवास बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार ने प्रस्तुत किया। प्रशिक्षण के अंत में प्रशिक्षण की प्रभावशीलता एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों हेतु उसकी महत्ता पर शीर्ष प्रबंधन के द्वारा प्रकाश डाला गया।

5. कर्नाटक, मैसूर में 05 - 06 जून, 2014 को केवाईसी-एफपीसी एवं ग्राहक सेवा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

कर्नाटक राज्य के मैसूर जनपद में दिनांक 05 एवं 06 जून, 2014 को केवाईसीएफपीसी एवं ग्राहक सेवा पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बैंकों एवं आवास वित्त कंपनियों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। प्रशिक्षण का प्रारंभ प्रतिभागियों के परिचय के साथ हुआ।

05 जून, 2014 के इस प्रशिक्षण का पहला सत्र भारतीय रिजर्व

बैंक के विधि अधिकारी श्री ए. अभिलाष ने लिया जिसमें आपने मनीलॉड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 तथा एंटी मनीलॉड्रिंग से बचाव के उपाय आदि पर प्रकाश डाला। इस प्रशिक्षण का दूसरा सत्र भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व उप महाप्रबंधक एवं संकाय श्री गणेश रामामूर्ति ने लिया जिसमें आपने ग्राहक सेवाएं एवं कारोबार के सुधारने इन की महत्ता भाग–। पर प्रकाश डाला। आपने ही इसी विषय के भाग–।। पर प्रकाश का तीसरा सत्र भी लिया, जिसमें ग्राहकों के साथ व्यापार बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई। आज के प्रशिक्षण का अगला और चौथा एवं पांचवां सत्र मशहूर अधिवक्ता श्री पाला रामास्वामी ने लिया जिसमें आपने दो भागों में बंधक (मार्टगेज) एवं धोखाधड़ी प्रबंधन के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला एवं उसके विधिक पक्षों के बारे में भी जानकारी प्रदान की।

अगले दिन दिनांक 06 जून,2014 को दिन का पहला एवं प्रशिक्षण का 6वां सत्र प्रारंभ हुआ जिसे एफआईयू–आईएनडी के उप निदेशक श्री ए.रमेश ने लिया, जिसमें आपने एफआईयू–आईएनडी को प्रस्तुत की जानेवाली सूचना तथा बैंकों एवं वित्त कंपनियों द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले रिकार्ड एवं दस्तावेजों के बारे में जानकारी प्रदान की। आज का अगला सत्र सात भारतीय स्टेट बैंक के स्टाफ कालेज के सहायक महा प्रबंधक एवं संकाय श्री नागराज एस.आर ने लिया जिसमें आपने अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) दिशा निर्देश के बारे में प्रकाश डाला।

इस प्रशिक्षण का आठवां सत्र भी श्री नागराज एस.आर. ने ही लिया, जिसमें आपने उचित आचार संहिता के बारे में जानकारी प्रदान की, जिसमें बैंक स्टाफ तथा आम आदमी के द्वारा अपनाई जाने वाली व्यावहारिक, प्रवृत्ति और आचरण पर प्रकाश डाला गया।

इस प्रशिक्षण के दूसरे दिन का नौवां सत्र भारतीय स्टेट बैंक स्टाफ कालेज के पूर्व उप महाप्रबधंक एवं संकाय श्री गणेश रामामूर्ति ने लिया जिसमें आपने यह जानकारी प्रदान की कि आज के दौर में उच्च प्रतिस्पर्धात्मक आवास ऋण बाजार में त्वरित शिकायत एवं परिवाद निवारण की तुरंत आवश्यकता क्यों और कैसे है। प्रशिक्षण का दसवां सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के बैंगलोर प्रतिनिधि कार्यालय के प्रबंधक श्री एच.के. गोपालाकृष्णन ने लिया जिसमें आपने 'सरसाई' यानि कि ''भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति स्वत्व की केन्द्रीय रजिस्ट्री'' के बारे में जानकारी प्रदान की। इस प्रशिक्षण का अंतिम एवं ग्यारहवां सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंधक श्री आर.एन. कार्तिकेय ने लिया जिसमें आपने 'निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास' (सीआरजीएफटीएलआईएच) के बारे में प्रकाश डाला। इसके बाद धन्यवाद करते हुए प्रशिक्षण का समापन किया गया।

6. पंजाब एवं महाराष्ट्र कोआपरेटिव बैंक लि0 हेतु 20 जून, 2014 को मुंबई में एक दिवसीय प्रशिक्षण

इस प्रशिक्षण को पंजाब एडं महाराष्ट्र कोआपरेटिव बैंक लि0 के प्रतिभागियों के लिए मुम्बई में आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण का उद्घाटन शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के चेयरमैन ने किया, जिसमें आपने यूसीबी की भूमिका, ग्राहकों एवं पहल आदि के साथ प्रशिक्षण की महत्ता पर प्रकाश डाला।

प्रथम सत्र की शुरूआत कल्याणारमन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कंसलटैंट के प्रमुख कार्यपालक अधिकारी श्री एस.के. अय्यर ने किया, जिसमें आपने आवास वित्त के संबंध में शहरी सहकारी बैंकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित नीति दिशा–निर्देशों के बारे में बताया।

प्रशिक्षण का दूसरा सत्र भारतीय स्टेट बैंक, स्टाफ कालेज के पूर्व उप महाप्रबंधक एवं संकाय श्री गणेश रामामूर्ति ने लिया, जहां पर आपने आवास ऋणों के मूल्यांकन मापदंडों एवं संवितरण पहलुओं पर प्रकाश डाला। श्री गणेश रामामूर्ति जी ने ही प्रशिक्षण का तीसरा सत्र भी संबोधित

किया, जिसमें आपने आवास ऋणों के संवितरण के पश्चात किए जाने वाले अनुपालनों तथा वसूली पर जानकारी प्रदान की और इसके कानूनी पहलुओं पर भी प्रकाश डाला।

इस प्रशिक्षण का चौथा सत्र राष्ट्रीय आवास बैंक के सहायक महाप्रबंधक श्री वी. सांबामूर्ति ने लिया जिसमें आपने 'सरसाई' अर्थात ''भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण एवं केन्द्रीय स्वत्व की रजिस्ट्री'' की प्रक्रिया एवं भूमिका पर प्रकाश डाला। श्री सांबामूर्ति जी ने ही प्रशिक्षण का पांचवां एवं अंतिम सत्र भी संबोधित किया जहां पर आपने शहरी सहकारी बैंकों के लिए उपयोगी राष्ट्रीय आवास बैंक की पुनर्वित्त योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। अंत में प्रशिक्षण की फीडबैक लेते हुए धन्यवाद ज्ञापन एवं प्रमाण पत्र वितरण के साथ प्रशिक्षण के समापन की घोषणा की गई।

राष्ट्रीय आवास बैंक और ऊर्जा दक्षता

अर्णव रॉय
कार्यपालक निदेशक

राष्ट्रीय आवास बैंक देश में आवास वित्त बाजार के विनियामक के रूप में जनसंख्या के सभी वर्गों के लिए किफायती आवास एवं आवास वित्त के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए कटिबद्ध है। ठीक इसी दौरान, रा.आ.बैंक टिकाऊ पर्यावास के विकास तथा ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण एवं उन्नयन की दिशा में निरंतर भागीदारी हेतु प्रयासशील है। इस परिप्रेक्ष्य में, रा.आ.बैंक देश भर में ऐसे प्रयासों को क्रियान्वित एवं प्रोत्साहित करने की दिशा में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के लिए निरंतर प्रयासशील हैं।

जहां वैश्विक स्तर पर इमारतें संपूर्ण ऊर्जा खपत का लगभग 30 फीसदी हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं, वहीं महत्वपूर्ण रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की हिस्सेदार भी हैं। भवनों में ऊर्जा दक्षता उपायों एवं ऊर्जा संहिता का क्रियान्वयन यह सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि नए भवन में ऊर्जा का दक्षता से उपयोग करें और इस प्रकार ऐसे भवन 50% या इससे भी कम ऊर्जा उपयोग करते हैं। अपेक्षाकृत उन इमारातों के जो बिना ऊर्जा दक्षता डिजायन उपायों के निर्मित की गई हैं। आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता उपायों के क्रियान्वयन से न केवल उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण रूप से ऊर्जा खपत में बचत करने में सहायक होते हैं, बल्कि पर्यावरण के संरक्षण एवं स्थाईत्व में भी भागीदारी करते हैं।

भारत में इमारातों में ऊर्जा दक्ष उपायों को अपनाने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों के स्तर पर व्यापक समर्थन है, लेकिन अभी तक प्रभावीपन हेतु इसे वैधानिक अनिवार्यता बनाने की हद तक बहुत कम कार्य किया गया है। कुछ विशेष राज्यों में, सरकारें, ग्रीन बिल्डिंग (हरित भवनों) हेतु बढ़ावा दे रही हैं, किंतु अभी तक व्यापक परियोजनाओं के अलावा फिलहाल कोई अनिवार्य मानक तय नहीं है।

आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता उपायों को क्रियान्वयन के साथ अनेक एवं विविधतापूर्ण चुनौतियां जुड़ी हैं। अंतिम उपभोक्ता के बिदुं पर ऊर्जा, दक्षता के समाधान की तकनीकी एवं वित्तीय संभावनाओं के बारे में जागरूकता की भारी कमी है। ऊर्जा दक्षता निर्माण सामग्री एवं उपकरणों की उच्च कीमत एवं बहुत सीमित उपलब्धता ने इनकी व्यापक ग्रहणशीलता को बाधित किया है। इसके अलावा, अंतिम उपभोक्ता की एक यह भी चिंता है कि ऊर्जा दक्ष उपायों के कारण बढ़ते हुए खर्च के कारण उनकी खरीद क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। तकनीकी परिप्रेक्षय में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि आज भी आर्किटेक्ट एवं ऊर्जा आडिटर्स (परीक्षक) जैसे विशेषज्ञ इस ऊर्जा दक्षता क्षेत्र में पर्याप्त विशेषज्ञता से युक्त नहीं हैं और अभी भी शैशव अवस्था में हैं। इसके अलावा इसके क्रियान्वयन एवं अपनाव के समर्थन में व्यापक रूप से तकनीकी मानकों एवं गणना उपकरणों को प्रस्तुत नहीं किया गया है। कानूनी परिप्रेक्ष्य में, देश भर में भवनों में ऊर्जा दक्ष संहिता के प्रचार एवं विकास के संदर्भ में अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है ताकि इनकी वैधानिक अपेक्षा अनिवार्य हो जाए।

भारत में ''भारत में नवीन आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता हेतु प्रोन्नयन कार्यक्रम'' के तहत जर्मन सरकार की ओर से जर्मनी के के.एफ.डब्लू ने भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को 50 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट (ऋण सहायता) उपलब्ध कराई है ताकि आवास वित्त कंपनियों एवं बैंकों के माध्यम से इस कार्यक्रम को विस्तारित किया जा सके। यह प्रोन्नयन कार्यक्रम देश के शहरी क्षेत्रों की आवास परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करेगा।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य ''भारत में नवीन आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता हेतु प्रोन्नयन कार्यक्रम'' को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करना है जो कि ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी एवं निर्माण प्रविधि (ऊर्जा दक्ष डिजायन, ऊर्जा दक्ष तापन, प्रकाश एवं वातानुकूलन प्रणाली या घरों में बेहतर ऊर्जा दक्षता हेतु बेहतर रोधन) के उपयोग को बढ़ावा देने के द्वारा एक टिकाऊ ऊर्जा

आपूर्ति में भागीदारी कर सकेगा। ऐसा होने की स्थिति में, ऊर्जा दक्षता के बढ़ने पर वातावरण में कार्बन डाइआक्साइड के उत्सर्जन में कमी आने के परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन को घटाने में भी मदद मिलेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु के.एफ.डब्लू एवं रा.आ.बैंक दोनों ही भारत सरकार के वर्तमान प्रयासों को विद्युत मंत्रालय (एमओपी), नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के माध्यम से आवास क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को प्रोन्नत कर रहे हैं।

राष्ट्रीय आवास बैंक ''भारत में नवीन आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता हेतु प्रोन्नयन कार्यक्रम'' के माध्यम से उपरोक्त चुनौतियों को संबोधित करना चाहता है और उपायों को चक्रित करने के माध्यम आवासीय भवनों में

ऊर्जा दक्षता उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। वित्तीय सहायता के परिप्रेक्ष्य में, उपरोक्त कार्यक्रम हेतु रा.आ.बैंक की पुनर्वित्त योजना घटी हुई ब्याजदर तथा बिना किसी पेनाल्टी के समयपूर्व पुनः भुगतान वापसी की संभावनाओं के साथ लचीली भुगतान व्यवस्था के माध्यम से विकासकों की सह चिंताओं का ध्यान रखेगी। तकनीकी परिप्रेक्ष्य में, रा.आ.बैंक इस कार्यक्रम के तहत तकनीकी सहायता घटकों हेतु तकनीकी ज्ञान के स्थानातंरण के माध्यम से उद्योग एवं भवन निर्माताओं, आर्किटेक्ट ऊर्जा परामर्शकों के बीच प्रशिक्षण दिलाना एवं क्षमता निर्माण का कार्य करना चाहता है। इस प्रकार रा.आ.बैंक, एक टिकाऊ तरीके से उपयुक्त एवं सक्षम प्राधिकरणों के साथ हिमायत एवं पैरोकारी करने के माध्यम से आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्ष संहिता के अपनाव हेतु एक वैधानिक अनिवार्यता के लिए निरंतर प्रयासशील रहेगा। अंतिम उपभोक्ता की सहचिंताओं को संबोधित करने हेतु, रा.आ.बैंक पर्यावरण की बेहतरी एवं लागत अनुसार संबद्ध ऊर्जा दक्ष आवास परियोजनाओं के फायदे के लिए अंतिम उपभोक्ता को शिक्षित करने हेतु जागरूकता अभियान को बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर काम करता रहेगा।

''भारत में नवीन आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता हेतु प्रोन्नयन कार्यक्रम'' के क्रियान्वयन से पहले एक परामर्शदाता के द्वारा एक संभाव्यता अध्ययन आयोजित किया गया ताकि भारतीय आवास एवं आवास वित्त बाजार में ऊर्जा दक्षता के आधार पर आवास की डिजायनिंग की निर्णायक विशिष्टताओं की विद्यमान परिदृश्य को समझा एवं विश्लेषित किया जा सके। इसके अलावा, इस अध्ययन में एक त्वरित मूल्यांकन अभ्यास भी

सन्निहित था, ताकि बाजार की तैयारी को समझा जाए एवं पणधारकों को संवेदी बनाया जाए। इस संभाव्यता अध्ययन ने यह परिभाषित किया कि एक ऊर्जा दक्ष आवास वह है जो एक परंपरागत आवास की तुलना में कम से कम 30% ऊर्जा खपत को कम करता हो।

इस कार्यक्रम के तहत एक मकान मालिक को संभावित ऊर्जा बचत की गणना को सुगम बनाने हेतु फ्रॉन होफर, आईबीपी (IBP), जर्मनी तथा टेरी (TERI) के द्वारा एक मूल्यांकन टूल विशेष रूप से विकसित किया गया, जिसमें उन्होंने कुछ बाहरी विशेषज्ञों को भी इस कार्य में शामिल किया था। विभिन्न ऊर्जा दक्ष मापदंडों (एक्टिव एवं पैसिव) के अपनाने के तरीकों के द्वारा ऊर्जा बचत के स्तर के आधार पर ऋण प्राप्ति प्रक्रिया में उपयोग हेतु संभावित वैयक्तिक ऋणकर्ताओं को प्रारंभिक प्रमाणीकरण उपलब्ध कराया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत परियोजना हेतु प्रमाणीकरण एवं अधिकारिक मान्यता फ्रॉन होफर, आईबीपी एवं टेरी द्वारा उपलब्ध कराई गई।

फंडिंग प्रक्रिया के मद्देनजर, रा.आ.बैंक को प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों अर्थात् बैंकों एवं आवास वित्तीय कंपनियों को पुनर्वित्त योजना के तहत इस कार्यक्रम के विकास हेतु ऋण देने के लिए के.एफ.डब्लू जर्मनी के द्वारा ऋण सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत भावी विकास, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के मद्देनजर ''सुविधादाता'' नियुक्त किया गया है। यह सुविधादाता कुल मिलाकर तैयार भवन परियोजनाओं की पहचान/विकास के लिए प्रारंभिक प्रक्रियाधीन विकास हेतु प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों एवं भवन विकासकों के साथ समन्वयन के लिए जिम्मेदार होगा ताकि कार्यक्रम के तहत उपलब्ध निधियों की उपयोगिता सुनिश्चित हो सके।

इस प्रोन्नयन कार्यक्रम का लक्षित समूह देशभर के प्रमुख महानगरों के मध्यम एवं उच्च आयवर्ग की जनसंख्या है। छोटे परिवार आकार एवं अपेक्षाकृत युवा उम्र के समूह को विशिष्टीकृत किया गया है। ऊर्जा दक्ष आवास इन परिवारों को सार्थक वित्तीय बचत एवं बढ़ी हुई सहजता प्रदान करेगा। यह कार्यक्रम ऊर्जा दक्ष आवास के लाभों के बारे में लोगों के बीच व्यापक जागरूकता पैदा करना चाहता है।

ऊर्जा बचत की उपलब्धि एवं निरंतर कार्बन डाई आक्साइड के उत्सर्जन में आई कमी के माध्यम से यह कार्यक्रम पर्यावरण में सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसके साथ ही, यह कार्यक्रम भारत में आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता के विकास में महत्वपूर्ण रूप से भागीदारी भी करेगा। यह दर्शाएगा कि अभी तक कानूनी–बाध्य तकनीकी एवं ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) के न होते हुए भी इसे आवासीय भवनों के साथ–साथ वाणिज्यिक भवनों में भी क्रियान्वित किया जा सकता है।

यह कार्यक्रम भवन निर्माण एवं डिजायन आदि में, भागीदारी करने वाले सभी समूहों के बीच एक विशेषज्ञ ज्ञान विकसित करेगा और साथ ही विकास एवं ऊर्जा उत्प्रेरक माडल की अनुपयोजिता में भागीदारी भी करेगा। यह कार्यक्रम भारत भर में विभिन्न प्रक्षेत्रों में आवासीय भवनों में ऊर्जा दक्षता के तकनीकी समाधान को उन्नत एवं बेहतर बनाने में बढ़ावा देगा। इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन प्राधिकारियों को प्रोत्साहित कर सकता है कि ऊर्जा दक्षता के संबंध में कानूनी अपेक्षाओं को सख्त बनाएं।

पूरे देश भर में कार्यक्रम के क्रियान्वयन के साथ, राष्ट्रीय आवास बैंक ऊर्जा दक्षता के परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से परियोजना मूल्यांकन के संदर्भ में अपने कार्मिकों को प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के उपायों का निर्वहन कर रहा है। अपनी आवास परियोजनाओं के प्रति प्रेरित पुनर्वित्त उत्पाद के माध्यम से, जो कि ऊर्जा बचत की अपेक्षाओं को पूरा करते हों, रा.आ.बैंक ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों से हाथ मिलाया है ताकि जलवायु संरक्षण एवं पर्यावरण परिरक्षण को गति प्रदान की जाए।

इस कार्यक्रम के सफलतापूर्ण क्रियान्वयन एवं प्रोन्नयन से ऊर्जादक्ष प्रौद्योगिकियों तथा भवन विन्यास (डिजायन) को बढ़ावा देने के द्वारा टिकाऊ ऊर्जा आपूर्ति में भागदारी बनेगी। इस कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप ऊर्जा दक्षता में वृद्धि के माध्यम से जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने का माध्यम बन सकता है। ठीक ऐसा करते हुए राष्ट्रीय आवास बैंक आवास क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देते हुए भारत सरकार के प्रयासों को संपूरित एवं सुदृढ़ बनाएगा।

स्मार्ट सिटी की संकल्पना और सच

प्रभात रंजन
उप प्रबंधक

किसी देश के विकास में वहां की संस्कृति एवं सभ्यता की छाप होनी आवश्यक है। भारत सदियों से मिली जुली संस्कृति का प्रतीक रहा है और प्राचीन काल से ही मानव सभ्यताओं का केन्द्र बिंदु भी। सिंधु घाटी एवं मोहन जोदेड़ो की सभ्यताएं इसी का प्रतीक है। आधुनिक युग के वास्तु शास्त्री एवं वास्तु शिल्पी भी खुदाई से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अपने दौर की यह उन्नत सभ्यता थी। जहां जल निकास, स्नानघर, रसोईघर जैसी संकल्पनाएं साकार रूप में विद्यमान हैं। वर्तमान में कार्यरत केन्द्र सरकार ने अपनी नई परियोजनाओं में एक महत्वकांक्षी परियोजना नई 100 स्मार्ट सिटी बनाने की भी प्रकट की है। गुजरात में एक ऐसी ही स्मार्ट सिटी पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। इन शहरों में वे सभी सुविधाएं पहले से ही विद्यमान होगी, जिनकी कल्पना की जा सकती है। जल–मल के विकास की आधुनिकतम सुविधा तो होगी ही, साथ ही ऐसी प्रणाली का जाल बिछाया जाएगा, ताकि कभी खुदाई की आवश्यकता न पड़े। सभी प्रकार की तारें, केबिल भूमि के नीचे होंगी। इंटरनेट, वाई–फाई की सुविधा होगी।

सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी के निर्माण का विनिश्चय किया है। इससे विशेषकर प्रौद्योगिकी केंद्रित कंपनियों के लिए तमाम अवसर पैदा होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ समय बाद सरकार को इस तरह की परियोजनाओं के कारण उठने वाली तमाम मुद्दों का समाधान करना पड़ सकता है। इनमें निजता प्रमुख मुद्दा है। भारत में अभी तक इस तरह का निजता कानून नहीं है, जिनमें सरकार के लिए निगरानी के वास्ते वर्जित क्षेत्रों का ब्योरा दिया गया हो।

प्रौद्योगिकी से संबंधित मसलों को देखने वाले थिंकटैंक आईटी फॉर चेंज के कार्यकारी निदेशक ने कहा, 'प्रौद्योगिकी के मसले पर हम खुश हैं, लेकिन इन मसलों को उठाने के लिए यही अच्छा वक्त है।' एक स्मार्ट सिटी की सड़कें, यातायात, बिजली, पानी और निकासी व्यवस्था एक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म से संबद्ध होती हैं। इन सभी पर एकीकृत केन्द्र के माध्यम से नियंत्रण होता है। इससे न सिर्फ बेहतर शहरी नियोजन में मदद मिलती है, बल्कि संसाधनों के इस्तेमाल में भी सुधार होता है। हालांकि इन शहरों की बात करें तो यहां पर घरों में क्लोज्ड सर्किट कैमरों और तमाम उपकरणों के माध्यम से पैनी निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इसके साथ ही कार्यालयों में जानकारियां भेजने के लिए चिप लगानी होंगी, हालांकि इससे निजता या गोपनीयता हनन से संबंधित चिंता हो सकती है। सरकार नागरिकों के बारे में ज्यादा जानकारियां संग्रहित करना बंद कर सकती हैं, हालांकि सुरक्षित नहीं रख पाने की स्थिति में इनका दरुपयोग संभव हो सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के उद्योग संगठन नैसकॉम के अध्यक्ष ने कहा, 'हमें जानकारी हासिल करने का अधिकार है, लेकिन अगर सिक्के के दूसरे पहलू पर गौर करें तो यहां निजता का अधिकार खत्म हो जाता है।' आप पूर्व संचार एवं आईटी सचिव निजता विधेयक पर हुई चर्चाओं का हिस्सा रहे थे। हाल ही में गठित नई सरकार के अंतर्गत इसका भविष्य फिलहाल स्पष्ट नहीं है। इस विधेयक को पहली बार 2010 में तैयार किया गया था और तब से इसके मसौदे में कई बार बदलाव किया जा चुका है। बीते साल दिल्ली मेट्रो में यात्रा कर रहे एक प्रेमी युगल की कैमरा फुटेज इंटरनेट पर लीक हो गई थी, जिससे काफी हायतौबा मची थी। सरकार कितनी जानकारियां रिकॉर्ड कर सकती है, ऐसे डाटा तक इनकी पहुंच हो सकती है, कौन इनका इस्तेमाल कर सकता है और इसके दुरुपयोग पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनकी व्याख्या होनी जरूरी है। हालांकि भारत के पास एक सूचना प्रौद्योगिकी कानून है और ऐसे मुद्दों का निबटारा इसके माध्यम से ही किया जाता है, लेकिन इस क्षेत्र के लिए एक व्यापक कानून की जरूरत है जो सरकारी अधिकारियों और हर किसी पर लागू हो। हमें निजता को लेकर स्पष्ट नीतियां बनानी चाहिए, जिससे आधार पर व्यापक निगरानी की दिशा में सरकार फैसला कर सके। उन्होंने बताया, 'ये शहर व्यापक स्तर पर इंटरनेट से जुड़े होंगे, इसलिए ग्रिड पर मौजूद व्यक्तिगत जानकारियों के संबंध में बेहद सतर्कता से काम करना होगा।'

हालांकि स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में निवेश के मौके देखने वाली प्रौद्योगिकी कंपनियों का रुख इस पर अलग है। वीडियो इंटेलिजेंस सॉल्युशंस कंपनी वेरिट सिस्टम के कंट्री प्रबंधक ने कहा कि सार्वजनिक स्थलों को निगरानी के दायरे में रखना नागरिकों के हित में है और इसे निजता के हनन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कंपनी सूरत सेफ सिटी परियोजना मे भागीदार रही थी। नवानी ने कहा, 'सूरत में परियोजना को अमल में लाते हुए हमने शहर में ऐसे सार्वजनिक स्थलों की पहचान की, जिनकी निगरानी की जरूरत थी। ये स्थान स्कूल या कॉलेज कैंपस या विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्र नहीं हैं जिन्हें निजता का हनन माना जा सके।' एनईसी इंडिया के प्रमुख (जन सुरक्षा समाधान) ने कहा कि सुरक्षित शहरों के सभी संसाधनों का सरकारी एजेंसियां इस्तेमाल करती हैं, जिससे उन्हें रहने के योग्य बनाया जा सके।

आज हमारे देश में बाहरी खतरों के साथ–साथ आंतरिक खतरे भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सिमी, आईएम, माओवादी जैसे अनेक संगठन हमारे शहरो एवं निवासियों को ही नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बल्कि ये गोपनीय सूचनाएं प्राप्त कर बाहरी देशों को देना चाहते हैं। आतंकी संगठनों के साथ हाथ मिलाकर मानवीय एवं यांत्रिक तथा सूचना–प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हानि पहुंचा कर देश की प्रगति रोकना चाहते हैं। ऐसे में निजता का बहाना लेकर हम सुरक्षा से चूक कैसे कर सकते हैं। निजता को घरों एवं दफ्तर के कक्षों तक ही सीमित रखा जाए, किंतु यदि वह सार्वजनिक सेवा/कार्य के स्थान है तो इनकी निगरानी अवश्य की जानी चाहिएं। तभी स्मार्ट सिटी का सपना सच हो सकता है। जहां न सिर्फ कारोबार एवं व्यवसाय करने वाला पूरी सुरक्षा प्राप्त करे, बल्कि वहां पर काम करने वाले एवं तमाम प्रकार की सेवाएं देनेवाले भी खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। यदि वातावरण सुरक्षित एवं शांत– पूर्ण होता है। यातायात एवं आवागमन के साधन सुचारू रूप से काम करते हैं। सभी मूल–भूत आवश्यकताएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं तो फिर ऐसे शहरों एवं उस देश एवं प्रदेश का विकास भी तेज रफ्तार पकड़ता है। यदि देश एवं प्रदेश के लोगों को कारोबार एवं रोजगार प्राप्त होता है और उनकी आय के स्रोत आसान एवं व्यापक होते हैं तो उनकी खरीददारी एवं खपत बढ़ती है। क्रय शक्ति बढ़ने का तात्पर्य बाजार में पैसों का आना है और इस तरह मांग बढ़ती है तो आपूर्ति भी बढ़ती है, उत्पादक भी लाभ कमाता है। कुल मिलाकर विकास की गाड़ी रफ्तार पकड़ती है। आज भारत जैसे देशों को न सिर्फ ऐसे स्मार्ट शहरों की आवश्यकता है, बल्कि विद्यमान पुराने शहरों एवं उनके उप नगरों को भी इसी तरह की नवीनतम आधुनिकतम सुविधाएं देकर स्मार्ट शहर बनाने की आवश्यकता है। आशा की जा रही है कि नई सरकार इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाएगी। इस समय न सिर्फ सरकार में जोश है बल्कि देश की जनता, विशेषकर युवावर्ग भी जोश एवं उत्साह में है और वह इस दिशा में बहुत कुछ करना चाहता है, पर उसे एक सुअवसर की आवश्यकता है और यह सुअवसर इन्हीं स्मार्ट शहरों में विद्यमान होंगे। ऐसा हम सबका विश्वास है।

विज्ञापन या मीडिया रिपोर्ट पर न खरीदें मकान

नारायण सहाय, प्रबंधक

जीवन में हर एक व्यक्ति का यही सपना होता है कि उसका अपना परिवार हो एक सपनों का घर जहां वह सुकून भरी जिदंगी गुजार सके। जब वह सुबह शाम थक–हार कर घर पहुंचे तो एक अपनेपन की संतुष्टि मिले। यह सिर्फ अपने स्वामित्व वाले घर पर नसीब होता है, किराए या सरकारी आवास पर नहीं।

अपना घर सभी का सपना होता है। इसके लिए लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा लगाने को तैयार रहते हैं। सामान्यतः घर खरीदने के लिए लोग किसी परिचित या प्रॉपर्टी डीलर की मदद लेते हैं। लेकिन अब विज्ञापन, मीडिया रिपोर्ट या इंटरनेट के जरिये भी इससे जुड़ी जानकारी जुटाने में काफी तेजी आई है। गूगल इंडिया के एक सर्वेक्षण के मुताबिक देश में रियल एस्टेट में 53 फीसदी सौदों की जानकारी पहले इंटरनेट के जरिये जुटाई गई। इससे उपभोक्ताओं का काम काफी आसान हो गया है। प्रायः हर खरीददार विज्ञापन आदि देखकर नीचे दर्शाई गई वेबसाइट पर जाकर इंटरनेट की मदद से सारी जानकारियां जुटाता है और तब घर खरीदने का मन बना लेता है।

कीमतों की तुलना – घर खरीदने के लिए उपभोक्ता विज्ञापन या ऑनलाइन जो जानकारी जुटाते हैं उसमें संबंधित संपत्ति की

तुलनात्मक जानकारी पहली पसंद है। वहां मिलने वाली सुविधाएं, स्कूल और अस्पताल की दूरी, रेलवे एवं बस, स्टेशन, मेट्रो रेल, ऑफिस या हवाई अड्डे से आने–जाने की सुविधा की भी पड़ताल करते हैं।

सभी विकल्प देखें – मौजूदा समय में घर खरीदने के लिए विज्ञापन या इंटरनेट से जानकारी जुटाने के बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। इसके लिए सामान्यतः बिल्डर या रियल एस्टेट कंपनी की वेबसाइट से, ऑनलाइन ब्रोकर और विशेष तौर पर संपत्ति से जुड़ी वेबसाइट के जरिये ही उपभोक्ता जानकारी जुटाते हैं।

हालांकि, कई बार इन माध्यमों पर दी गई जानकारी अधूरी और पुरानी होती या बढ़ाचढ़ा कर बनाई गई होती हैं। गूगल इंडिया का कहना है कि अन्य उत्पादों के मामले में उपभोक्ता आसानी से उसके बारे में ऑनलाइन पड़ताल कर लेते हैं लेकिन किसी निर्माणाधीन परियोजना

की जानकारी रियल एस्टेट कंपनी की वेबसाइट से जुटाने की सुविधा नहीं है। इसके लिए संबंधित कंपनी से बात कर या सीधे वहां पहुंचकर ही जानकारी जुटानी पड़ती है। कई बार विज्ञापनों या इंटरनेट पर गोल–मोल जानकारी दी गई होती है जैसे कि एयरपोर्ट से 20 मिनट की दूरी, बस अड्डा से 10 मिनट की दूरी तथा साई मंदिर या अमुक चौराहे से 15 मिनट की दूरी पर। जबकि वास्तविकता में यह दूरियां 50 कि0मी0 से लेकर 20 कि0मी0 तक की हो सकती हैं।

कंपनियों की जानकारी कितनी सही

विशेषज्ञों के मुताबिक अपने बारे में सभी जानकारी देने वाले ऑनलाइन ब्रोकर भी घर की कीमतों की तुलना के मामले में निचले पायदान पर रहे। आज के दौर में ऑनलाइन ब्रोकर को छोटे ब्रोकर से कड़ी टक्कर मिल रही है जिनकी बाजार में 99 फीसदी हिस्सेदारी है। हालांकि, संपत्ति की ऑनलाइन जानकारी देने वाली कंपनियों ने बहुत हद तक बेहतर जानकारियां दी हैं लेकिन कुछ कंपनियों को गलत जानकारी देने की वजह से उपभोक्ताओं की शिकायत पर काफी नुकसान उठाना पड़ा है। रीयल स्टेट के एक विशेषज्ञ का कहना है कि यदि संपत्ति की ऑनलाइन जानकारी देने वाली कंपनियों को राजस्व और ताजा आंकड़ों की सुविधा मिल जाए तो वह ज्यादा बेहतर जानकारी दे सकती हैं। मौजूदा समय में इन कंपनियों के राजस्व और आंकड़ों में 90 फीसदी हिस्सेदारी डेवलपर और एजेंट के जरिये आती है। इससे कई बार उनकी वेबसाइट पर पुरानी जानकारी भी रह जाती है साथ ही उन्हें हटाने पर विकल्प की संख्या घटने का भी खतरा रहता है। मीडिया के विभिन्न विज्ञापनों में भी इसी प्रकार की जानकारियां होती हैं तथा फोटो और ग्राफिक्स बहुत अधिक कल्पना पूर्ण होते हैं।

आज कंप्यूटर, लैपटाप, मोबाइल में इंटरनेट एवं ऐप जैसे साफ्टवेयरों की आसान पहुंच के कारण रियल एस्टेट में ऑनलाइन जानकारी देने वाली कंपनियों के सामने कई चुनौतियों के बाद भी इसका भविष्य बेहतर नजर आता है। वर्ष 2013 में गूगल इंडिया की ओर से ऑनलाइन प्रॉपर्टी के आयोजन में टाटा हाउसिंग के 55 फ्लैट महज तीन दिन में बिक गए। कंपनियों का कहना है कि वह इसमें बेहतर देने की कोशिश कर रही हैं। इस क्षेत्र के जानकारों का यह भी कहना है कि अब कई कंपनियों ने कई एजेंट रखें हैं जो संबंधित संपत्तियों की तस्वीरें के साथ उसकी पूरी जानकारी जुटाते हैं और इसके बाद उन्हें वेबसाइट पर डाला जाता है। सरकार रियल एस्टेट में लेन–देन को पारदर्शी बनाना चाहती है जिसमें ऑनलाइन एक बेहतर विकल्प है। रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल संसद में पास कराने की तैयारी है। इस दिशा में भारत सरकार के द्वारा स्थापित संस्थान 'सरसाई' भारत में परिसंपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति स्वत्व की केन्द्रीय रजिस्ट्री एक अच्छा प्रयास है जहां बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त लेन–देन वाली संपत्तियों का पंजीयन किया जाता है। इससे धोखाधड़ी एवं पुनः बिक्री (चोरी छुपे या गलत नाम से) में रोक लगाने में मदद मिलती है।

दस्तावेज की जांच अवश्य करें – घर खरीदने के पहले सभी प्रकार के दस्तावेजों की पूरी पड़ताल जरूरी है। बिल्डर या रियल एस्टेट कंपनी ने उसे नियमों के मुताबिक बनाया है नहीं, आवासीय परियोजना में किसी तरह का बदलाव तो नहीं हुआ और इस तरह की अन्य बदलाव तो नहीं हुआ और इस तरह के अन्य जानकारियों की जांच जरूर करें। यह काम बहुत मुश्किल नहीं है। इसे एक वकील के द्वारा भी कराया जा सकता है। जहां वह यह भी जानकारी जुटाएगा कि कंपनी ने उस राज्य की नीतियों के अनुसार प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है या नहीं। यह भी जानकारी जुटानी चाहिए कि कार्य शुरू होने से पहले भू–उपयोग संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि प्राप्त किए हैं या नहीं।

बिल्डर से मांगें फ्लैट के कागजात – आप घर खरीदने के पहले बिल्डर से परियोजना से जुड़े दस्तावेज मांग सकते हैं। यदि बिल्डर उसे दिखाने से मना करें, टाल–मटोल करें या किसी प्रकार की बहानेबाजी करे तो इसे खतरे का शुरूआती संकेत मानना चाहिए। इसके बाद संबंधित परियोजना से जुड़े दस्तावेज नगर निगम रजिस्ट्रार के ऑफिस से मांग सकते हैं। यदि वहां के अधिकारी आपको दस्तावेज न दिखाकर केवल मौखिक आश्वासन दें या प्रोजेक्ट की तारीफ करें तो विश्वास न करें। यदि वहां कर्मचारी दस्तावेज दिखाने से मना करें तो इसे खतरे का संकेत मानना चाहिए।

ज्यादा सस्ते की लालच में न रहें – यदि कोई घर या फ्लैट बाजार भाव से बहुत कम कीमत पर मिल रहा है तो तुरंत विश्वास न करें और खरीदने के लिए एडवांस वगैरा न दें। पूरी जांच–पड़ताल करें। प्रलोभन या भारी दामों में कमी कर रहा है तो इसे खतरे का संकेत समझना चाहिए। कई बिल्डर को अवैध परियोजनाओं के लिए खरीदारों की जरूरत होती है जिसे वह बेहद कम कीमत पर भी बेचने को तैयार रहते हैं। ऐसे बिल्डर जल्दी से जल्द फ्लैट बनाकर खिसक जाते हैं। कई बार यह भी कहते हैं कि पक्की रजिस्ट्री हो जाएगी। ध्यान रहे कई प्रदेशों में बने हुए फ्लैट की रजिस्ट्री हो जाती है भले ही उसकी जमीन अवैध हो। अतः इसमें भी सावधानी बरतें।

अवैध संपत्ति पर बैंक नहीं देते कर्ज – बैंक घर के लिए कर्ज (होम लोन) देने के पहले संबंधित संपत्ति की पूरी पड़ताल करते हैं।

किसी भी तरह की गड़बड़ी या संपत्ति अवैध होने पर बैंक कर्ज देने से इंकार कर देते हैं। यदि आप घर खरीदने की तैयारी में हैं तो अपने बैंक से भी उसके दस्तावेज की जांच करने में मदद ले सकते हैं। लेकिन कई बार यदि फ्लैट की रजिस्ट्री हो रही है, भले ही भूमि अनाधिकृत हो, तो कुछ बैंक अधिक ब्याज दर पर या फिर वहां का प्रभारी घूस आदि लेकर ऋण दे देते हैं। इसलिए वकील की मदद से गहन जांच–पड़ताल बहुत आवश्यक है।

छोटा बदलाव भी बनेगी मुसीबत – किसी घर से जुड़ी परियोजना (फ्लैट) की मंजूरी प्रति वर्गफुट के हिसाब से मिलती है और इसमें छोटे से बदलाव की भी इजाजत नहीं होती है। इसे फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) से आंका जाता है। परियोजना में बने सभी फ्लैट की जगह से प्लॉट से भाग देने पर जो शेष बचता है वह एफएआर होता है। इस बारे में वहां के स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर पूरी जांच–परख करें और उनके द्वारा भवन निर्माण के ''कंप्लशीन'' का प्रमाण पत्र भी देखें। यह भी पता करें कि उस भवन को पहले से कोई नोटिस आदि तो जारी नहीं हुआ है। इसके साथ ही यह भी देखें कि उस फ्लैट या एपार्ट्समेंट में पहले के बकाये बिजली एवं पानी के बिल अपटूडेट तक जमा किए जा चुके हों। यदि उस पर पहले के बकाए, जो लाखों रु0 में हो सकते हैं, शेष हैं तो बाद में वहां के सभी फ्लैट धारकों को या फिर एक विशेष तिथि के बाद खरीदने वालों को चुकाने पड़ सकते है। यदि बकाए चुकता नहीं किए जाते तो संबंधित कंपनियां आपूर्ति बंद कर सकती है। इसलिए मकान खरीदने से पहले विज्ञापन/इंटरनेट आदि से जुटाई जानकारी के साथ–साथ संबंधित कार्यालयों स्टेट/भू–राजस्व विभागों, विद्युत एवं जल आपूर्ति विभागों से सभी प्रकार की जांच पड़ताल अवश्य की जानी चाहिए। ताकि आप को अपने लिए गए निर्णय पर खुशी हो न कि परेशानी। ऐसा करने से आपके घर खरीदने का सपना सही मायनों में साकार बनकर सुखानुभूति कराएगा।

क्रोधः जीवन का सबसे बड़ा शत्रु

राम नारायण चौधरी, उप प्रबंधक

अहंकार एवं क्रोध एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अहंकारी व्यक्ति अपने सामने किसी अन्य को तुच्छ मानने की भूल करता है। जब यह अहंकार किसी एक के प्रति केन्द्रित हो जाता है तो क्रोध का रूप ले लेता है। यह क्रोध हृदय का वह पागलपन (रूप) है जिसकी अग्नि हमारे विवेक, बुद्धि और वर्षों से अर्जित ज्ञान को क्षण भर में स्वाहा कर देती है। उसका परिणाम प्रचण्ड ज्वालामुखी के रूप में उद्भासित हो सकता है, और ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम से हम सब अनभिज्ञ नहीं है। हम इतिहास के दर्पण में गोता लगाने का प्रयास करें तो क्रोध के वीभत्स परिणाम हमारी आंखों के सामने चलचित्रों के दृश्य के रूप में एक के बाद एक स्वतः प्रकट होने लगेंगे। रामायण में रावण का क्रोध, दुर्योधन का क्रोध, गौतम मुनि के क्रोध की वजह से अहिल्या का पत्थर में रूपान्तरित होना, चाणक्य का बदले की भावना का क्रोध और हाल ही में भारतीय जनता का भ्रष्ट राजनेताओं व उनकी नीतियों के प्रति क्रोध से उनके अहम को चकनाचुर कर देना।

उनमें से कुछ घटनाओं पर गौर करें तो आपको अहसास होगा कि महाभारत में दुर्योधन के क्रोध ने कौरवों तथा उनकी सेनाओं, जिनमें बड़े–बड़े शुरवीर, ज्ञानी और नीतिकार थे, का सर्वनाश करवा दिया। रामायण में रावण का क्रोध, जो प्रकांड विद्वान और ज्ञानी था, उसके वंश का नाश का कारण बना। गौतम मुनि के क्रोध ने उनकी पत्नी अहिल्या को पत्थर में रूपान्तरित कर दिया। चाणक्य की बदले की भावना का क्रोध नन्दवंश के पतन का कारण बना। अब हम जरा हाल की घटनाओं की तरफ अपना ध्यान को केन्द्रित करें तो पता चलेगा कि असंतुष्टि से उपजे जनता के क्रोध की आग ने अरब देशों के कई पुराने चिरकालीन तानाशाहों का शासन जड़ से उखाड़ फेंका।

भ्रष्ट राजनेताओं की तानाशाही नीतियों, उनके भ्रष्टाचार के समुद्र ने जनता के शांत–चित मन में अग्नि सुलगाने का काम किया जो शनै–शनै अन्ना आंदोलन तथा मीडिया के प्रभाव से ज्वालामुखी के मुंहाने के रूप में विस्फोटित हुए। परिणाम हम सबके सामने हैं। दिल्ली तथा केन्द्र में कांग्रेस के संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की पुरानी सरकार उसमें झुलस कर लगभग राख हो गई। लोकसभा में बड़ी–बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां भी धराशायी हो गई जिनको पुनः पैठ बनाने में वर्षों लग सकते हैं। ऊपर की चंद घटनाओं के वर्णन से यह तो स्पष्ट है कि यूं तो क्रोध का परिणाम ज्यादातार वीभत्स होता है लेकिन सामूहिक तौर पर किये गये क्रोध का कभी–कभी परिणाम सकारात्मक भी होता है।

अब प्रश्न उठता है कि क्या आपको, हमें गुस्सा और क्रोध आता है? हम मानव हैं। ईश्वर, संत, ऋषि–मुनि भी गुस्से पर नियंत्रण न कर पाये तो क्या हम मानव कर पायेंगे। अतः गुस्सा आना मानव स्वभाव का अंग है। हमें कभी न कभी क्रोध करना ही पड़ता है, खासकर आज की भौतिकवादी तथा तनावपूर्ण भरी जिन्दगी में, जहां संसाधन की कमी है, अपेक्षाएं तथा इच्छाएं असीमित हैं। क्या हमने इस पर कभी विचार मंथन किया है, कि क्या हमारा क्रोध करना जायज था, क्या हम इसे टाल सकते थे, क्या इसके आने वाले परिणाम (सकारात्मक व नकारात्मक) से हम भिज्ञ थे, क्या क्रोध आने से पहले, क्रोध को जन्म देने वाले कारकों को समझने की कोशिश की। क्रोध को हम कैसे टाल सकते थे आदि–आदि। गुजरा वक्त (भूत) कभी वापस नहीं आता। छोड़िये जो हो गया, अब पछताये होत का जब चिड़ियां चुग गई खेत कोई फायदा नहीं। अभी हमारी जिन्दगी काफी पड़ी है। जब भी हमें क्रोध आने की सम्भावना हो तो इन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करें। काफी अभ्यास के बाद आपके जीवन में, व्यक्तित्व में एक अनोखा निखार आएगा। आपके चिड़–चिड़ेपन तथा क्रोधी स्वभाव की वजह से घर–परिवार, कार्यालय, समाज में जो आप को नफरत की भावना से देखते थे, उनके ही दिलो–दिमाग में आप प्रिय हो जाएंगे।

लोग अक्सर कह देते हैं–"वह बड़ा क्रोधी या गुस्सैल" व्यक्ति है। लेकिन सच तो यह है कि मनुष्य स्वाभावतः क्रोधी नहीं होता। उसके अंदर यह मनोभाव होता जरूर है, किंतु उसे बढ़ावा देती है वे स्थितियां जो उनकी पसंद या चाह या इच्छा के विपरीत होती हैं। किंतु जब कोई मनोविकार बार–बार जागृत होता है और उसकी गहनता भी बढ़ती जाती है तो वह मनोविकार उस व्यक्ति के स्वभाव का अंग बन जाता है, उसकी आदत बन जाता है और यह हमारे मन–मस्तिष्क, व्यवहार और भाषा को प्रभावित करना शुरू करता है। जब क्रोध आता है तो हमारा मस्तिष्क इतना तनाव–ग्रस्त हो जाता है कि सोच नहीं पाता कि क्या अच्छा या क्या बुरा है। हमारा व्यवहार हमारे नियंत्रण से निकल जाता है और हम बड़े से बड़ा अहित कर बैठते हैं जैसा कि ऊपर कुछ उदाहरणों में बताया गया है। क्रोध में हमारा अपनी भाषा पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है। इस तरह क्रोध बढ़ते–बढ़ते हमारे लिए विष बनने लगता है। जो लोग लगातार क्रोध करते रहते हैं, उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। बात–बात में झल्लाना, छोटी–छोटी बातों में उलझना और मारपीट तक कर बैठना क्रोध के ही लक्षण हैं।

वामन पुराण में कहा गया हैः–

क्रोध प्राणहरः शत्रु क्रोधो मित मुखो रिपुः।

क्रोधोअसिः सुमहातीक्षणः सर्व क्रोधो अपकर्षति।।

तपते यतते चैव यच्च दानं प्रयच्छति।

क्रोधेन सर्वहरित तस्मात् क्रोध विवर्जयेत।।

अर्थात् "क्रोध प्राणनाशक शत्रु है, क्रोध अपरिमित मुखवाला बैरी है, क्रोध बड़ी तेज धार की तलवार है और क्रोध सब कुछ हर लेता है।

मनुष्य जो तप, संयम और दान आदि करता है, उन सबको क्रोध नष्ट कर डालता है। अतएव क्रोध का त्याग करना चाहिए।''

एक विचारक ने कहा है ''क्रोध मन के दीपक को बुझा देता है।'' इसका कारण है कि क्रोध आने पर यदि हम अपने को नियंत्रण में नहीं रखते हैं, वह हमारी बुद्धि और विवेक को नष्ट कर डालता है। हम उचित–अनुचित का ज्ञान खो बैठते हैं। हमारी मानसिक शांति नष्ट हो जाती है और हम ऐसे काम कर बैठते हैं जो हमें किसी भी दशा में नहीं

करने चाहिए। इस प्रकार क्रोध हमारे ऊपर कई बड़े शस्त्रों से आक्रमण करता है।

आपने कथा सुनी ही होगी जिसमें एक महिला अपने प्रिय पालतू नेवले की देख–रेख में नवजात शिशु को घर में अकेले छोड़कर पानी भरने जाती है तथा वापस आने पर घर के दरवाजे पर लहू–लूहान नेवले जिसके मुख में खून लगा होता है को देखकर गुस्से से भड़क उठती है। उसे लगा कि नेवले ने मेरे शिशु का वध कर दिया तथा गुस्से में वह पानी का घड़ा नेवले के शरीर पर फेंककर नेवले को वहीं मार डालती है। घर के अंदर जाने पर अपने शिशु को सुरक्षित पाकर तथा बगल में मरे विषधारी सर्प को देखकर, जिसे नेवले ने ही मारकर शिशु के जीवन की रक्षा की थी, उसे आत्म ग्लानि तथा अफसोस होता है कि इतनी बड़ी भंयकर भूल कैसे हो गई।

शायद उस महिला ने क्रोध करने से पहले अंदर जाकर अपने शिशु को देखने के पश्चात प्रतिक्रिया की होती तो वफादार नेवले को कभी भी नहीं खोती। यह सिर्फ बिना–विचारे तथा क्षण मात्र में क्रोध की चिन्गारी की वजह से लिए गए निर्णय का घातक परिणाम था। क्या हमने कभी सोचा है कि हम रोजमर्रा के जीवन में इसी से मिलती–जुलती घटनाओं का सामना करते हैं और बिना–विचारे क्रोध के आभूषण में जकड़े कई अनहोनियां कर बैठते हैं। किसी के बहकावे में आकर परिवार में, भाईयों, समाज, अच्छे दोस्तों, कार्यालय में अच्छे कार्यशील कर्मचारियों/अधिकारियों को नफरत से देखते हैं और क्रोध के कारण अपनो से दूर कर देता है। वर्षों का गहन प्रेम और श्रद्धा नफरत तथा घृणा में बदल जाती है। इसलिए सबसे बढ़िया सलाह यही है कि जब तक घटनाओं को स्वतः अपनी आंखों से न देखें तथा कानों से न सुन लें तब तक अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। यह हमारे अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन के लिए हितकर है क्योंकि क्रोध से हमारे शरीर के रसायन और हार्मोन के स्राव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

क्रोध से हमें कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि हम अपना नुकसान कर लेते हैं। क्रोध से हुई हानि कभी सुधर नहीं सकती है। क्रोध, हाथ से फेंके गए पत्थर की तरह है जो न तो परिस्थिति को संवार पाता है और न ही अच्छे फल देता है। बस क्रोध शांत होने पर केवल पछतावा ही शेष रहता है।

पाइथागोरस ने ठीक ही कहा है– ''क्रोध मूर्खता से प्रारम्भ होता है और पश्चताप पर समाप्त होता है'' इसलिए हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने का अभ्यास करना चाहिए। जेफरसन का कहना है–''जब क्रोध आये तो दस बार सोचकर बोलो और जब अत्यधिक क्रोध में हो तो हजार बार सोचकर बोलो। एक आदमी का कहना था कि जब मुझ पर कोई क्रोध करता है तो मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। उसकी बातों को अनसुना करते हुए मौन धारण कर लेता हूं। वह आदमी कुछ देर तक क्रोध में बड़बड़ाता रहता है और जब उसकी बक–बक और गुस्से का दूसरे पर कोई असर नहीं होता तो वह चुपचाप चला जाता है। क्रोधी व्यक्ति से बचने का यही सीधा उपाय है।

एक बार एक साधू भिक्षा मांगने किसी के घर गया। घर से निकली महिला भिक्षा देने के साथ–साथ काफी खरी–खोटी, अपशब्द सुनाती रही। वह चुपचाप तब तक सुनता रहा जब तक महिला का गुस्सा शांत नहीं हुआ। शांत होने पर साधू ने महिला से पूछा कि यदि हम भिक्षा नहीं लें तो क्या होगा। महिला का उत्तर –''मेरे पास ही रहेगा, साधू ने कहा ठीक है,

आप अपनी भिक्षा मुझे दे दें, अपनी गाली, अपशब्द कृपया करके अपने पास ही रखें। महिला लज्जित होकर साधू के चरणों में गिर पड़ी। हम चाहे तो अपने संतुलित व्यवहार से क्रोध के प्रतिकार की बजाय किसी को भी अपने आप से लज्जित करा सकते हैं क्योंकि हर मानव विवेकहीन नहीं हो सकता। जिसका विवेक शून्य मात्र होगा, उनका नाश सुनिश्चित है।

क्रोध पर विजय पाने के लिए सर्वोत्तम उपाय यह है कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि क्रोध अपना स्थान बना लेगा या बहस इस मोड़ पर जा रही है कि लोग क्रोध में आकर बातें करने लगेंगे तो उस समय शांति और धैर्य से काम लेना चाहिए। फालतू की बहस से बचना चाहिए। इसलिए अपनी वाणी और भाषा पर नियंत्रण आवश्यक होता है। रहीम ने कहा है –

रहिमन जिह्वा बावरी, कह गई सरग पतार।

आपन तो भीतर गई, जूती खात कपार।

(अर्थात् रहीम जी कहते हैं जीभ तो पागल है, उल्टा–सीधा, ऊपर–नीचे बोलकर खुद तो मुंह के अंदर चली गई और जूतियां सिर पर पड़ रही हैं।)

एक चीनी कहावत है कि जिस अग्नि को तुम शत्रु के लिए प्रज्वलित करते हो, वह बहुधा तुम को ही जलाती है। यानि क्रोध से अपना ही व्यक्तित्व, चरित्र, आचरण गर्त में डूबा देते हैं। यह क्रोध सर्वथा तब जायज और उचित हो सकता है, जब क्रोध हम अपनी बुराईयों, घर–परिवार, समाज एवं देश–विश्व की बुराईयों का खात्मा करने के लिए अहिंसक रूप से करें। याद कीजिए, जब अंग्रेजों ने गांधी जी को प्रथम श्रेणी डिब्बे से धक्का मार कर निकाला तो उन्होंने उन अंग्रेजों पर क्रोध न करके उस व्यवस्था पर क्रोध किया, जो गोरे–काले का भेद करती थी, जो इंसान से इंसान को गुलाम बनाने एवं दूसरों के अधिकार छीनकर

अहिंसक रूप लेकर पूरे विश्व को हिलाया और इस व्यवस्था के प्रति जो बिगुल फूंका उसके परिणाम को कौन नहीं जानता। आज पूरा विश्व महात्मा गांधी के समक्ष नतमस्तक होता है। जीवन में हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में कुछ न कुछ खामियां होती हैं। आप उन की सूची बनाएं तथा देखें की क्या आपको अपनी बुराईयों पर क्रोध आता है क्या आपका क्रोध आपकी बुराइयों को नष्ट कर सकता है ताकि संपूर्ण और स्वच्छ व्यक्तित्व के रूप में आप जाने जाएं। हमारा मानव जीवन क्षणभुगंर है। इसकी हृदय गति कब तथा किस मोड़ पर रूक जाए कोई नहीं जानता। थोड़ा पहले या बाद में। मृत्यु ध्रुव सत्य है। हम अपने क्रोध से लोगों की घृणा के पात्र क्यों बने। प्रत्यक्षतः या परोक्षतः मरने के बाद भी हमें कोई क्यों गाली दे।

अस्तु क्रोध न करें। आत्मनियंत्रण करने का अभ्यास करें। आत्मनियंत्रण से जीवन में कई उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। उन्नति की सीढ़ियां चढ़ने से बहुत शक्ति मिलती है। यह निर्णय हमारा ही हो सकता है कि क्या हम आज से ही क्रोध, खासकर बेवजह क्रोध को छोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा घर–परिवार, समाज–देश, कार्यालय में अपने को एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं।

ज्ञान

राहुल कुमार, सहायक प्रबंधक

हममें से अधिकांश लोग विपरीत ज्ञानी है। विपरीत ज्ञान का अर्थ है – गलत को सही और सही को गलत समझ लेना। सत्य को असत्स और असत्य को सत्य समझ लेना। केवल समझ ही नहीं लेना बल्कि अपनी भ्रांत समझ पर डटे रहना, अड़ जाना और उस पर दृढ़ हो जाना। यही विपरीत ज्ञान है। उदाहरण के लिए अपनी आंतरिक स्थिति से हम पूरी तरह संतुष्ट जान पड़ते हैं और वाह्य स्थिति से असंतुष्ट। हमें स्वयं का कोई पता नहीं। हममें से अनेक लोगों का भीतरी जीवन घृणा, क्रोध, झूठ, मूढ़ता, बेईमानी, चालाकी और अन्य नकारात्मक गुणों से भरा हुआ है, पर उससे हम पूरी तरह संतुष्ट होते हैं। इसीलिए उसमें सुधार लाने का हमें ख्याल भी नहीं आता है।

अपनी व्यवस्था से, जिस पद पर हम आसीन है, उससे हम तनिक भी संतुष्ट नहीं। इसलिए उसे सुधारने के लिए हम सदा प्रयत्नरत रहते हैं वह विपरीत ज्ञान है। सही ज्ञान तो यह होता कि अपनी वाह्य स्थिति से हम संतुष्ट होते और शेष सारा समय, सारी ऊर्जा अपनी आंतरिक स्थिति को सुधारने में, अपने अज्ञान और असहजता को दूर करने में लगाते। अपनी दशा को बदलने का कम और 'दिशा' को बदलने का अधिक प्रयास करते। प्रायः हम अपनी तारीफ करने वालों से प्रसन्न होते हैं और आलोचना करने वालों से नाराज। यदि कोई हमारी निंदा करे तब तो हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। यही कारण है कि चापलूसी हमें भाती है। अव्वल तो सौ में से नब्बे मौकों पर तारीफ झूठ ही होती है, पर यदि वह सत्य भी हो तो भी उससे कोई भी लाभ नहीं। जबकि निंदा यदि झूठ हो तो उससे कोई भी हानि नहीं। यदि वह तनिक भी सच हों, तब तो उससे हमें लाभ ही लाभ है। अपनी कमी, अपनी भूल हमें पता चल जाएंगी और हम उसे सुधार सकेंगे। प्रशंसा से हमें कभी कोई लाभ नहीं होता और निंदा या आलोचना से कभी कोई हानि नहीं होती।

नीलामी का मकान खरीदते समय सावधानियां

एच.के. सिंह (पिता रवि कुमार सिंह, प्रबंधक)
पूर्व महाप्रबंधक, कोल इंडिया

आज हर व्यक्ति का एक ही सपना होता है कि उसका अपना एक मकान हो। जीवन में शिक्षा प्राप्ति के बाद कैरियर बनाने और विवाह के पश्चात हर एक व्यक्ति एक मकान बनाने की तलाश में रहता है। कुछ लोग जमीन का टुकड़ा लेकर घर बनाते हैं। तो कुछ लोग फ्लैट आदि खरीदते हैं। जिसके लिए प्रायः बैंकों से ऋण लिया जाता है। अधिकतर बैंक ऋण देते समय इस फ्लैट (संपत्ति) को गिरवी रख लेते हैं

और ऋण चुकने के पश्चात ऋण मुक्त करते हुए एक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग नौकरी छूटने, व्यापार घाटा या दिवालिया होने के कारण ऋण नहीं चुका पाते। ऐसे में बैंक या ऋणदाता संस्थान इन संपत्तियों यानि मकानों की नीलामी कर देते हैं। नीलामी में बिकने वाले घर/मकान प्रायः बाजार दर से काफी कम कीमत पर मिल जाते हैं। ऐसे मकानों की कीमत कम होने के कई कारण होते हैं। पहला तो यह कि ज्यादातर लोग इस मकान के विवादित मानते हैं और कानूनी दांव–पेंच में फंसने से डरते हैं अतः खरीद के लिए आगे नहीं आते। बहुत सारे लोग ऐसी संपत्ति को शुभ–अशुभ मानते हुए नहीं खरीदते, जिनके स्वामी को व्यापार में घाटा हुआ हो या उसका स्वास्थ्य खराब हुआ हो या मृत्यु हो गई हो। इसके साथ ही ऐसी खरीददारी पर एक साथ घोषित रकम चुकानी होती है चेक/ड्राफ्ट आदि से। अतः काले धन का इस्तेमाल करने वाले भी पीछे हट जाते हैं। यही कारण है कि नीलामी में प्रायः संपत्तियां सस्ती मिल जाती हैं। ऐसे में काफी लोग ऐसे नीलामी वाले घर खरीद लेते हैं।

अपने घर का सपना पूरा करने के लिए लोग जीवनभर की कमाई लगाने को तैयार रहते हैं। महंगाई जिस तरह से बढ़ती जा रही है उसको देखते हुए अपने घर का सपना बेहद मुश्किल होता जा रहा है। हालांकि, इसके बावजूद नीलाम हो रहे घर का सौदा आप बाजार भाव से 10 से 20 फीसदी सस्ते में प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर बैंक इस तरह की नीलामी करते हैं। इसके लिए आपको कम समय में पैसे का इंतजाम करना पड़ता है। इस तरह की संपत्ति के लिए कुछ जरूरी पड़ताल भी करनी होती है जिसमें अन्य बातों के साथ यह देखना न भूलें कि उस संपत्ति पर पहले से कोई बकाया तो नहीं है।

कैसे मिलेगी जानकारी – इसकी जानकारी आप अखबार में छपे विज्ञापन से जुटा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति घर खरीदने के लिए कर्ज लेता है और वह मासिक किस्त (ईएमआई) लगातार तीन माह तक नहीं देता है तो बैंक वैसे घर को नीलाम कर देते हैं। बैंक इसकी जानकारी कर्ज लेने वाले को देते हुए दो माह का अतिरिक्त समय देते हैं और उसकी ओर से कोई आपत्ति नहीं होने पर संपत्ति को कानून के तहत अपने कब्जे में ले लेते हैं। बैंक यह कदम सिक्योरटाइजेशन एंड री–कंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड इंर्फोसमंट ऑफ सिक्यूरिटी इंट्रेस्ट (एसएआरएफएईएसआई) के तहत उठाते हैं। इस नियम के मुताबिक इस तरह की संपत्ति को नीलाम करने के लिए एक अंग्रेजी के अखबार और एक क्षेत्रीय भाषा के अखबार में सूचना देनी होती है। इसमें नीलामी की तारीख आमतौर पर 60 दिन की सीमा समाप्त होने के 30 दिन बाद की होती है। इसमें संपत्ति और उसे नीलाम करने की प्रक्रिया की पूरी जानकारी होती है। इसमें संबंधित संपत्ति की न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रिजर्व), उसपर बकाया राशि, नीलामी जीतने पर भुगतान की प्रक्रिया की चर्चा होती है। आप अखबारों के साथ ही ऑनलाइन नीलामी (ई–ऑक्सन) पोर्टल पर भी इससे जुड़ी जानकारी जुटा सकते हैं। इसमें भी संपत्ति के नीलामी के समान प्रक्रिया होती है। कस्बों एवं ग्राम स्तर पर ऐसी संपत्तियों की सूचना ग्राम पंचायत एवं तहसील कार्यालय से पटवारी एवं तहसीलदार तथा नीलामकर्ता बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ऐसी बिक्री में एजेंट सक्रिय रहते हैं, हांलाकि इनका मकसद संपत्ति बिकवाना एवं अपना

कमीशन प्राप्त करना होता है, अतः इन पर पूरी तरह से भरोसा न करके विश्वसनीय स्रोतों से ही जानकारी जुटानी चाहिए।

पिछला बकाया जरूर देखें – अधिकांश लोगों के द्वारा नीलामी

में मकान खरीदने का मकसद सस्ता सौदा होता है। ऐसे में यह जरूर देखें कि संबंधित संपत्ति पर पहले से किसी तरह का बकाया तो नहीं है। इसमें नगर निगम का टैक्स, बिजली–पानी का बिल और सोसायटी का बकाया शुल्क भी शामिल है। इसके आधार पर ही मकान की सही कीमत का आकलन कर सकेंगे और उसके मुताबिक बोली लगा सकेंगे। इनसे संबंधित कार्यालयों में भौतिक रूप से जाकर या फिर इनकी वेबसाइट से सभी बकायों की जानकारी अवश्य जुटाई जानी चाहिए। प्रायः ऐसे मकानों में बिजली, पानी एवं संपत्ति कर अपटूडेट जमा नहीं होते हैं। लोग इनके भी डिफाल्टर होते हैं। यह भी पता करलें कि उस व्यक्ति ने मकान के नाम पर किसी अन्य से तो छोटा–मोटा ऋण नहीं ले रखा, अन्यथा वह व्यक्ति या पार्टी बाद में दावेदारी के लिए खड़ी हो सकती है। यद्यपि बिना पक्की लिखा–पढ़ी के वह ऋण गैर कानूनी होता है तथापि वह व्यक्ति आपको मुकदमेबाजी में तो उलझा ही सकता है।

पर्याप्त राशि की व्यवस्था जरूरी – संपत्ति की पहचान कर लेने के बाद बैंक की ओर से दिए नीलामी के फॉर्म भरने के साथ शुल्क भी जमा करना होता है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपको संपत्ति को जरूर देखना चाहिए और बैंक आमतौर पर इसकी व्यवस्था कर देते हैं। बैंक नीलामी में भाग लेने के लिए मकान के आरक्षित मूल्य का 10 फीसदी रकम जमा करवाते हैं। यदि कर्ज लेने वाला व्यक्ति (यानि की संपत्ति का मालिक) नीलामी की तारीख के 30 दिन के भीतर बैंक को रकम वापस लौटा देता है तो नीलामी रद्द भी हो सकती हैं।

नीलामी रद्द होने पर आपके द्वारा जमा की गई यह राशि आपको वापस कर दी जाती है। कई बार मकान की कीमत ज्यादा बोलीदाताओं की वजह से आरक्षित मूल्य से बढ़ भी सकती है। यदि बोली आप जीत जाते हैं तो उसी दिन कुल कीमत का 25 फीसदी हिस्सा जमा करवाना पड़ता है लेकिन वास्तव में यह 15 फीसदी ही होता है क्योंकि पहले आप 10 फीसदी जमा करवा चुके होते हैं। बाकी रकम अगले 30 दिन में जमा करवानी पड़ती है जिसके लिए आप सुविधानुसार किसी भी बैंक से होम लोन ले सकते हैं। यदि नीलामी की राशि आरक्षित मूल्य से अधिक है तो उसी के मुताबिक शुरूआती भुगतान की राशि भी बढ़ सकती है। यदि 25 फीसदी राशि का भुगतान करने के बाद किसी वजह से बाकी 75 फीसदी बकाया चुका पाने में असफल रहते हैं तो वह पहले चुकाई गई रकम बैंक जब्त कर लेते हैं। इसके लिए आपको पहले से रकम की व्यवस्था करनी चाहिए। इस बारे में ऋणदाता बैंक से पहले ही बात कर लेनी चाहिए कि आप अमुक संपत्ति खरीद रहे हैं, जिस पर आपको एक निश्चित अवधि के भीतर ऋण की राशि दी जाए। ऐसे मामलों में बेहतर यह होता है कि आप नीलामीकर्ता बैंक से ही ऋण प्राप्त करने की कोशिश करें; क्योंकि उनके पास पहले से ही सारी जानकारी उपलब्ध होती है और पर्याप्त समर्थक दस्तावेज भी होते हैं, जिन पर आपका मालिकाना हक कायम होना होता है। वे बैंक दूसरों की अपेक्षा आपको जल्दी ऋण देने में सहायक हो सकते हैं।

दस्तावेज की करें पड़ताल – संपत्ति के मामले में कई तरह के कानूनी पचड़े भी होते हैं। हालांकि, बैंक की ओर से नीलामी होने की स्थिति में इसकी आशंका कम होती है। इसके बावजूद दस्तावेज की जांच के लिए अपने बैंक और वकील की सहायता लेना फायदेमंद हो सकता है। हालांकि अपने देश में मकान आदि खरीदने हेतु वकील से सहायता लेने की परंपरा न के बराबर है, तथापि ऐसे मामलों में एक अनुभवी वकील की सहायता अवश्य प्राप्त करें। वह आप को सभी कानूनी पक्षों की राय देगा।

नीलाम संपत्ति के लिए ले सकते हैं आवास ऋण – जैसा कि हमने पहले ही चर्चा की है कि इस तरह की संपत्ति के लिए भी आवास ऋण मिलता है। सामान्य स्थिति बैंक घर की कीमत का 80 फीसदी तक कर्ज देते हैं। लेकन यहां आपको 25 फीसदी राशि पहले ही जमा करनी पड़ती है जिसके लिए आप सावधि जमा (एफडी), सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी) में निवेश का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी 75 फीसदी राशि के लिए नीलामी करने वाले बैंक या जिस बैंक के आप पहले से ग्राहक हैं उस बैंक से होम लोन सुविधा के मुताबिक ले सकते हैं। इस तरह की संपत्ति पर लोन के लिए जांच की प्रक्रिया थोड़ी सख्त है और इसके लिए आपको संपत्ति से जुड़े हर तरह के दस्तावेज देने पड़ते हैं। इसमें संपत्ति पर मालिकाना हक, सोसायटी से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) और अन्य दस्तावेज इसमें शामिल हैं। यदि आप दूसरे बैंक से होम लोन लेना चाहते हैं तो नीलामी करने वाले बैंक से भी एनओसी लेनी पड़ती है।

यदि आपके पास पहले से ही आपके नाम/खरीददार के नाम कोई दूसरी ऐसी प्रापर्टी है जिसे आप बैंक के पास गिरवी/मार्टगेज करके उतनी रकम जुटा सकते हैं जितनी की नीलामी छूटने पर देनी है तो बैंक आपको आसानी से ऋण दे सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि नीलामी से मकान खरीदने के पहले उसके सभी विकल्पों का गहन अध्ययन एवं जांच–पड़ताल अवश्यक कर लेना चाहिए। ताकि नीलामी से खरीदा गया मकान बाजार भाव से थोड़ा सस्ता भी पड़े और वह सभी कानूनी एवं वित्तीय बाधाओं से मुक्त भी हो।

ऐसे मकान जहां थोड़े सस्ते पड़ते हैं, वहीं ये नए मकान की अपेक्षा सभी प्रकार की सुविधाओं से लैस होते हैं। प्रायः उसका पहला मालिक बाथरूम, टायलेट एवं किचन आदि के तमाम कामों के साथ सभी कमरों एवं खुली जगहों को पीओपी, टाइलिंग तथा तमाम फिक्सचरि लाइटिंग आदि का काम करा चुके होते हैं। खरीदने से पहले आप इन तमाम फिटिंग्स की भी जांच कर लें। कई लोग कुछ अस्थाई सामान एवं फिटिंग्स उखाड़ लेते हैं और कई लोग छोड़ देते हैं। आम तौर पर ऐसा घर खरीदने के बाद साफ–सफाई करने एवं रंगाई–पुताई पूरी करने के साथ ही रहने लायक हो जाते हैं। इस प्रकार ऐसे मकान जहां थोड़ा सस्ते पड़ते हैं वहीं जल्द ही रहने लायक भी होते हैं। बस हां, खरीददारी से पहले और खरीददारी के समय थोड़ी भाग–दौड़ चौकसी एवं ठीक से जांच पड़ताल की मेहनत जरूर लगती है, पर एक नया घर बनाने, उसे सज्जित करने से तो कम ही समय एवं पैसा लगता है। यदि ऐसा है तो ऐसे नीलामी वाले मकानों को खरीदने में क्या हानि है। यह एक प्रकार से फायदे का ही सौदा होता है।

कानून

डा0 जी.एन. सोमदेवे
सहायक महाप्रबंधक

(आईपीसी धारा 375–376, अपराध कानून (संशोधन) अधिनियम, 2013 तथा आईपीसी की धारा 90 के साथ पठनीय)

शिक्षा के कारण स्त्रियों में बहुत बदलाव आया है मगर भारतीय पुरूष अपनी मानसिक बनावट बदलने के लिए तैयार नहीं है। महिलाओं के देह–दमन के अशोभनीय समाचार हमें निरंतर पढ़ने को मिलते हैं। स्वाबलंबी तथा शिक्षित महिलाओं को दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। आज स्त्रियां बचाओ–बचाओ की चिल्लाहट तथा अस्मत के बदले इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। क्या किसी सभ्य संस्कृति में इसकी अपेक्षा की जा सकती है क्या हो गया है हमें क्या ये शर्मनाक घटनाएं हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम नहीं कर रही हैं मुखियाओं की जिम्मेदारी है इस स्थिति पर काबू पाने की। अतः जहां–जहां भी मुखियाओं का वर्चस्व है वहां–वहां स्थिति काबू में होनी चाहिए। छोटी–छोटी बच्चियों ने क्या बिगाड़ा? क्या हमारा विवेक शून्य हो गया है संविधान के मौलिक अधिकार स्त्री पुरूष के लिए बराबर होने चाहिए। न्याय के सिद्धांतों से समाज को नहीं चलाया जा सकता। सामाजिक सोच बदलनी होगी। अपने आस–पास जो घटित हो रहा है उस पर सतर्क नजर रखनी होगी, क्राइम रिपोर्टिंग करनी होगी। अपने से छोटों पर ममतामई सुरक्षा की चादर बिछी रहे इस सोच का विकास करना होगा। आज सोशल मीडिया जागृत है। रेप, बलात्कार, अत्याचार जैसी घिनौनी हरकतों का उचित और समय रहते जवाब देना जरूरी है। यह पुरूषों के लिए लिंग (जेंडर) वर्चस्व की लड़ाई महंगी पड़ने वाली है क्योंकि स्त्रियां अब जागृत हो चुकी हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे 'मेकअप' करने वाले कानून अब अप्रासंगिक है। क्रिमिनल लॉ संशोधन अधिनियम 2013 के लागू होते ही स्थितियां बदल जानी चाहिए थी मगर ऐसा न हो सका। आईए जानिए बलात्कार, एसिड अटैक तथा रेप संबंधी कानूनी प्रावधान क्या हैं :

1. रेप

- महिला के साथ किया गया यौनाचार या दुराचार रेप के दायरे में आते हैं।
- किसी महिला के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना
- महिला के शरीर के किसी भी हिस्से में प्राइवेट पार्ट डालना

- महिला के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़

2. सहमति/असहमति

- नाबालिग लड़की की सहमति अमान्य
- किसी महिला की जबरन सहमति प्राप्त करना
- किसी महिला को डरा धमकाकर सहमति प्राप्त करना
- महिला को शादी का धोखा देकर सहमति प्राप्त करना
- आरोपी महिला का पति है परंतु क्रूर अत्याचार करना
- घर या मंदिर में चुपचाप मांग में सिंदूर भर देना
- वरमाला पहनाकर पति बन जाना
- समाज के सामने शादी का वादा करना
- महिला की सहमति के वक्त उसकी मानसिक हालत ठीक न होना
- महिला को नशा कराकर संबंध बनाना
- महिला विरोध न कर पाए तब संबंध बनाना
- शादी का झांसा देकर संबंध बनाना

3. उम्र का महत्व

- 10वीं के सर्टिफिकेट में दर्ज उम्र
- पहली कक्षा के सर्टिफिकेट में दर्ज उम्र
- पंचायत या कारपोरेशन का जन्म का दाखिला
- बोन एज टेस्ट – 14 से 18 की रेंज को 18 माना जा सकता है।
- जो लड़की बालिग है, अगर वह संबंध बनाने की सहमति देती है तो कानूनन वह रेप नहीं माना जाएगा।
- पति से अलग रहने वाली शादीशुदा पत्नी से पति जबरन संबंध बनाए तो वह रेप है।

- 15 साल से कम उम्र की पत्नी से बनाया गया संबंध रेप है।

4. सबूत

- आरोपी को बचाव का मौका है। बेगुनाही का सबूत और साक्ष्य जरूरी है।
- महिला के विरूद्ध किए सभी अपराध संज्ञेय अपराध है जिसमें गिरफ्तारी होती है।
- अपराध की प्राथमिकी (एफआईआर) थाने में दर्ज होते ही तुरंत कार्यवाही होती है।
- आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं। केस के मेरीट के आधार पर कोर्ट से जमानत का प्रावधान है।
- लड़की का भरोसेमंद बयान सबसे बड़ा सबूत है फिर किसी सबूत की जरूरत नहीं।
- अगर मेडिकल रिपोर्ट रेप की पुष्टि करती है तथा अन्य परिस्थिति अन्य साक्ष्य है तब लड़की का बार–बार बयान बदलना कोई माइने नहीं रखता। केस साबित होगा।
- केस को अधिक पुख्ता करने के लिए सीसीटीवी की फुटेज, कोई मैसेज, ई–मेल आदि को मान्यता है।

5. लिव इन रिलेशनशिप

- जानबूझकर प्रेमी को फंसाना गैर कानूनी है।
- लिव इन रिलेशनशिप में रहना अपराध नहीं है।
- बालिग को शारीरिक संबंध बनाने का अधिकार है।
- बालिग होने का फायदा उठाकर किसी पार्टनर को धोखा देना अपराध हे।
- सजा से बचने के लिए शादी करने का प्रस्ताव देना रेप आरोपो से बचने का उपाय नहीं है।
- अफेयर समाप्त होते ही रेप का आरोप लगाना गलत है।
- कामुकता से भरा रिश्ता रखना गलत है।
- शादी का वादा तोड़ना गलत है।
- पैसे उगाहने, परेशान करने पर बदला लेने के लिए रेप केस में फंसाना गलत है।
- आरोप लगाने से पहले फरियादी को सही गलत का फैसला खुद ले लेना चाहिए।
- प्यार का नाटक कर संबंध बनाना धोखा है।
- किसी भी तरह का गलत कार्य होते ही जीवन में कानून की एंट्री होती है यह ध्यान में रखना जरूरी है।

6. सजा

- सात साल या उम्र कैद भी संभव है।
- लड़के ने धोखा दिया तो आईपीसी की धारा 493 के अंतर्गत केस बनने पर 10 वर्ष की सजा संभव।
- आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत भी 7 साल की सजा।
- रेप के कारण लड़की की मृत्यु होने जैसी स्थिति होने पर फांसी संभव।
- 376 डी के प्रावधानों के अनुसार गैंग रेप में कम से कम 20 वर्ष की सजा या उम्र कैद संभव
- आदतन रेपिस्ट को धारा 376 ई के अंतर्गत उम्र कैद या फांसी संभव।
- सरकारी कर्मचारियों द्वारा जानबुझ कर अपराध रिकार्ड न करने पर – छह माह से 2 वर्ष तक कठोर कारावास, दंड सहित।
- रेप पश्चात मृत्यु – 20 वर्ष कठोर कारावास।
- गैंग रेप – 20 वर्ष या उम्र कैद कठोर कारावास।
- सैनिकों द्वारा रेप – कम से कम 7 वर्ष कठोर कारावास या उम्र कैद।
- अस्पताल/डाक्टरों की लापरवाही – 1 वर्ष का कारावास और/अथवा दंड (पुलिस को सूचित करना अस्पताल/डाक्टरों की जिम्मेदारी)
- एसिड अटैक – 10 वर्ष कारावास या दंड सहित – दंड राशि पीड़िता को देय।
- महिलाओं का पीछा करना – प्रथम बार 1 से 3 वर्ष का कारावास (जमानत है), द्वितीय बार 5 वर्ष का कारावास (जमानत नहीं)।
- अश्लील कमेंट/स्त्री अपमान का प्रयास – 1 वर्ष का कारावास और/अथवा दंड (गैर जमानती)
- महिलाओं की ताकझांक करना – प्रथम बार 1 से 3 वर्ष कारावास तथा दंड, द्वितीय बार 3 से 7 वर्ष का कारावास
- विवाहित पत्नी से रतिक्रिया – यदि पत्नी की उम्र 16 वर्ष से अधिक है तो अपराध नहीं माना जाएगा।

एसिड अटैक, सेक्स तथा रेप संबंधी अपराध रिकार्डिंग महिला अधिकारी करेगी। न्याय के मजिस्ट्रेट बयान नोट करेगा। इस बयान का साक्ष्य दस्तावेज माना जाएगा। अपराध का ट्रायल दैनिक आधार पर होगा। 2 माह में ट्रायल पूर्ण हो जाना चाहिए। किसी भी थाने में रात 8:00 बजे के बाद महिला को नहीं रोका जा सकता। किसी भी महिला की गिरफ्तारी रात्रि 8:00 बजे के बाद नहीं होगी। प्रत्येक जांच–पड़ताल एवं गिरफ्तारी आदि महिला पुलिस की उपस्थिति में ही की जा सकती है।

(लेखक कानून में दिल्ली विश्वविद्यालय से पी.एच.डी. है तथापि लेख में कोई त्रुटि रह गई हो तो लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है।)

पर्यावरण और हम

संजीव कुमार सिंह
उप प्रबंधक

पूरी दुनिया भर में, बीसवीं शती के उत्तरार्ध एवं इक्कीसवीं सदी के प्रारंभ के दशक में पर्यावारण का क्षरण एवं प्रदूषण सबसे बड़ी एवं भयानक समस्या बनकर उभरे हैं। पर्यावारण का क्षरण एवं बढ़ता प्रदूषण न सिर्फ मानव जगत के लिए बल्कि समस्त जीव जगत के लिए खतरा साबित हो रहा है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र लगातार सम्मेलन कर आम राय बनाकर सभी राष्ट्रों की जिम्मेदारियां तय करने का प्रयास कर रहा है लेकिन विकसित और विकासशील देशों के बीच कई मामलों में सहमति नहीं बन पा रही है। हां निजी स्तर पर सभी देश काम कर रहे हैं और वन एवं पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में प्रयत्नशील हैं। भारत में यह काम वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का है।

हमारे देश में पर्यावरण विभाग की चर्चा अमूमन पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी पहलकदमियों को लेकर नहीं, बल्कि इस बात को लेकर होती है कि कहां किस उद्योग को मंजूरी दी और कब किसको मना कर दिया। हालांकि यह मंत्रालय बनाने के पीछे सरकार की मंशा देश के पर्यावरण को बचाने के लिए गंभीर पहल करने की थी। इस विभाग ने बतौर फैशन वे सभी कार्य किए जिनसे इसे रोड़े अटकाने वाले विभाग के रूप में जाना जाए। देश की कई बड़ी योजनाएं इसलिए आगे नहीं खिसक पाती; क्योंकि उन्हें हरी झंडी नहीं मिलती। उदाहरण के लिए कई राष्ट्रीय राजमार्ग और गांवों की सड़कें इसलिए अधर में लटकी हैं कि पर्यावरण विभाग की स्वीकृति नहीं है।

मसलन, एकाध को छोड़कर देश की तमाम नदियों के मरने और बीमार हो जाने की सूचनाओं पर यह विभाग कभी सक्रिय नहीं दिखता। जबकि इस दिशा में तुरंत एवं सख्त रवैया एवं कार्यवाही की जरूरत है। हाल में कुछ जागरूक लोगों ने देश भर की 27 नदियों के हालात का जायजा लिया। ये नदियां पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों का हिस्सा है और या तो ये नालों में बदल गई हैं या फिर इनका अस्तित्व ही समाप्तप्राय है। बनारस में वरुणा नदी का यह हाल है कि इस गंदे नाले को वरूणा के नाम से संबोधित करने में भी हिचकिचाहट होती है। पश्चिम बंगाल की महानंदा ही नहीं, देश की कई नदियां जैसे सोन, वालसन, पार्वती, मालना आदि अभी लुप्त होने के कगार पर है। ठीक इसी तरह दिल्ली के ओखला बैराज से निकलने के पश्चात यमुना नदी वर्ष के छह महीनों तक मरणासन्न रहती है। यमुना की यह स्थिति आगरा तक रहती है क्योंकि इस बीच कोई बड़ी नदी इसमें नहीं मिलती और रहा–सहा पानी ये शहर खींच लेते हैं। यदि आगरा के बाद चंबल एवं पंचनद का पानी न मिले तो यमुना कब की खत्म हो चुकी होती।

क्या विभाग के पास इन नदियों के हालात का कोई लेखा–जोखा है, या मात्र इस हिस्से की जानकारी है कि किस नदी पर वर्तमान में कितनी जल विद्युत योजनाएं बनाना संभव है? इन योजनाओं का भविष्य तो वैसे भी नदियों की क्षमता पर ही निर्भर करता है, जो प्रायः हर जगह ही समाप्ति की ओर है। विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि वह इन नदियों के संरक्षण के लिए ठोस निर्णय ले। जरूरी है कि नदियों के संरक्षण के कार्य से शहर और गांव दोनों जोड़े जाएं और इसमें आम आदमी की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

यह भी आश्चर्य की बात है कि विभाग वनों की हालत के प्रति गंभीर नहीं है। अगर ऐसा होता तो वनों के क्षेत्रफल की ऐसी दुर्गति नहीं होती। आज देश का एक भी मैदानी राज्य ऐसा नहीं है जो 33 प्रतिशत वन क्षेत्र की कसौटी पर खरा उतरता हो। बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में वन मात्र क्रमशः 7.8, 5.9 और 14 प्रतिशत बचे हैं। पिछले कुछ सालों में वनों के क्षेत्रफल में तो कमी आई ही है, इसके साथ ही इनमें मौजूद पेड़–पौधों की प्रजातियों की गुणवत्ता भी प्रभावी रूप से बिगड़ चुकी है। दूर–दराज के जंगलों की बात तो बहुत दूर की है, यहां दिल्ली के आस–पास एवं अरावली के पहाड़ और जंगलों के साथ जिस तरह से अतिक्रमण और खुदाई की जा रही है, वह दीपक तले अंधेरा की कहावत का चरितार्थ करता है।

चौड़ी पत्ती के वन हिमालय से लेकर मैदानी राज्यों तक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए। गंगा–यमुना बेसिन में साल के मिश्रित वनों की जगह कीकर, बेर और प्रोसेजिस जैसी कंटीली प्रजातियों ने ले ली है। पूरा पारिस्थितिकी तंत्र इससे प्रभावित हुआ है। मिट्टी–पानी–वायु वनों के पहले उत्पाद हैं। वनों के घटने का सीधा असर इन जीवनदायी अवयवों पर पड़ा है। घोषित वन क्षेत्र वर्तमान में या तो वनविहीन हैं या फिर इस तरह की प्रजातियों से घिरे पड़े है जिनका पारिस्थितिकी या आर्थिकी को कोई लाभ नहीं है। पर्यावरण मंत्रालय के पास शायद ही कोई ऐसा आंकड़ा हो जो यह बता सके कि वनविहीन वनभूमि की आज क्या हालत है और उसका पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या असर पड़ रहा है। यहां पर यह भी प्रश्न उठता है कि क्या यह विभाग नदियों, पहाड़ों, वनों की बजाय दिल्ली जैसे शहरों के वातानुकूलित दफ्तरों से बैठकर ही हवाई काम करके खाना–पूर्ति करता है या फिर जमींनी स्तर पर भी इसकी पहुंच है।

जंगल, मिट्टी, पानी के हालात के प्रति पर्यावरण विभाग की उदासीनता का अंदाजा इस बात से भी होता है कि उसने न तो कभी राज्यों पर इनका विस्तृत लेखा–जोखा देने का दबाव डाला और ना ही राज्यों में स्वतंत्र पर्यावरण विभागों की पैरवी की। इन विभागों का मकसद उद्योगों को 'प्रदूषण मुक्त' का लाइसेंस देने तक ही सीमित नहीं था बल्कि जंगल–मिट्टी–पानी–नदी का विधिवत ब्यौरा तैयार करने और उनकी बेहतरी के लिए किए जाने वाले उपायों की समीक्षा करना भी था। इस दिशा में तुरंत ही नवाचारी कदम उठाकर मंत्रालय की कार्यशैली में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इसे उपग्रहों की मदद के साथ–साथ स्थानीय एजेंसियों के साथ सघन निगरानी कर चप्पे–चप्पे पर न केवल नजर रखनी होगी, बल्कि किसी भी अतिक्रमण, उल्लघंन की दिशा में सही, सार्थक एवं ठोस कदम उठाकर प्रकृति एवं पर्यावरण में होने वाले

क्षरण के प्रति 'जीरो टालेंरस' की प्रवृत्ति अपनानी होगी।

हम सभी देशवासी वनों और नदियों को भोगना अपना अधिकार समझते हैं, पर इनकी बेहतरी में कोई भागीदारी नहीं करते। यह सरकार की भी जिम्मेवारी है और आम आदमी की भी। ऐसा इसलिए है क्योंकि या तो हम आने वाले संकटों से अनभिज्ञ हैं या फिर उन्हें नकार रहे हैं। हम भूल रहे हैं कि इनसे उत्पन्न होने वाला किसी भी तरह का असंतुलन हमारे पूरे आर्थिक और पारिस्थितिकी तंत्र को हिला देगा। आज इस दिशा में जन–जन को गंभीरता से जागरूक करने की आवश्यकता है। इसे प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर लागू करके एक आंदोलन एवं अभियान बनाने की जरूरत है।

आज पूरे बाजार का 70–75 प्रतिशत हिस्सा वनों से आने वाले प्राकृतिक उत्पादों के इर्दगिर्द घूमता है। इसके असंतुलन का सीधा असर पूरे तंत्र पर पड़ेगा। वर्तमान परिस्थितियों में पर्यावरण विभाग महज योजनाओं को पास करने या रोकने वाला विभाग नहीं होना चाहिए। इसका दायित्व देश के जंगल, मिट्टी, पानी, वायु के हालात को बेहतर बनाना है। ऐसे में जरूरी है कि इस विभाग के कार्यों, जिम्मेदारियों, प्राथमिकताओं और चुनौतियों का निर्धारण भी नए सिरे से किया जाए। विकास से सुविधाएं जुड़ी हैं, लेकिन पर्यावरण से तो प्राण जुड़ा है। सुविधाओं की तुलना में प्राण निश्चित रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

हाल ही में गठित नई सरकार से इस दिशा में बहुत अधिक उम्मीदें हैं। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम स्वागत योग्य है जैसे कि जल संसाधन, परिवहन, वन व पर्यावरण विभाग आदि का एक साथ मिलकर काम करना। इससे न सिर्फ परस्पर समन्वय बढ़ेगा, बल्कि यह भी ज्ञात रहेगा कि कौन सा विभाग किस परियोजना को कहां, कब एवं कैसे कार्यरूप दे रहा है। वातावरण, भूमि, जल एवं जनता पर उसके क्या अच्छे एवं बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। परियोजना से कुल मिलाकर लाभ अधिक है या हानि। इसके साथ ही सालों की स्वीकृति एवं पारित होने में होने वाली देरी से भी निजात मिलेगी। इसके साथ इन सभी मंत्रालयों पर पीएमओ की नजर एवं निगरानी भी जहां पारदर्शिता को बढ़ाएगी, वहीं इन सभी मंत्रालयों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए अपने कामों को कई बार मूल्यांकित करने के लिए प्रेरित करेगी ताकि किसी भी प्रकार की गलतियों एवं असफलताओं से बचा जा सके।

प्रधानमंत्री एवं उनके अन्य मंत्रीगण प्रायः इस बात पर बल दे रहे हैं कि देश का विकास हो और उसमें गुणात्मकता एवं गुणवत्ता का ध्यान अवश्य रखा जाए। नई सरकार पर्यावारण के प्रति जागरूक है, ऐसा बार–बार परिलक्षित हुआ है। हाल ही में पर्यावरण को ध्यान में रखने के साथ–साथ कई परियोजनाओं को स्वीकृत प्रदान की गई है और गंगा स्वच्छता अभियान के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत की अन्य मरणासन्न नदियों को नया जीवन दिया जाएगा। ऐसा करना अत्यंत जरूरी भी है क्योंकि भारत के अधिकांश शहर, नगर एवं कस्बे इन्हीं नदियों के तटों पर बस कर फल–फूल रहे हैं। यदि शहरों को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाना है तो नदियों को साफ, स्वच्छ कर नया जीवन भी देना होगा। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक–दूसरे के पूरक भी। हम सभी का जीवन नदियों से पर्याप्त करीब से जुड़ा एवं निर्भर है।

चेतना

तुम समझते हो आंखे देख रही है, हाथ हिल रहे हैं, पैर चल रहे हैं और कान सुन रहे हैं तो तुम गलत हो। वह तो अंदर की चेतना है जो हलचल कर रही है वरना मुर्दे को भी आंख, हाथ, कान और पैर होते हैं। जिस दिन चेतना लुप्त हुई समझो चिर समाधि का वक्त आ गया। इसलिए चेतना को जागृत रखो। आगे यह चेतना ही तुम्हे होश के साथ संसार से विदा होने में सहायक होगी। अतः मन को स्थिर करो। यह विचारों का विशाल भंडारण मन के जिस कोने में रखा है उसे खाली करो। परमात्मा का अस्तित्व आकाश से भी परे है और मेरा तुम्हारा अस्तित्व मिट्टी के मोल भी नहीं। जिस दिन यह मिट्टी मोल की भावना मन में घिर जायेगी तुम्हारा बल्डप्रेशर नार्मल हो जाएगा। फिर तुम हाइपर न हो पाओगे। जतन करो, मनन करो और अपनी कार्यशैली को परिवर्तित करो। कर्म करो। शर्म करो। मन के विकारों को दूर करो। उत्तम गृहस्थी, सांसारिक अध्यात्म का सरल रास्ता है। नव सन्यास को अपनाओ तो पाओगे कि जीवन धन्य हो गया, आनंदमय हो गया, रोज दिवाली हो गई और पंचरंगी होली आ गई।

मां ज्ञान सुमन

संघर्ष

पंकज चड्डा, प्रबंधक

आप इसे भाग्य का लिखा या फिर चाहे भगवान की इच्छा कहें लेकिन पिछले वर्ष के अंतिम सप्ताह (दिन रविवार) को मेरी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जिनकी जीवन में संघर्ष तथा हार ना मानने की आदत से मैं बहुत अचंभित तथा प्रभावित हुआ। हुआ ऐसे कि मेरी पत्नी, जोकि कॉलेज में प्रवक्ता है, को कॉलेज पत्रिका के लिए कुछ ऐसे लोगों का साक्षात्कार करना था जिन्होंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया हो, परन्तु हार ना मानी तथा अपनी मेहनत से सफलता की ऊंचाइयां प्राप्त की हों। इसके लिए मेरी पत्नी को अपनी अन्य सहयोगियों के साथ रविवार शाम को एक दंपति के पास जाना था, परन्तु कुछ आवश्यक कारणों से मेरी पत्नी के सह–अध्यापक ना जा सके। अतः मेरी पत्नी के कहने पर मुझे उनके साथ जाना पड़ा। रास्ते में मेरी पत्नी ने बताया कि वो एक ''नेत्रहीन पति–पत्नी'' का साक्षात्कार करने को जा रही है।

यह सुनते ही एक मिनट के लिए मैं मौन हो गया तथा अपनी पत्नी से पूछा कि क्या हमें उस नेत्रहीन पति–पत्नी के घर जाना है। इस पर मेरी पत्नी का जवाब सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा कि हमें उनके घर नहीं जाना यद्यपि वो दोनों एक निश्चित स्थान पर हमसे मिलेंगे। यह सुनकर मैंने अपनी पत्नी से थोड़े गुस्से में कहा कि वो लोग नेत्रहीन हैं कैसे पहुंचेगें? इसलिए हमें उनके घर जाना चाहिए था। इस पर मेरी पत्नी ने कहा कि यह फैसला उनका ही था। इसके बाद हम उस निश्चित स्थान पर जा पहुंचे जहां हमें उनसे मिलना था। यह स्थान था ''रघुबीर नगर स्थित नेत्रहीन विद्यालय''। वहां पहुंचने पर मेरे मन में अनेक प्रकार के सवाल तथा आशंकाएं उमड़ रही थीं। इतने में ही मैंने देखा कि एक नेत्रहीन पति–पत्नी बहुत ही सहज भाव से प्रवेश द्वार से अंदर आए। दोनों के चेहरों पर मुस्कान तथा आत्मविश्वास झलक रहा था तथा दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था।

अपनी पत्नी से मुझे पता चला कि नेत्रहीन दंपत्ति में पति इस नेत्रहीन विद्यालय में अध्यापक है तथा पत्नी सरकारी बैंक में कार्यरत है। मैं और मेरी पत्नी बात कर ही रहे थे कि वो जोड़ा हमारे करीब आ गया तथा विन्रम भाव से हमसे अभिवादन का आदान–प्रदान किया। सच मानिए उनके चलने के ढंग तथा हाव–भाव आम आदमी की तरह ही थे। हमने थोड़ी देर में उनके साथ साक्षात्कार प्रारंभ किया। जिज्ञासावश पहला सवाल जो उनसे पूछा कि ''आप कब से ऐसी हालात में हैं अथवा कब से नेत्रहीन हैं। उनकी पत्नी ने जवाब दिया कि वह बचपन से नेत्रहीन नहीं है। लगभग 4–5 वर्ष की आयु में डाक्टर द्वारा गलत दवाई दिए जाने के कारण उनकी आंखें खराब हो गईं तथा आंखों की रोशनी चली गई।

आपने आगे बताया कि प्रारंभ में तो उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे–धीरे उन्हें इसकी आदत हो गई। एक आम इंसान से एक नेत्रहीन की जिन्दगी किसी अभिशाप से कम नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। आपने नेत्रहीन विद्यालय में शिक्षा पूरी की तथा सरकारी नौकरी पाने की तैयारी की तथा बहुत ही मेहनत के साथ एक राष्ट्रीय कृत बैंक में कार्यरत हुईं। सच मानिए उनकी बात को सुनते हुए में महसूस कर सकता था कि उनमें हार न मानने का जज्बा बहुत अधिक था।

इसके बाद पति–पत्नी ने बताया कि नेत्रहीन होने के बावजूद भी वे दोनों अपने घर तथा बाहर के सारे कार्य बहुत ही आसानी से तथा अच्छी तरह से कर सकते हैं। यहां तक कि अपने बच्चे का लालन पालन भी एक आम इंसान कि तरह करते हैं। उनकी सब बातें सुनकर मैं हैरान रह गया कि इतनी परेशानियों के बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी तथा जिंदगी की सभी दिक्कतों का हिम्मत से सामना किया।

एक बात जो मैं उनकी कभी नहीं भूलूंगा वह थी उनका यह जवाब जब उनसे पूछा गया कि वे अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं तथा उनकी जीवन से उपेक्षा या कोई अधूरी इच्छा है। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने बोला कि अपने बच्चे से उनकी एक ही अपेक्षा है कि जो जिन्दगी में जो भी बने, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने तथा सभी लोगों को आदर व सम्मान दें। उन्होंने यह भी कहा कि जिन्दगी से उनकी कोई इच्छा नहीं है। वे दोनों पति–पत्नी पर्याप्त संतुष्ट हैं। वह बहुत खुश है तथा भगवान ने जो भी किया अथवा दिया है उसमें खुश है तथा भगवान का शुक्रिया करते हैं।

उस नेत्रहीन दंपत्ति से बात करते–करते कितना समय बीत गया, इसका पता ही नहीं चला। लेकिन अंत में मैंने उनसे बहुत मूल्यवान चीज़ें सीखीं – उनका आत्मविश्वास, विन्रमता तथा भगवान में अतुल्य विश्वास। हालांकि हम नेत्रयुक्त लोग उनके गुणों का कुछ प्रतिशत ही धारण कर सकें, तो मानव जीवन सार्थक हो सकता है।

मैं लोगों से यही कहूंगा कि हमें ऐसे लोगों से जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। सर्वप्रथम तो यह कि किन्हीं भी विषम परिस्थितियों में जिंदगी से हार न मानना। निरंतर संघर्ष के साथ आगे बढ़ना एवं सफलता प्राप्त करना। विनम्रता के साथ दूसरों को आदर व सम्मान देना। ईश्वर को दोष न देकर उस पर अपार श्रद्धा एवं विश्वास रखना। हम यही कहेंगे कि हम आंख वालों को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए; क्योंकि किस घटना एवं परिस्थिति में क्या हो जाए पता नहीं होता। हां अपनी मेहनत, लगन एवं यकीन और पक्का इरादा हो तो आदमी विषम परिस्थितियों में भी अपने लिए सार्थक मार्ग पा लेता है।

उम्र का पड़ाव

स्तुति ऋचा
उप प्रबंधक

अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का प्रसार एवं पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव के कारण हमारे देश के प्रौढ़ो और युवाओं की सोच में तेजी से बदलाव आया है। यह बदलाव घर–घर टी.वी. के अनेक चैनलों की पहुंच, सिनेमा, मीडिया एवं सोशल मीडिया तथा मोबाइल एवं लैपटाप आने के साथ–साथ तेजी से आया है। अब तो यह बदलाव हर 10 साल में एक पीढ़ी अंतराल की झलक दे रहा है। जहां एक दशक के अंतराल की पीढ़ी की सोच एवं कार्यशैली भिन्न होती है। आज पारस्परिक रिश्तों से अधिक जैसा ज्यादा ही महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि मामा–मामी, मां, बुआ और फूफा के रिश्ते तो दूर अपने माता–पिता एवं बहिन एवं बहनोई के साथ रिश्तों में तेजी से दूरियां बढ़ रही हैं। इसमें सबसे अधिक जो वर्ग प्रभावित हुआ है वह है वरिष्ठ वर्ग।

एक हिंदी कवि की कुछ पंक्तियों अनायास ही इस शीर्षक को सार्थक करती हैं –

भर गए पात, बिखर गई टहनी,
करूण कथा जग में क्या करनी,
नव कोपल के आते आते, टूट गए सबके नाते,
राम करे इस नव पल्लव को पड़े नहीं यह पीड़ा सहनी।

भारतवर्ष में बुजुर्गों के प्रतिशत में वृद्धि हुई है, इनका प्रतिशत 1961 में 5.63 से बढ़कर 8.03 प्रतिशत हो गई है और 2012 में मानव जनसंख्या की औसत आयु में सुधार हुआ है और इस सुधार के साथ एक चिंता भी उपस्थित हो गई है कि समाज में वृद्धों/बुजुर्गों से संबंधित समस्याएं क्या हैं एवं उन्हें उन व्याप्त समस्याओं को कैसे सुलझाया जाए। अपने बुजुर्गों की देखभाल एवं सुरक्षा से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं विकासशील देशों के लिए एक चुनौती बनकर खड़ी हो गई है।

संवेदनशीलता : समाज का यह वर्ग स्वयं को असुरक्षित अनुभव करता है एवं अत्यंत ही संवेदनशील होता है। दुर्बलता, असुरक्षा, शारीरिक परिश्रम में अक्षम, सुनने देखने में समस्या, सामाजिक बहिष्करण, इस प्रकार की कई सारी समस्याओं से यह वर्ग प्रतिदिन जूझता है। उम्र के इस पड़ाव में ज्यादातर लोग अपने बच्चों से संवेदनशीलता एवं ज्यादा देखभाल की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन आजकल के परिप्रेक्ष्य में यह संभव नहीं हो पाता, सभी के पास अपना जीवन एवं अपनी तनाव से भरी जिंदगी होती है और उस जीवन में किसी भी व्यक्ति को देने के लिए समय का अभाव होता है। अपने बच्चों के इस प्रकार की उदासीनता इन्हें और भी पीड़ा देती है। कई बुजुर्गों को अकेले रहने की बनिस्पत बच्चों के साथ रहना ज्यादा दुष्कर जान पड़ता है। लेकिन कई लोगों के पास कई विकल्प उपलब्ध नहीं होता। आजकल के आधुनिकीकरण एवं एकल परिवार के रूप ने बुजुर्गों के लिए पारिवारिक स्थान का क्षय किया है, और इस क्षरण एवं ह्रास ने वृद्धाश्रम जैसी संस्थाओं को जन्म दिया है।

यूं तो भारतवर्ष में सदैव संयुक्त परिवार की परंपरा रही है, जहां बच्चों के साथ–साथ बुजुर्गों की देखभाल व सम्मान भी होता था। यही कारण है कि यहां पर 'ओल्ड ऐज होम' या वृद्धाश्रम जैसी संस्थाओं की संकल्पना कभी की ही नहीं गई। पर अब आधुनिकता के चलते हमारे देश की कई प्राचीन परंपराएं टूट एवं बिखर रही हैं। यही कारण है कि भारतवर्ष में इस प्रकार की संस्थाओं और आश्रमों की भारी कमी है और जो कुछ उपलब्ध भी है उनकी स्थिति अत्यंत ही दयनीय और सोचनीय है। इस समस्या को हल करने के एक निरंतर, सार्थक एवं विस्तृत समाधान की आवश्यकता है। विकसित देशों ने समाज के इस वर्ग की देखभाल के लिए कई प्रकार के प्रतिरूपों (मॉडलों) का गठन किया है जैसे – वृद्धाश्राम, आश्रय स्थल, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए अस्पताल में देखरेख, अत्यधिक लंबी बीमारी में अस्पताल में लंबे समय तक स्वास्थ्य लाभ हेतु आजीवन स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं एक प्रभावकारी समाधान हैं।

पश्चिमी देशों में विकास की लहर में समाज के सभी वर्ग सम्मिलित होते हैं, जबकि विकासशील देशों में जैसे भारत में योजनाएं मुख्यतया युवा वर्गों पर केन्द्रित होती है।

बुजुर्गो से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने कई प्रयास किए हैं, जिनमें कुछ योजनाएं भी हैं जैसे राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्नपूर्ण योजना, राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन कार्यक्रम,

पेंरट एवं सीनियर सीटिजन एक्ट 2007 के तहत, स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुजुर्गों के स्वास्थ्य रक्षा एवं देखभाल हेतु एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का गठन किया। इस कार्यक्रम के तहत, वृक्षों से संबंधित लंबी एवं छोटी–मोटी बिमारियों के समाधान के लिए कुछ अनुभवी एवं पेशेवर व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है। कार्यक्रम के सबसे पहले चरण में 29 राज्यों में आठ ऐसे संस्थाओं की स्थापना की जाएगी, जो बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम को प्रभावकारी बनने में कुछ समय लग सकता है लेकिन यदि समाज का यह वर्ग इस कार्यक्रम से लाभान्वित होता है, तो फिर यह समाधान प्रशंसनीय होगा। वृद्धों से

संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के लिए अनुभवी प्रशिक्षित डाक्टरों की भारी कमी है और जो उपलब्ध हैं वो नगरों में केन्द्रित हैं और काफी महंगे हैं। फिलहाल, वृद्धों की स्वास्थ्य संबंधी समस्यों को सामान्य स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं एवं संस्थाओं का एक अंग ही माना जाता है और सामान्य स्वास्थ्य संस्थाएं वृद्धों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर न तो संवेदनशील है और न ही उनके अनुरूप काम करने में सक्षम है।

शरण स्थल : हाल के दशक में वृद्धाश्रमों की संख्या में तेज वृद्धि

हुई है। बुजुर्गों के लिए आदर्श घर के अनुकूल स्थान कैसा होगा? शायद जहां पर उन्हें स्वतंत्रता से अपने मनोनुकूल रहने की जहां खुली हवा हो, ढेर सारे पेड़ हों, स्वच्छ हवा हो, सामान्य मूलभूत सुविधाएं हों, संतुलित भोजन की व्यवस्था हो मनोरंजन की व्यवस्था हो, संतुलित आहार उपलब्ध हो, कुछ आध्यात्मिक संतुष्टि की संभावना हो और जहां उनके सगे–संबंधी अगर उनसे मिलना चाहें तो मिल सकें, कुछ समय बीता सकें। उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाए।

वैसे भारत जैसे देश में विकास एवं आधुनिकता के दौर में उम्र का यह दौर पश्चिमी देशों की अपेक्षाकृत अधिक पीड़ादायी साबित हो रहा है और होता रहेगा। इसके कई कारण हैं। प्रथम तो यह कि भारत में प्रारंभ से संयुक्त परिवार की अवधारणा प्रबल रही है। अधिकांशतः मां–बाप अपने बच्चों के साथ ही जवीनपर्यंत रहते रहे हैं और रहना भी चाहते हैं, लेकिन नौकरी की तलाश, शहरीकरण एवं आवास के अभाव तथा महंगाई एवं गरीबी ने इसे बहुत दुष्कर बना दिया है। इसके साथ भारत अभी भी ग्रामीण प्रधान एवं कृषि प्रधान है। अभी भी ग्रामीण इलाकों में संयुक्त परिवार है। यदि बंटवारे से परिवार अलग भी होते हैं तब भी भावनात्मक लगाव एवं बुजुर्गों की देखभाल एवं सेवा भाव की कामना रहती है। भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जहां सभी मानवीय रिश्तों का सुस्पष्ट नाम एवं सम्मान दिए गए हैं। इतने व्यापक रिश्ते–नाते किसी अन्य संस्कृति में संजीव नहीं हैं। यही कारण है कि लोग नौकरी या रोजगार के उपरांत अपने घर–गांव में वापस जाकर रहना पसंद करते हैं, हालांकि बच्चों के रोजगार एवं शहरीकरण के कारण परिवार विघटित हो रहे हैं, जिसका परिणाम हम सब देख रहे हैं। 'ओल्ड ऐज होम' की संकल्पना भारतीय नहीं बल्कि पश्चिमी है, इसीकारण वृद्धाश्रमों में हमारे वरिष्ठ नागरिकों को सभी सुख सुविधाओं के होने के बावजूद वह सुखानुभूति नहीं होती जो परिवार के साथ रहने पर होती है। इसलिए वृद्धाश्रमों, ओल्ड ऐज होम के बावजूद कई प्रश्न अनुत्तिरित रह जाते हैं।

लेकिन क्या इन सारी सुविधाओं को मुहैया कराने के बाद, भी हम उन्हें प्रसन्न रख सकेगें? उम्र के इस पड़ाव की भावनात्मक आवश्यकताएं क्या इस प्रकार की संस्थाएं पूरी कर सकेगी। क्या वे दुखी एवं खिन्न रहते हैं इन सभी सुविधाओं से क्या वे समझौता करने को तैयार है, स्थिति के साथ और प्रसन्नतापूर्वक अपने हमदर्द लोगों के साथ अपना स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने को तैयार हैं। वृद्धाश्राम आज भी हमारे सामाजिक परिवेश में एक सामाजिक एवं पारिवारिक बहिष्कार के रूप में देखा जाता है। शायद आने वाले समय में जब यह तनावग्रस्त युवावर्ग उम्र के इस दौर से गुजर रहा होगा, तो उनकी मानसिकता दूसरी होगी। वह शायद यह सोचे कि जिस रोग का इलाज संभव नहीं है उस रोग को भुगतने में ही समझदारी है और इस तरह शायद वह जीवन के बुझते हुए क्षणों में भी अपनी स्वतंत्रता अवस्था का आनंद उठाएं।

पिछले दो दशकों से आवास क्षेत्र में भी सीनियर सिटीजन के लिए एक नया प्रयास शुरू किया गया है। कई बिल्डिरों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष आवास योजनाएं प्रारंभ की है। इन परियोजनाओं की विशिष्टिता यह है कि इन आवास परिसरों में मनोरंजन क्लब, अस्पताल एवं डाक्टरों की उपलब्धता तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध आसानी से उपलब्ध कराई जाती हैं। ऐसे परिसरों में विभिन्न क्षेत्रों से अवकाश प्राप्त नागरिक तथा उनके परिवारीजन रहते हैं। चुंकि ये आवास वरिष्ठों को मिलते हैं और उनके साथ उनके बच्चे भी आकर रहते हैं, अतः संयुक्त परिवार की संकल्पना साकार होती है। इसके साथ ही अधिकतर लोग अवकाश प्राप्त होने के कारण मिल–जुल कर रहते हैं अतः एक परिवारिक माहौल बन जाता है और सारे लोग प्रसन्नतापूर्ण जीवन जीते हैं। ऐसी परियोजनाओं को और अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इस प्रकार की योजनाओं को प्राथमिकता देकर सस्ती जमीनें उपलब्ध कराए, ताकि आवास की लागत कम आए। इसी प्रकार पंजीकरण राशि में भी छूट प्रदान की जानी चाहिए। इन सबका लाभ यह होगा कि वे अपने जीवन का सच्चा आनंद ले सकेंगे।

अनूठा मानव

असल में हर आदमी अनूठा है, अद्वितीय है, बेजोड है, यूनीक है। आदमी तो दूर, तुम एक जैसे दो पत्थर भी खोज कर नहीं ला सकते हो। तुम एक बड़े पत्थर पर दो पत्ते भी ठीक एक जैसे नहीं खोज सकते हो। पत्तों का भी अपना व्यक्तित्व है, कंकड़ों का भी अपना व्यक्तित्व है, हर चीज की अपनी इंडिविजुअलिटी है, आदमी को छोड़ कर, क्योंकि आदमी दूसरे जैसे होने की कोशिश में अपने व्यक्तित्व को पोंछ बैठा, मिटा बैठा। उसने अपने हाथ से अपनी शक्ल पर रंग पोत लिया है। वह डरा हुआ है कि कहीं मैं अलग न हो जाऊं और हमारी पूरी संस्कृति यह सिखा रही है कि दूसरे जैसे हो जाओ। जैसे दूसरे लोग कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े तुम भी पहनना, जैसे दूसरे लोग चलते हैं, तुम भी चलना, जैसे दूसरे लोग बात बनाते हैं, तुम भी बनाना।

यहां तक तो बात फिर भी ठीक थी, ठीक तो नहीं है, लेकिन धीरे–धीरे हम दूसरे जैसे होने की इतनी आदत में पड़ जाते हैं कि आदमी का व्यक्तित्व खो जाता है। उसका अनूठापन, उसका अपनापन खो जाता है और उस अनूठेपन में ही उसकी आत्मा थी। मैं तुमसे कहता हूं, दूसरे जैसे होने से बचना, भीड से बचना, हमेशा इस कोशिश में मत रहना कि मैं दूसरों जैसा रहूं। दूसरों जैसे रहने में तुम्हारे अपने व्यक्तित्व में जो खुबियां थी वे पैदा नहीं हो पायेगी और यह बात कपड़ों तक सीमित नहीं है, यह बात पूरी आत्मा तक प्रविष्ट हो जाती है।

ओशो
(नारी और क्रांति से)

यमुना

एस.के. पाढ़ी
सहायक महाप्रबंधक

भारत की संस्कृति में यमुना नदी का अत्यधिक महत्व है। इसे गंगा की भांति ही पवित्र नदी माना गया है। यमुना को हिंदूओं के द्वारा पूज्य माना गया है। पुराणों के अनुसार यमुना मृत्यु के देवता 'यम' की बहिन है, जिसे 'यमी' नाम से जाना जाता हे। यमुना उसी का विस्तारित रूप है। यमुना को कालिंदी के नाम से भी जाना जाता है। यम और यमी के बारे में वेदों में भी वर्णन है। कालांतर में यमुना को कृष्ण के साथ जोड़ कर भी देखा गया। इसीलिए कृष्ण की अष्टभार्या (आठ पत्नियों) में से एक यमुना को भी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार यमुना जी को भगवान सूर्य एवं सारान्य (संजना) ऊषा (भोरकाल) एवं बादलों की देवी की पुत्री के रूप में भी वर्णित किया गया है। यही कारण है कि यमुना को सूर्य पुत्री, सूर्यजा, सूर्यतनया एवं रविनंदनी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य की पुत्री यमी के तेज एवं गरमी के कारण कोई विवाह नहीं कर पा रहा था, अतः सूर्य ने कृपा कर उसे पृथ्वी पर कल्याण हेतु भेजा। जहां कृष्ण की भार्या होने का मान मिला। आज भी यमुना (यमी) और भाई यम के पवित्र संबंधों को याद करने के लिए पूरे देश में दीपावली के बाद भैया दूज मनाया जाता है। यमुना के धार्मिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक महत्व को नकारा नहीं जा सकता है।

अगर हम ऊपर की सारी बातें कपोल कल्पना भी मान लें, तब भी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि यमुना सिर्फ नदीं नहीं बल्कि एक जीवनदायिनी एवं पवित्र नदी है। जो भारत के चार राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश को सदियों से शस्य श्यामला बनाते हुए धन–धान्य प्रदान करती रही है। जो यमुना कई हजार सालों से इन प्रदेशों को जीवन देती रही, उन्हें पीने एवं कृषि के लिए जल देती रही और आज भी दे रही है। वेदों, पुराणों, शास्त्रों एवं महाभारत में यमुना से संबंधित कई प्रकरण है, जिससे इसकी महत्ता प्रतिपादित होती है। जिस नदी के किनारे, महाभारत काल से अब तक कई नगर व शहर बने बसे और काल कवलित हुए, जिसके तट पर आज भी दिल्ली, मथुरा एवं आगरा जैसे अपनी पौराणिकता, ऐतिहासिकता के साथ भारत की संस्कृति का गौरव–गान कर रहे हैं, इन्हीं शहरों और उसके आश्रित प्रदेशों ने आज उसी यमुना को मरणासन्न स्थिति में ला दिया है। आधुनिक विकास के नाम पर इस नदी का जितना शोषण, दोहन एवं निरादर हुआ है, उतना शायद ही किसी अन्य नदी का हुआ हो। आज हरियाणा के हथिनीकुंड से निकलते ही यमुना एक नाले का रूप ले लेती है और दिल्ली में जहां उसका बचा–खुचा पानी खींच लिया जाता है वहीं उसमें शहर की सारी गंदगी डाल दी जाती है। दिल्ली से निकलते ही यमुना केवल एक गंदे नाले के रूप में दयनीय स्थिति में बढ़ती है। दिल्ली से आगे हिंडन नदी का जल तो नहीं मिलता, परंतु गाजियाबाद, नोएडा एवं फरीदाबाद की सारी गंदगी यमुना में जरूर उड़ेल दी जाती है। मथुरा शहर एक धार्मिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है, दुनिया भर के लोग तीर्थाटन के लिए आते हैं; किंतु वहां यमुना का जल इतना गंदा हो जाता है कि श्रद्धालु आचमन करना तो दूर, उसे स्पर्श करते हुए भी कतराते हैं। साल छह महीने में यह नदी एक नाले के रूप में बहती है जो महज सौ साल पहले तक विशाल, जल से पूर्ण नदी होती थी। आगरा पहुंचते–पहुंचते यमुना लगभग समाप्त प्रायः होती है। वहां पर भी शहर की गंदगी, मलमूत्र की वाहिका मात्र होती है।

आगरा से आगे बढ़ने पर यमुना को एक बार पुनः नए जीवन का तब अहसास होता है जब उसमें चंबल आकर मिलती है। यहीं आस–पास अन्य चार नदियां मिलती है। अब यमुना में थोड़ा जल तो होता है, परंतु शहरों के मलमूत्र और गंदगी में कमी नहीं होती। उत्तर प्रदेश के अन्य कई शहर जैसे कि फिरोजाबाद, शिकोहाबाद एवं इटावा के गंदे नालों का पानी इसमें मिलकर नदी के जल को विकार पूर्ण बना देता है। कुछ छोटी–मोटी नदियों को अपने में समाहित करती हुई उत्तर प्रदेश के हमीरपुर शहर के पास बेतवा एवं उससे थोड़ा आगे केन नदी को अपने में शामिल करते हुए इलाहाबाद शहर के दक्षिण एवं पश्चिम भाग को छूते हुए पूर्व छोर पर पहुंच कर गंगा नदी से मिलकर संगम का निर्माण करती है।

पौराणिक जनश्रुति है कि जब यमुना जी ने गंगा जी के साथ संगम पर मिलकर आगे बहने पर नदी के नाम की चर्चा हुई तो दोनों के बीच समझौता हुआ कि संगम से आगे समुद्र तक इस नदी का नाम तो गंगा होगा, पर रूप यमुना का होगा, यानि कि गंगा जी ने कहा ''नाम मेरा और रूप तेरा''। कहते हैं कि संगम पर गंगा भूरे रंग के पानी के साथ आती है और यमुना जी नीले रंग के पानी के साथ। जब संगम से आगे गंगा जी बढ़ती है। तो उनके जल का रंग नीला हो जाता है। आज ''नाम मेरा और रूप तेरा'' कहावत में कितनी सच्चाई है, यह शोध का विषय हो सकता है, किंतु इसमें जो निहितार्थ है, वह यह दर्शाता है कि किसी समय यमुना नदी में पानी की कितनी विशाल मात्रा होती थी कि संगम के आगे भी उसके जल का स्वरूप कायम रहता था, यानि कि भारी मात्रा में जल का समागम होता था। पाठकों आज वही यमुना और एक तरह से गंगा भी आधुनिक विकास का शिकार हो चुकी है। हमें जल्द से जल्द भारत की सभी नदियों को फिर से स्वच्छ एवं पवित्र बनाना होगा। यह सिर्फ नदी की नहीं, बल्कि एक संस्कृति एवं सभ्यता की मौत होती है।

जीवनदायिनी यमुना की वर्तमान हालत के लिए दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तीनों राज्य जिम्मेदार हैं। यमुना के किनारे स्थित इन राज्यों के शहरों की औद्योगिक इकाइयों का कचरा लगातार यमुना में गिर रहा है। यमुना में गिर रहे औद्योगिक इकाइयों के कचरे को लेकर सेंट्रल

पॉल्यूशन कांट्रोल बोर्ड ने भी चिंता जाहिर की है। हाल ही में एक हिंदी समाचार पत्र के द्वारा यमुना के प्रदूषण को लेकर जुटायी गई जानकारियों में पांच महत्वपूर्ण कारण सामने आये हैं। इन वजहों को दूर कर दिया जाये तो यमुना प्रदूषणमुक्त हो जांयेगी।

दिल्ली का कचरा – दिल्ली का लगभग 1535 अनधिकृत कॉलोनियों से निकलने वाला सीवेज कचरा बगैर शोधित किये सीधे जमुना में डाला जा रहा है, जिसके जरिए दिल्ली में यमुना का पानी बिल्कुल काला हो गया है। इसके अलावा कुछ औद्योगिक इकाइयों का वेस्ट कचरा भी नदी में डाला जा रहा है। खास बात यह है कि दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली में लगभग 830 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रतिदिन) पानी की आपूर्ति का दावा करता है, लेकिन इसके विपरीत सहज 330 एमजीडी गंदा पानी ही शोधित कर पाता है। शेष पानी बगैर शोधन के ही नदी में डाल दिया जाता है।

पानीपत सोनीपत का कचरा व फरीदाबाद का दूषित जल – यहां पर लगभग 16 हजार रजिस्टर्ड औद्योगिक इकाइयां और इससे ज्यादा बगैर पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां संचालित हो रही हैं। यहां पर लगाए गए सीवेज ट्रीटमेंट प्लाट पूरी तरह से कारगर नहीं हैं। यहां पर बड़े पैमाने में डाई यूनिटें और केमिकल फैक्ट्रियां हैं। औद्यागिक इकाइयों का वेस्ट कचरा बड़े पैमाने पर नदी में डाला जा रहा है।

इन दोनों शहरों में स्थित औद्योगिक इकाइयों से उत्पन्न होने वाले कचरे का काफी हिस्सा बगैर शोधित किए नदी में डाला जा रहा है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वर्ष 2013 में किए गए सर्वे में भी यह जानकारी उजागर हुई है। पानीपत और सोनीपत में काफी संख्या में बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थित हैं।

यूपी से गिरने वाला गंदा पानी – यमुना किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के शहरों के कचरे का काफी हिस्सा बगैर शोधित हुए नदी में डाला जा रहा है। यमुना जीये अभियान के संयोजक के मुताबिक सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा इत्यादि शहरों का गंदा पानी नदी में डाला जा रहा है। सहारनपुर, मेरठ में स्थित शुगर मील के अलावा अन्य औद्योगिक इकाइयों का कचरा नदी में समाहित हो रहा है। इन शहरों का अधिकांश कचरा हिंडन नदी में डाला जा रहा है, जो कि ग्रेटर नोएडा के पास यमुना में मिल जाती है।

पानी का बहाव – पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नदी में पानी का बहाव हो तो नदी का प्रदूषण काफी हद तक दूर हो सकता है। लेकिन यमुना में पानी का बड़े पैमाने पर अकाल है। बरसात के दिनों में नदी में बाढ़ की स्थिति हो जाती है, लेकिन बरसात खत्म होते ही नदी सूख जाती है। अमूमन नदी की यह स्थिति दिल्ली से 230 किलोमीटर ऊपर हथनीकुंड बैराज के पास से शुरू हो जाती है। बैराज के पास नदी का काफी हिस्सा पानी सिंचाई के लिए पड़ोसी राज्यों में चला जाता है।

यह बात शायद सभी पाठकों को याद होगी कि लगभग आठ–नौ महीने पूर्व मथुरा जनपद के निवासियों, पूज्य संतों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर ''यमुना जीवे'' अभियान प्रारंभ किया। इस अभियान के तहत एक विशाल समूह ने 'दिल्ली कूच' किया था। यह अभियान जिस विशालता एवं सक्षमता से चलाया गया, वह काबिले तारीफ था। इसे इतना विशाल एवं व्यापक जन समर्थन मिला था कि तत्कालीन केन्द्र सरकार के कई मंत्रियों ने अभियान के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता के लिए उनके पास चल कर पहुंचे और यह आश्वासन दिया था कि शीघ्रतिशीघ्र यमुना का उद्धार किया जाएगा एवं प्रदूषण मुक्त बनाया जाएगा लेकिन वायदे के बावजूद कोई ठोस नीति एवं प्रोजेक्ट नहीं बनाया गया। सरकार भी नहीं रही। अब नई सरकार आई है और गंभीरता के साथ इस दिशा में कदम उठाने के लिए आश्वासन दिया। आज यमुना को प्रदूषण मुक्त बनाना सिर्फ नदी को जीवन दान देना भर नहीं है, बल्कि स्वयं मानव प्रजाति, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को नया जीवन देने जैसा है।

इंसान

सुश्री शुचिस्मिता चक्रवर्ती
(सुपुत्री एस. चक्रवर्ती,
स.म.प्र. कोलकाता)

कौन है बड़ा, कौन है छोटा,
दुबला है कोई, और कोई मोटा।
धन है किसको, कौन है निर्धन,
दुनिया बसेरा ले के सब जन।
कौन है आगे, कौन है पीछे,
ऊपर में कोई, है कोई नीचे।
जीत हुई किसकी, कौन पराजित,
ऐसा है कोई नहीं जो माने हर रीत।
वृद्धि हुई किसकी, कौन गया खोय,
संख्याएं होती हैं बस एक से नौ।
कौन है अच्छा, कौन बुरा नहीं,
एक मूठ भस्म में रहे जाए सब यहीं।

स्वच्छता एवं प्रदूषण

मनीष भुटानी
प्रबंधक

हम भारतीय लोग तब तक किसी चीज का महत्व नहीं समझते जब तक कि कोई उस पर विदेशी का ठप्पा न लगा दे। विदेशी का ठप्पा लगते ही हम उसे हाथों–हाथ लपकने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब पर्यावरण का ही मुद्दा ले लें। ईमानदारी से देखा जाए तो पर्यावरण का संरक्षण एवं प्रकृति की हर वस्तु से प्रेम करना भारतीय संस्कृति का अंग रहा है। वेदों में भी वायु, जल, सूर्य, चंद्र एवं अग्नि की महत्ता का वर्णन करते हुए देव तुल्य माना गया है। यही कारण है कि हम भारतीय सदियों से वृक्षों, लताओं, फसलों, नदियों, झीलों एवं तालाबों तथा कुओं की पूजा करते हुए उन्हें देवत्व प्रदान किया है ताकि उनको दूषित करने का विचार भी न उठे। लेकिन देश के इतिहास में आए उठा–पटक के विभिन्न दौरों एवं जबरन विदेशी आक्रमण द्वारा थौपे गए युद्धों ने हमें हमारी प्रकृत्ति प्रेम की संस्कृति से विलग कर दिया। यद्यपि वनवासियों एवं ग्रामवासियों के बीच ये मुद्दे एवं संस्कृति के अंग आज भी जीवित हैं किंतु तथाकित उच्च एवं शिक्षित वर्ग इसे अंधविश्वास एवं पिछड़ेपन की निशानी मान कर त्यागने की कोशिश में लगा हुआ था, किंतु आज जब आधुनिक युग में पर्यावरण (इनवायरनमेंट) की समस्या पश्चिमी देशों के आइने से पेश की गई तो सभी को दिखी और रातों रात इनके पैरोकार एवं एनजीओ पैदा हो गए। जो इस झंडे के वाहक बनकर मीडिया में छाने को बेताब रहते हैं।

विश्व पर्यावरण दिवस के आने पर हम सक्रिय हो जाते हैं। 364 दिनों की अचेत नींद के बाद अचानक पर्यावरण प्रकट होता है। यूं ही। पर्यारवरण के आ जाने का सबसे बड़ा लक्षण है विज्ञापन, जिनमें पृथ्वी की गेंदनुमा, हरी–नीली तस्वीर होती है। कुछ में दो हाथ हमारे नन्हें से ग्रह को संभाले होते हैं। जैसे पृथ्वी 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर की सतह वाला ग्रह नहीं, कोई आकर्षक पिल्ला हो, जिसे देखते ही वात्सल्य रस की बौछारें आ जाएं। उसे हाथ में उठा लेने को मन मचल जाए।

वैसे इस तरह के अब कई और दिन तय कर दिए गए हैं। आठ जून विश्व समुद्र दिवस है। 15 जून विश्व वायु दिवस है। 17 जून रेगिस्तान के फैलने को रोकने का दिवस है, जिसका अंग्रेजी में इतना लंबा नाम है कि उसके अनुवाद पर्यावरण मंत्रालय के हिंदी विभाग के अधिकारी भी न कर पाएं। वैसे अगर आप सरकारी हिंदी पढ़ते हों, तो आप पाएंगे कि चाहे उसका अर्थ किसी को समझ में आए या न आए, किन्तु इसके बावजूद अनुवाद जरूर होता है। पर्यावरण के वैसे कुछ और भी दिन हैं। 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया गया और 22 अप्रैल तो पृथ्वी दिवस मनाया गया। विश्व नदी दिवस, विश्व जलभूमि दिवस, जनसंख्या दिवस, पहाड़ दिवस..... आदि–आदि भी मनाते रहेंगे।

हमारे देश के इन ध्वज वाहकों, नामकों एवं राजनीति के अगुवा लोगों को पर्यावरण दिवस ठीक वैसे ही साल में एक बार याद आता है जैसे कि 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस या हिंदी सप्ताह मनाकर हम सब अपने कर्तव्य की इतिश्री मान लेते हैं। इन तथाकथित पहरेदारों के लिए यह सब दिवस इसीलिए बनाए गए हैं कि वे उसे एक दिन उत्सव की तरह मनाएं, खाएं–पीयें और इसके बहाने दान–पुण्य भी पा जाएं। दान–दाताओं की मीडिया कवरेज व फोटो भेजकर अपनी उपलब्धियां गिना सके। हम यह भूल जाते हैं कि भारतीय संस्कृति का सारा ताना–बाना प्रकृति प्रेम एवं संरक्षण के आस–पास बुना है। इसे दिवस के रूप में नहीं बल्कि जीवन शैली के रूप में अपनाने की जरूरत है।

आदि काल से मनुष्य अपनी दुनिया को समझने की कोशिश करता रहा है। चांद–सूरज और सितारों से लेकर सूक्ष्म जीवाणुओं तक के प्रति कौतुहल मनुष्य में रहा है। जैन दर्शन ने सदियों पहले दुनिया को सूक्ष्म जीवों का मेला बताया था, जिन्हें 'निगोद' संज्ञा दी गई। आज माइक्रोस्कोप के दर्शन से जो दिख रहा है, उसमें इस तरह के दर्शन का मूल्य नए तरह से समझ में आता है। आज विज्ञान के पास पहले से कहीं ज्यादा साधन हैं दुनिया को समझने के, हमारी सृष्टि की जटिलता जानने के, हमारे पर्यावरण का मर्म जानने के। हालांकि हम भारतीय कई हजार सालों से कहते आ रहे हैं कि क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा यानि कि दुनिया के सारे भौतिक पदार्थों का मूल यही पांच तत्व है।

यह अलग बात है कि पर्यावरण दिवस और पृथ्वी दिवस जैसे एक–दिवसीय कार्यक्रमों में ढालने के कुछ लाभ हो सकते हैं। लेकिन कुछ बड़े नुकसान भी हैं। पूरी पृथ्वी को हाथ में पकड़ने के चित्र के पीछे भाव

यही होता है कि मनुष्य ने न केवल सारी सृष्टि पर नियंत्रण जमा लिया है, बल्कि वह हमारे ग्रह का भाग्य विधाता भी बन चुका है। माने पृथ्वी में हम नहीं, हम से पृथ्वी है। हमारे बचाने से हमारा ग्रह बचेगा। विज्ञान जो कुछ बता रहा है, वह इसके ठीक विपरीत है। पर्यावरण के लगभग हर चित्र में प्रदूषण और कचरे के रंग फैल रहे हैं।

हमारे जल स्रोत शहरों के मल–मूत्र बहाने के नाले बन चुके हैं। गंगा जैसी पवित्र मानी गई नदी में हरिद्वार और वाराणसी जैसे धार्मिक शहर भी सीवर का पानी बहाने से नहीं चूकते। वहीं शहर, जो नदियों से पानी निचोड़कर निकाल लेते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। जब हमारी आबादी के एक बड़ हिस्से के पास शौचालय नहीं है, तब नदियों के हाल इतने बुरे हैं। जब हर किसी के पास फ्लश वाला शौचालय होगा, तो उनके

सीवर का पानी कहां जाएगा? बल्कि इतने फ्लश चलाने के लिए पानी कहां से आएगा, जबकि हमारे लगभग हर शहर के कई इलाकों में पीने के पानी की जबर्दस्त किल्लत होती है?

शायद कुछ लोगों को याद होगा या फिर इस बारे में पढ़ा होगा कि आजादी के तुरंत बाद ही कुछ गांधी वादियों ने गांव–गांव यह मुहिम चलाई थी कि खेतों/जंगलों में शौच जानेवाले लोग अपने साथ खुरपी लेकर जाएं। तुरंत एक छोटा सा गड्ढा खोदें उसमें मलत्याग करें और बाद में मिट्टी से ढक (कवर कर) दें। सुनने में अब यह विचार हास्यास्पद जरूर लग सकता है, लेकिन यह विचार सही मायनों में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सार्थक प्रयास था। ढकने के बाद वह उर्वरक बनकर वनस्पति जगत को लाभ ही देता था। कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दुष्प्रभाव भी नहीं थे। लेकिन आधुनिकता की तीव्र प्रगति एवं व्यावहारिकता के अभाव में

यह आंदोलन आगे नहीं बढ़ सका। यह अलग बात है कि हम जल संरक्षण, वायुसंरक्षण जैसे तमाम मुद्दों से जूझ रहे हैं।

शहरों की हवा में गाड़ियों से निकला धुआं इतना है कि यह हजारों लोगों की मृत्यु का कारण बनता है। फिर भी अस्पताल में ये मौतें प्रदूषित हवा के खाते में नहीं आती हैं। वह इसलिए, क्योंकि दूषित हवा अपने आप में रोग नहीं है। वह दूसरे रोगों को बिगाड़ती है। फेफड़े का कैंसर और हृदयघात जैसे कष्ट बढ़ा देती है। फिर भी विकास की हमारी परिभाषा अच्छा सार्वजनिक यातायात नहीं, चौड़ी सड़कें, ऊंचे–लंबे पुल और फरटिदार गाड़ियां होती हैं। उन गाड़ियों से लगातार हादसे होते हैं। अभी हाल ही में एक केन्द्रीय मंत्री की मृत्यु सड़क हादसे में हुई है। पर्यावरण पर काम करने वाली सुनीता नारायण को पिछले वर्ष साइकिल चलाते समय एक गाड़ी टक्कर मारकर निकल गई थी।

यह जरूरी नहीं है कि हमारे शहर इतने बुरे तरीके से चलें। हालत ठीक करने के लिए कई उदाहरण हैं। पंजाब के फाजिल्का शहर ने कुछ साल पहले अपने बाजारों में गाड़ियों के आने पर खुद ही प्रतिबंध लगा दिया था। यूरोप के कई शहरों ने गाड़ियों को यातायात में अवरोधक मानकर उन पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। इसके साथ ही वहां अच्छे सार्वजनिक यातायात का प्रबंध हैं। हमारे शहरों में मेट्रो का आना बहुत अच्छा कदम है, लेकिन पुरानी ट्रामों को भी वापस लाने की जरूरत है। बसों का बेहतर प्रबंध भी। क्योंकि बजाय इसके कि हर कोई अपनी–अपनी गाड़ी में बैठकर ट्रेफिक जाम में फंसा हो, परिवहन का बेहतर तरीका यही है कि सार्वजनिक यातायात का इस्तेमाल हो।

नदियों में सीवर के माध्यम से मल–मूत्र उड़ेलना अनिवार्य नहीं है। यह संभव है कि उस पानी को साफ करने के बाद नदियों में छोड़ा जाए। लेकिन ऐसा करने की लागत लगती है। शासन और नागरिकों को यह आर्थिक भार उठाने के लिए राजी होना पड़ेगा। क्या आप यमुना और गंगा की सफाई की लागत अपने पानी के बिल में देने के लिए तैयार हैं? अगर नहीं हैं, तो वे नदियां साफ नहीं हो सकेंगी। शहरों को अपने जल स्रोतों से अपना संबंध फिर से समझना होगा। अगर सुचारू सार्वजनिक यातायात के लिए सड़क पर जगह बनानी हो, तो कारों की जगह कम करनी ही पड़ेगी।

हाल ही में, नई सरकार के द्वारा 100 अति आधुनिक (स्मार्ट सिटी) शहर बनाने का फैसला कई अर्थों में अच्छा है। इससे जहां परंपरागत एवं पुराने शहरों से बोझ घटेगा, उन्हें सांस लेने का अवसर मिलेगा वहीं इन आधुनिक शहरों के लिए एक समग्र नियोजना होगी ताकि पुराने शहरों की तरह हर रोज सड़के खोदकर टेलीफोन, बिजली की तारे या गैस, पानी, तेल की पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदना न पड़े। अभी तक तो यह शहर आदर्श शहर के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं जहां सभी संभावित समस्याओं के हल एवं समाधान पहले से ही प्रस्तुत होंगे। वहां वायु, जल, प्रकृति आदि सबका उचित उपयोग, रिसाइकिलिंग एवं संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। सभी प्रकार के प्रदूषणों का पहले से ही ध्यान रखा जाएगा। लेकिन इन सभी सावधानियों के बावजूद यह प्रश्न उठने लाजिमी है कि इन शहरों के लिए जल कहां से आएगा। इनसे पैदा होने वाला कचरा, जल–मल कहां जाएगा। चौबीसों घंटे विद्युत आपूर्ति का क्या विकल्प है। इन शहरों के बसने से उजड़ने वाले खेत, जंगल एवं वृक्षों की भरपाई कैसे और कहां से होगी। यहां के निवासियों का पुनर्वास किस तरह से होगा? यह किसी भी सरकार का पहला एवं मूल दायित्व है कि ऐसे आधुनिक शहरों को बसाने से पहले पर्यावरण, आर्थिक, सामाजिक एवं प्राकृतिक पहलुओं पर गंभीरता से विचार अवश्य करें। इस परिकल्पना को साकार रूप दिए जाने से पहले सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर रायें अवश्य ली जाए एवं उनके सभी पक्षों के दूरगामी परिणामों पर भी विचार किया जाना चाहिए। तभी हम कुदरत, घटती वायु, जल एवं जीवन के साथ न्याय कर पाएंगे।

यह सब कैसे होगा? इसका कोई तैयार जवाब नहीं हो सकता। यह तय है कि हमारे पर्यावरण से हमारा मूल संबंध हमें फिर से समझना होगा। क्योंकि नहीं समझा, तो नुकसान पर्यावरण का नहीं होगा। विज्ञान बताता है कि पृथ्वी के इतिहास में कई प्राणी हुए हैं, जिनकी सफलता और विकास उन्हीं के विलुप्त होने के कारण बन गए। मनुष्य तो हमारे ग्रह के इतिहास में बहुत ही नया प्राणी है। विकास की दौड़ में हम हर तरह के प्राकृतिक संसाधनों का बहुत तेजी से भोग कर रहे हैं। उसे कचरे में बदल रहे हैं। विकास की इस तीव्र दुर्गति से नुकसान मनुष्य का ही होगा। जरूरत पृथ्वी को बचाने की कतई नहीं है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पृथ्वी पर आवश्यकता पूर्ति की क्षमता है पर लालच को पूरा करने की नहीं। यह नसीहत हमें तुरंत मान लेनी चाहिए। हमें अपने आप को बचाना है। अपने आप से। अपने लालच से अपनी विलासिता से। हमें अगली पीढ़ी के बारे में भी सोचना है कि हम उसे क्या और कैसा सौंप कर जाएंगे। तभी यह वेद वाक्य सच होगा – सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया।

हिंदी

डा. अमर सिंह सचान
राजभाषा अधिकारी

यह बात पर्याप्त महत्वपूर्ण एवं ध्यान देने योग्य है कि जब कभी हिंदी को कार्यालयी काम–काज में बढ़ावा देने की बात चलती है तो सभी इसे बहस का मुद्दा बना लेते हैं और तो और कुछ इसे भारत की संप्रभुता के लिए एक खतरे के रूप में पेश करते हैं। यह खतरा इस देश के कुछ तथाकथित अंग्रेजी दाँ विद्वानों, अंग्रेजी अखबारों तथा कुछ तथाकथित पार्टियों को ज्यादा महसूस होता है, जबकि देश की 90 फीसदी जनता को इससे कुछ लेना देना नहीं होता। इन लोगों को लगता है कि यदि आम जनता की भाषा शासन एवं सत्ता की भाषा बन गई तो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी, क्योंकि आम जनता की पहुंच सत्ता एवं शासन के बीच आसान हो जाएगी। ऐसे में शायद आम जनता को और अधिक समय तक बेवकूफ बनाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे।

राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि यह सरकार का धर्म है कि वह काल की गति को पहचाने और युगधर्म की पुकार का बढ़कर आदर करे। दिनकर ने यह बात साठ के दशक में संसद में भाषा संबंधी बहस के दौरान कही थी। अपने उसी भाषण में दिनकर ने एक और अहम बात कही थी जो आज के संदर्भ में भी एकदम सटीक है। उन्होंने कहा था कि हिंदी को देश में उसी तरह से लाया जाना चाहिए जिस तरह अहिंदी भाषी लोग उसको लाना चाहें। यही एक वाक्य हमारे देश में हिंदी के प्रयास की नीति का आधार आज भी है और भविष्य में भी होना चाहिए। यहां एक प्रश्न यह भी उठता है कि क्या वास्तव में ईमानदारी से प्रयास किए गए। केवल मंत्रालय में विभाग बना देने और निदेशक, उपनिदेशक बनाने तथा विभिन्न कमेटियां गठित करने से यह जिम्मेदारी पूरी हो गई। क्या सभी केन्द्र, सरकार के कार्यालयों में हिंदी कक्ष स्थापित करने एवं 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है। यदि हमने अपने देश की सभी भाषाओं को रोजगार परक बनाया होता। तो इसे लोग जल्द से जल्द अपनाते।

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के सत्ताइस मई के एक आदेश के बाद हिंदी को लेकर कुछ अहिंदीभाषी राज्यों ने खासा हंगामा मचाया। राजभाषा विभाग ने अपने सर्कुलर में कहा था कि सरकारी विभागों के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट में हिंदी अथवा अंग्रेजी और हिंदी में लिखा जाना चाहिए। अगर अंग्रेजी और हिंदी में लिखा जा रहा है तो हिंदी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस सर्कुलर में साफ तौर पर कहा गया है कि अंग्रेजी पर हिंदी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यह कहीं नहीं कहा गया कि हिंदी का ही प्रयोग होना चाहिए। लेकिन इस पर न सिर्फ अहिंदी भाषी राज्यों ने प्रतिक्रिया जताई, बल्कि उत्तर भारत के अंग्रेजी समर्थक भी शोर मचाने लगे। उन्हें लगा कि वर्तमान सरकार के हिंदी प्रेम से उनके हितों को धक्का न लगे। यानि कि जिन लोगों के बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़कर सरकारी एवं गैर सरकारी नौकरियां आसानी से पा जाते हैं, उनकी इस सुविधा में बाधा न पहुंच जाए और उनका वर्ग भी सामान्य दर्जे का न बन जाए।

आखिर इससे हिंदी थोपने जैसी बात कैसे सामने आ गई? लोगों के साथ दिक्कत यही है कि वे किसी भी मामले की ऐतिहासिकता की पृष्ठभूमि में कोई बात नहीं कहते हैं। वे अनर्थक बयानबाजी करते हैं। साठ के दशक में जब दक्षिण भारत में हिंदी के खिलाफ हिंसक आंदोलन हुए थे, तब भी और उसके पहले भी सबकी राय यही बनी थी कि हिंदी का विकास और प्रयास अन्य भारतीय भाषाओं को साथ लेकर चलने से ही होगा, अपने आपको थोपने से नहीं। महात्मा गांधी हिंदी के प्रबल समर्थक थे और इसको राष्ट्रभाषा के तौर पर देखना भी चाहते थे, लेकिन उन्होंने भी कहा था कि हिंदी का उद्देश्य यह नहीं है कि वह प्रांतीय भाषाओं की जगह ले ले।

यह बात बिल्कुल सच है कि हमारा देश बहुभाषी एवं बहु संस्कृति वाला है और यह भी सच है कि हमारा देश फ्रांस या इंगलैण्ड की तरह नहीं है जहां एक ही भाषा है। विविधताओं से भरे हमारे देश में दर्जनों भाषाएं और सैकड़ों बोलियां हैं। लिहाजा यहां एक भाषा का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता। इतना अवश्य है कि राजकाज की एक भाषा होनी चाहिए। आजादी के पहले और उसके बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा देने की कोशिश हुई, लेकिन अन्य भारतीय भाषाओं के विरोध के चलते वह संभव नहीं हो पाया। हिंदी राजभाषा तो बनी, लेकिन अंग्रेजी का दबदबा अभी तक कायम है। जनता की भाषा और शासन की भाषा अलग रही। न

तो हिंदी को उसका हक मिला और ना ही अन्य भारतीय भाषाओं को समुचित प्रतिनिधित्व। हिंदी के खिलाफ भारतीय भाषाओं को खड़ा करने में अंग्रेजी प्रेमियों ने नेपथ्य से बड़ी भूमिका अदा की थी। हालांकि शुरू में हिंदी को अहिंदीभाषी हलकों से काफी साथ मिला। बांग्ला के तमाम लोगों ने आजादी से पहले हिंदी का समर्थन किया था। चाहे वह केशवचंद्र सेन की स्वामी दयानंद को 'सत्यार्थ प्रकाश' हिंदी में लिखने की सलाह हो या बिहार में भूदेव मुखर्जी की अगुंआई में कोर्ट की भाषा हिंदी करने का आंदोलन हो। लेकिन, जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की कोशिश हुई तो बांग्ला के लोग अपनी साहित्यिक विरासत की तुलना हिंदी से करते हुए

उसे बेहतर बताने लगे थे।

यह सारी बातें देख–सुन कर हमें अपने बचपन की वह कहानी याद आती है, जिसमें एक बंदर ने दो बिल्लियों की आपसी लड़ाई का खूब फायदा उठाया। कहानी यह थी दो बिल्लियां कहीं से एक रोटी चुराकर लाई, जब बंटवारे का वक्त आया तो आपस में एक–दूसरे पर यह शक

करते हुए लड़ने लगीं कि वह ईमानदारी से नहीं बांटेगी। एक बंदर ने इस घटना को देखा मौके का फायदा उठाते हुए एक तराजू लेकर आ गया। उसने रोटी को दो टुकड़ों में इस तरह तोड़ा कि एक हिस्सा थोड़ा बड़ा रह गया। अब तराजू में अलग–अलग पलड़ों पर रोटी के टुकड़ रखें। जिस तरफ का पलड़ा झुका, बंदर ने उस तरफ के टुकड़े से एक कौर रोटी खा ली, अब दूसरा छोर भारी हो गया, उसने दूसरे छोर से भी एक कौर ..... लिया। अंत में पता चला कि रोटी समाप्त हो गई और पलड़े बराबर नहीं हुए, बल्कि सारी बंदर के पेट में पहुंच गई। आज ठीक वही हालत अंग्रेजी की है, किसी भी भारतीय भाषा को कोई हक नहीं मिला और अंग्रेजी सब पर छाई हुई है। प्रारंभ से ही सरकार के रवैये और इच्छाशक्ति की कमी के चलते आपसी संवाद की भाषा अंग्रेजी बनी हुई है, जबकि सिर्फ दस प्रतिशत लिख–पढ़ सकते हैं और बीस प्रतिशत समझ सकते हैं। यदि अंग्रेजी की बजाय हिंदी को लिंक भाषा (संवाद का साधन) बनाने की दिशा में प्रयास किए गए होते, तो कदाचित आज यह स्थिति न होती। संसद में तभी अधिनियम बनाकर पूरे देश में त्रिभाषी फार्मूला या द्विभाषी फार्मूला अनिवार्य बना दिया जाता और राष्ट्र की भाषाओं के विरोध को देशद्रोह की श्रेणी का अपराध बना दिया गया होता तो शायद आज भाषा विरोध वोट की राजनीति का रूप न ले पाता।

बावजूद इन सबके, हिंदी बगैर किसी सरकारी बैसाखी के खुद लंबा सफर तय कर चुकी है। वह विंध्य को लांघते हुए भारत के सुदूर दक्षिणी छोर तक पहुंच चुकी है और पूर्वोत्तर में भी यह धीरे–धीरे लोकप्रिय हो रही है। सरकार अगर सचमुच हिंदी के विकास को लेकर संजीदा है तो उसे सभी भारतीय भाषाओं के बीच के संवाद को तेज करना होगा। एक भाषा से दूसरी भाषा के बीच के अनुवाद को बढ़ाना होगा। सभी भारतीय भाषाओं के अच्छे साहित्य को एक दूसरे में अनूदित किया जाना चाहिए, ताकि लोग एक–दूसरे की सभ्यता एवं संस्कृति को समझ कर अपनाएं। इससे एक दूसरे के प्रति आदर भाव भी पैदा होता। सर्कुलर जारी करने से ज्यादा जरूरी है सभी भाषाओं के मन में यह विश्वास पैदा करना कि हिंदी के विकास से उनका भी विकास होगा। सरकार को सभी कार्यालयों की चूलें कसने के तरीके ढूंढने होंगे। सभी कार्यालयों को यह छूट दी जानी चाहिए कि वे किसी भी भाषा के माध्यम से आनेवाली फाइल पर हिंदी या अंग्रेजी में टिप्पणियां निःसंकोच भाव से लिखें। देश भर में यूपीएससी सहित बैंकिंग, सैन्य, आर्थिक क्षेत्र की सभी प्रकार की नौकरियों की परीक्षाओं में हिंदी को ठीक उसी प्रकार से अनिवार्य बनाया जाए जैसे कि अंग्रेजी को बनाया गया है और शेष सभी भारतीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी भाषा को एक वैकल्पिक चयन बनया जाए। जो लोग हिंदी नहीं चुनना चाहते वे किसी भी विकल्प को चुन सकें।

साहित्य अकादमी के गठन का उद्देश्य यह था कि वह भारतीय भाषाओं के बीच समन्वय का काम करेगी। लेकिन, कालांतर में साहित्य अकादमी ने साहित्य में अपना रास्ता तलाश लिया और भाषाओं के समन्वय का काम छोड़ दिया। एक भाषा से दूसरी भाषा के बीच अनुवाद का काम भी अकादमी गंभीरता से नहीं कर पा रही है।

आज साहित्य अकादमी केवल आयोजनों की अकादमी बन जाने से भी हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के बची समन्वय का काम आगे नहीं बढ़ पाया। नतीजा यह हुआ कि अन्य भारतीय भाषाओं की हिंदी को लेकर शंकाए दूर नहीं हो पाई। अब वक्त आ गया है कि सरकार काल की गति को पहचाने और युगधर्म एवं राष्ट्र धर्म के मुताबिक आगे बढ़कर सभी भाषाओं के मन में हिंदी के प्रति द्वेष का दूर करने का प्रयास करे। उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि हम सब संस्कृत की जड़ों से जुड़कर एक निष्ठ भारतवंशी बने हैं न कि अंग्रेजी के कारण। अंग्रेजी का इतिहास भारत में महज ढाई सौ साल पुराना है जब कि संस्कृत सहित अन्य तमाम भारतीय भाषाओं का इतिहास तीन से पांच हजार वर्ष पुराना है। हमें यह बातें नहीं भूलनी चाहिए कि तीन से पांच हजार वर्ष पूर्व में ही संस्कृत भाषा ने दक्षिण भारत की सभी (द्रविण मूल) की भाषाओं से शब्द अपनाए, बल्कि इन भाषाओं ने संस्कृत भाषा से अनेकानेक शब्द अपनाए। यही नहीं, हजारों वर्ष पूर्व संपूर्ण भारत में उत्तर से दक्षिण एवं पश्चिम से पूर्व तक संस्कृत भाषा एक लिंक भाषा की भूमिका निभा रही थी। आज भी पूरे देश के मंदिरों के पुजारी, पंडे एवं वेद, पुराणों एवं संगीत के विद्वान संस्कृत का प्रयोग करते हैं यही लोग पूरे देश भर में इसी संस्कृत की मूल के सहारे हिंदी को समझते, बोलते और संवाद करते हैं।

हम सब को यह जानकर खुश होना चाहिए कि बिना किसी सरकारी प्रयास के धार्मिक तीर्थाटन, आर्थिक एवं व्यापारिक आवागमन, पर्यटन के साथ–साथ हिंदी सिनेमा, टीवी सीरियलों ने हिंदी की पहुंच न सिर्फ पूरे भारत में पहुंचाई है, बल्कि पूरे विश्व में इसकी पहुंच को व्यापक बनाया है। बस विडंवना यह है कि आज विश्व में दूसरे नंबर पर समझी एवं बोली जाने वाली भाषा हिंदी अपने ही घर में वंचना का शिकार है। भारत में जो स्थान हिंदी एवं अन्य भाषाओं को मिलना चाहिए, वह उसकी सौतन अंग्रेजी को मिला हुआ है। अंग्रेजी का पढ़ना, पढ़ाना या बोलना गुनाह नहीं है, पर इसे हिंदी की कीमत पर नहीं अपनाया जाना चाहिए। हर भारतीय को पहले हिंदी आनी चाहिए, फिर अंग्रेजी।

शहरीकरण के गंभीर खतरे और कड़ी चुनौतियां

सौरभ शेखर झा
अनुवादक एवं पत्रकार

शहरों में लगे हैं समस्याओं के अंबार : स्वतंत्रता के बाद तेजी से शहरीकरण हुआ है। 1951 में महानगरों, शहरों व बड़े कस्बों की संख्या 2843 थी, जो वर्ष 2011 में बढ़कर 7935 हो गई। शहरों और कस्बों की कुल संख्या में महानगरों व बड़े शहर 6 प्रतिशत से बढ़कर 23.3 प्रतिशत हो गए। दुर्भाग्यवश देश के मैदानी तथा अन्य क्षेत्रों में भी हम शहरीकरण के बारे में नियोजित व एकीकृत रूप से कार्यवाही करने में विफल रहे हैं। फलस्वरूप शहरीकरण का एक समस्या के रूप में सामने आना स्वभाविक है। गांव से कस्बा, कस्बे से शहर और शहर से महानगर की ओर जनजीवन के प्रवाह में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से बड़े शहर और महानगरों में आबादी के प्रवाह की तीव्रता अधिक रही है।

वर्ष 1951 में भारत की आबादी 36.11 करोड़ थी जो 2011 में बढ़कर 121.00 करोड़ हो गई। इस आबादी में ग्रामीण आबादी 29.87 करोड़ से बढ़कर 83.3 करोड़ और शहरी आबादी 6.4 करोड़ से बढ़कर 37. 70 करोड़ हो गई है। स्पष्ट है कि विभिन्न दशकों में शहरी आबादी में वृद्धि दर राष्ट्रीय व ग्रामीण आबादी की वृद्धि दर से बहुत अधिक रही है। शहरी आबादी, ग्रामीण आबादी व कुल आबादी की तुलना में तेजी से बढ़ी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वर्ष 1951 से 2011 की अवधि में ग्रामीण, शहरी व कुल आबादी में क्रमशः 178.87 प्रतिशत, 404.16 प्रतिशत व 235 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस वृद्धि के फलस्वरूप शहरी आबादी का कुल आबादी प्रतिशत 1951 में 17.83 से बढ़कर 2011 में 31.15 प्रतिशत हो गया।

हमारे ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के बीच आज आर्थिक व सामाजिक असामानताएं हैं, जो समय के साथ बढ़ रही हैं। इसलिए शहरी आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। गांव के लोग मूलतः कृषि पर निर्भर हैं। एक तो कृषि का उत्पादन यदा कदा बाढ़, सूखा, अधिक वर्षा, आलों आदि से बुरी तरह प्रभावित होता रहता है। दूसरी ओर बढ़ती आबादी के कारण जोतों के घटते आकार से कृषि अर्थतंत्र सिकुड़ रहा है जिससे अब यह व्यवसाय लाभकारी नहीं रहा।

किसान, कारीगर व मजदूर लाभकारी गैर कृषि रोजगार की तलाश में शहर की ओर जाने लगे। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकीकरण नहीं हुआ। परन्तु शहरी क्षेत्रों में उद्योग धंधों की स्थापना एवं संचालन के लिए आवश्यक सुविधाएं सुलभ होने के कारण इनका विस्तार अधिकांशतः शहरों तक सीमित रहा। उद्योग धन्धों के विस्तार के साथ शहरीकरण का विस्तार हुआ और जीविका निर्वहन के लिए ग्रामीण जन जीवन उद्योगों की ओर आकिर्षत हुआ। यदि कोई बड़ा उद्योग धन्धा शहरी क्षेत्र से दूर लगाया भी गया तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु शनैः शनैः उसके आस पास शहरीकरण होने लगा। कानपुर, मोदीनगर, नोएडा, गुड़गांव आदि इसके उदाहरण हैं। इस बेतरतीब औद्योगिकीकरण के कारण वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण में भारी वृद्धि हुई है।

वायु व जल के प्रदूषण को रोकने के बारे में प्रभावी कदम उठाने होंगे। आज प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण पर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, सेमिनार व कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। पर्यावरण विभाग बनाए गए हैं, कई नियम तथा अधिनियम भी लागू किए गए हैं। परन्तु इन सबके बावजूद प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। प्रदूषित करने वाला प्रदूषण निवारण का व्यय भार उठाए' यह हमारी नीतियों का आधार होना चाहिए। निस्सन्देह देश के विकास और जनसंख्या वृद्धि के कारण शहरीकरण का विस्तार अनिवार्य है। परन्तु यदि यह विकास नियंत्रित, एकीकृत व समन्वित आधार पर नहीं हुआ तो निकट भविष्य में इसके गंभीर परिणाम होंगे और जनजीवन को नित नई त्रासदी झेलनी पड़ेगी।

आबादी की दौड़ में पिछड़ता परिवहन : भारत में परिवहन देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। लगभग 32,87,240 किमी क्षेत्रफल और 1,02,87,37,436 की जनसंख्या वाले भारत में परिवहन एक अनिवार्यता भी है और सुविधा भी। 1990 के आर्थिक उदारीकरणों के बाद से देश में भौतिक आधारभूत ढांचे का बहुत तेजी से विकास हुआ है, और आज, देश में थल, जल और वायु परिवहन के अच्छे से विकसित विविध प्रकार के परिवहन साधन उपलब्ध हैं। लेकिन, भारत की अपेक्षाकृत निम्न जीडीपी के कारण इन साधनों तक सभी लोगों की पहुंच समान नहीं है।

अभी भी केवल 10 फीसद जनसंख्या के पास ही मोटर साइकिलें हैं (लगभग 10,28,73,744)। कारों के स्वामी तो केवल कुछ धनवान लोग ही हैं; 2007 में केवल 0.70 फीसद लोगों के पास ही कारें थीं (72,01,163)। सार्वजनिक यातायात अभी भी परिवहन का प्रधान साधन है, और भारत का सार्वजनिक परिवहन विश्व का सर्वाधिक उपयोग किया जाने वाला साधन है।

सुधारों के पश्चात भी, परिवहन के बहुत से पहलू अभी भी पुराने पड़ चुके आधारभूत ढांचे और निरंतर बढ़ती जनसंख्या के कारण जूझ रहे हैं। अभी भी ट्रक द्वारा गुड़गांव से मुंबई के बंदरगाह तक सामान लाने–ले जाने में 10 दिन का समय लग जाता है। राज्यीय सीमाओं पर घूसखोरी और पुलिस की वसूली आम बात है, और ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशनल के एक अनुमानानुसार ट्रकवाले वार्षिक 5 अरब डॉलर की घूस देते हैं। यद्यपि भारत के पास विश्व परिवहन का केवल 1 फीसदी ही है, लेकिन यहां होने वाली यातायात दुर्घटनाएं विश्व का 8 फीसदी हैं। भारत के नगर बहुत ही संकुचित हैं: बहुत से महानगरों में बस की औसत गति केवल 6–10 किमी/घंटा है। भारत का रेल तंत्र विश्व का सबसे बड़ा है और विश्व का चौथा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला। भारत के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण देश के बंदरगाहों पर दबाव बढ़ रहा है। परिवहन ढांचे और सेवाओं की मांग प्रतिवर्ष 10 फीसद की दर से बढ़ रही है। कुल मिलाकर, भारत में परिवहन तंत्र पुरानी पड़ चुकी तकनीकों, अक्षम प्रबंधन, भ्रष्टाचार, आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों और निम्न कर्मी उत्पादकता से कारण भुगत रहा है।

बड़े धोखे हैं 'वाईफाई' की राह में : अब वाईफाई का जमाना है। इसके सहारे बिना किसी तार के कहीं भी इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है। इसका पूरा नाम वायरलेस वायरलेस फिडलिटी है। लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अब एयरपोर्ट, बड़े–बड़े होटल, ऑफिस, यूनिर्विसटी कैंपस और दिल्ली में तो विभिन्न इलाकों को वाईफाई से लैस किया जा रहा है। भारत में पुणे वाईफाई से लैस पहला शहर है। तकनीकि से कदमताल करने के लिए रेलवे भी ट्रेनों को वाईफाई से लैस करने जा रहा है। दिल्ली–हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस में सबसे पहले वाईफाई सेवा शुरू की गई थी।

इंटरनेट का इस्तेमाल लोग घर से लेकर रेस्त्रां तक में करते हैं। इंटरनेट का प्रयोग राउटर, डोंगल और वाईफाई की मदद से किया जाता है। इनमें राउटर सबसे सुरक्षित है। वाईफाई कनेक्शन में हैकिंग की शिकायत देखने को मिलती हैं। आमतौर पर यूजर्स किसी भी कॉफी शॉप या मॉल में अपना लैपटॉप या टैब का वाईफाई ऑन करके बैठ जाते हैं। मुफ्त में मिलने वाली यह सुविधा लोगों की सोशल नेटवर्किंग, खबरें और बैंक बैलेंस चेक करने की जरूरतों को भले ही पूरी करती है, लेकिन कई बार यूजर की निजी जानकारी हैक हो जाती है। इसलिए वाईफाई का इस्तेमाल करने वालों को ध्यान देना चाहिए कि किसी सार्वजनिक जगह में लॉगइन करना सेफ रहेगा या नहीं।

पब्लिक प्लेस में वाईफाई का प्रयोग करना खतरे से खाली नहीं है। ऐसी जगहों पर वाईफाई का इस्तेमाल करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपकी निजी जानकारी पब्लिक वाईफाई नेटवर्क से एक क्लियर टेक्स्ट के रूप में दूसरों तक पहुंच जाती है। यदि मॉल या एयरपोर्ट के आईटी विशेषज्ञ चाहें तो कुछ आसान सॉफ्टवेयर की मदद से आपके नेटवर्क में सेंध लगाकर आपकी निजी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

हैकर ऐसी ही सॉफ्टवेयर की मदद से लोगों की बैंक की जानकारी, पासवर्ड और निजी तस्वीरें जैसी कई अहम निजी चीजें चुरा लेते हैं। साथ ही यूजर को एक ही पासवर्ड को कई साइट्स पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पब्लिक हॉटस्पॉट पर यूजर्स को इन बातों का ख्याल जरूर रखना चाहिए। पब्लिक वाईफाई के प्रयोग में सबसे ज्यादा खतरा अकाउंट हाईजैकिंग का होता है। हैकर्स आपके वाईफाई ट्रैफिक को मॉनिटर करते हैं और यूजर के ब्राउजर कुकीज को चुरा लेते हैं। एक बार हैकर्स के पास कुकी आ गई तो वे यूजर के अकाउंट का पासवर्ड जानकर आराम से उसका दुरुपयोग कर सकते हैं।

झोपड़पट्टी–शहरीकरण के दिल में धब्बा : मुंबई की धारावी बस्ती विश्व की सबसे बड़ी झग्गियों में शुमार अपनी गरीबी और गंदगी के लिए भारत ही नहीं विश्वभर में मशहूर है। लेकिन धारावी के साथ एक और मजेदार बात यह है कि यहां हर साल 500 मिलियन डॉलर का कारोबार होता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक दौर में 1880 में धारावी की स्थापना हुई। यहां पर मुंबई में बाहर से आने वाले प्रवासियों का जमावड़ा है जो रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर आकर्षित होते हैं। विभिन्न राज्यों से आए हर धर्म के लोगों ने यहां पर छोटे–मोटे काम धंधे तलाश लिए हैं। जिस वजह से धारावी एक झुग्गी न होकर उद्योग केन्द्र के रूप में भी जानी जाती है। बुनियादी सुविधाओं का यहां घोर अभाव है। पानी, बिजली और सीवेज की समस्याएं यहां हर ओर छाई हुई हैं। एक अनुमान के मुताबिक धारावी की आबादी तीन लाख से दस लाख के बीच है। चूंकि यहां रहने वाले लोग यहां के स्थायी निवासी नहीं है अतः आबादी का कोई निश्चित आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। 535 एकड़ में फैले इस इलाके में मुख्यतः चमड़े

का कारोबार, टेक्सटाईल और मिट्टी के बर्तनों का व्यापार होता है। धारावी का बना सामान विदेशों को भी निर्यात किया जाता है। धारावी को लेकर महाराष्ट्र सरकार और केन्द्र सरकार ने मिलकर 1997 से अब तक कई सारे पुनर्वास कार्यक्रमों की घोषणा की है, लेकिन धारावी के हालात जस के तस हैं। एक आंकड़े के मुताबिक धारावी के 90 प्रतिशत उद्योग धंधे अवैध हैं जिनके पुर्नवास की कोई भी पहल प्रशासन के द्वारा नहीं हुई।

यहां पर लोग खुले में शौच आदि कर्म करते हैं। प्रति हजार लोगों पर एक टॉयलेट से हम समझ सकते हैं कि देश की आर्थिक राजधानी की स्लमों में रहने वाले इंसान किस कदर जीने को मजबूर हैं। देश की अर्थव्यवस्था में एक सक्रिय योगदान होने के बाद भी धारावी के निवासी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीने को अभिशप्त हैं।

शहरीकरण को अवसर के रूप में देखें: प्रधानमंत्री

नई सरकार देश में शहरों की समस्या को लेकर काफी फिक्रमंद है। क्योंकि देश में वर्ष 1951 में शहरी आबादी 62 लाख थी जो 2011 में बढ़कर 377 लाख हो गई है और यह वृद्धि क्रमशः 17 प्रतिशत तथा कुल जनसंख्या के प्रतिशत का सूचक है। यानी वर्ष 2040 और 2050 के बीच करीब 500 लाख और लोग कस्बों और शहरों में रहने लगेंगे और तब तक शहरी जनसंख्या 875 लाख हो जाएगी और उस स्थिति में देश की

जनसंख्या मुख्यतः शहरी हो जाएगी और ग्रामीण जनसंख्या मात्र 815 लाख रह जाएगी। इस चिंता को समझते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम गांववालों के शहरों की ओर जाने के बारे में चिंताएं व्यक्त करते रहते हैं; लेकिन अगर हम पहले दिन से सच स्वीकार करते तो क्या होता? इसे चुनौती के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इसे मजबूती के रूप में क्यों नहीं समझा जाता? एक बार आप इसे अवसर की तरह देखते हैं, काम असरदार तरीके से हो सकता है और इसके अच्छे परिणाम होंगे। मोदी जी ने कहा कि पुरानी मानसिकता कुछ बदल नहीं सकती क्योंकि तेजी से हो रहा शहरीकरण वास्तविकता है। हमारे शहरों को बदलने के लिए ठोस कूड़ा प्रबंधन जैसी आधुनिक पहल और नई तकनीक जैसी चीजों के साथ अपने रुख में नयापन लाने की जरूरत है। उक्त विचार मोदी जी ने 'संपूर्ण शहरी विकास' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में 26 राज्यों, 411 जिलों के प्रतिनिधियों, महापौरों, उपमहापौरों और विभिन्न शहरों के अन्य अधिकारियों के समक्ष व्यक्त किए थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लोगों को वर्ष 2022 पर ध्यान लगाना चाहिए जब भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। वे सोचें कि वे वर्ष 2022 में अपने शहर को कैसा बनाने का सपना देखते हैं और इसके अनुसार परियोजना तैयार कीजिए। विश्व में हर जगह हमारी आलोचना होती है कि हम अपने शहरों को गंदा रखते हैं। हमे यह बात दिमाग में रखनी चाहिए कि अपने जीवनकाल में स्वच्छता को काफी महत्व देने वाले युग पुरुष महात्मा गांधी को सम्मान दर्शाते हुए शहरों को साफ रखने का काम किया जाए। गांधी जी को यही सच्ची श्रद्धाजंलि होगी।

केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय का शहरीकरण को लेकर चिंताएं वाजिब हैं। उसका मानना है कि देश 2040 के उपरांत शहरीकरण की ओर उन्मुख हो जाएगा और इसके चलते शहरी प्रबंधन एक चुनौती के साथ–साथ अवसर भी बनेगा और सामने आ रही चुनौती को देखते हुए राज्यों को चाहिए कि वे आवश्यक शहरी सुधार, योजना एवं प्रबंधन की दिशा में अति सक्रिय भूमिका निभाएं। शहरी विकास मंत्री के अनुसार शहरीकरण की दिशा में भारत पीछे है जबकि चीन और इंडोनेशिया में इसकी स्थिति 50 प्रतिशत, दक्षिण अफ्रीका में 61 प्रतिशत और ब्राजील में 87 प्रतिशत है और एशिया का औसत शहरीकरण 45 प्रतिशत है।

शहरीकरण, आर्थिक स्तर और विकास के बीच प्रत्यक्ष संबंध को स्वीकार करते हुए वे कहते हैं कि कस्बों और शहरों का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान वर्ष 1950–51 में 29 प्रतिशत से बढ़कर 1987 में 47 प्रतिशत तथा 2007 में 63 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2021 में बढ़कर इसके 75 प्रतिशत होने की संभावना है। देश में शहरों और कस्बों की संख्या 5161 बढ़कर वर्ष 2011 में 7936 हो गई है। शहरी क्षेत्रों में असंतोषजनक गुणवत्ता तथा अपर्याप्त आधारभूत संरचना पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री नायडू ने बताया कि सार्वजनिक यातायात का गरीब लोगों तथा आशावान भारत पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है। महानगरों को मिलने वाली परिवहन सुविधा की मिसाल देते हुए कहा कि दिल्ली मेट्रो रेल सेवा डीजल, पेट्रोल और गैस जैसे दुर्लभ ईंधन की खपत को बचाने के साथ–साथ द्रुत एवं आरामदायक परिवहन का सर्वोत्तम साधन होने के अलावा अन्य दक्ष सार्वजनिक परिवहन से जोड़ती है। उन्होंने आह्वान किया कि स्वच्छता तथा सोलिडवेस्ट प्रबंधन सहित शहरी मामलों के प्रबंधन में संस्थागत लोगों को सहभागिता करनी चाहिए। हाल ही में परिवहन मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार इथनोल से चलने वाली एक बस का परीक्षण करवा रही है जो पहले नागपुर में चलेगी, यदि प्रयोग सफल रहा तो अन्य शहरों में भी यह परियोजना आगे बढ़ाई जाएगी। आपने उद्यमियों से कहा कि वे गैर पारंपरिक ऊर्जा से चलने वाले वाहनों के विकास में योगदान करें ताकि आयातित खनिज तेलों पर निर्भरता कम हो तथा विदेशी मुद्रा की बचत हो सके। कुल मिलाकर नई सरकार का यह प्रयास सराहनीय एवं स्वागत योग्य माना जाना चाहिए। इससे यह बात एक बार पुनः प्रमाणित होती है कि नई सरकार देश में शहरी योजना एवं प्रबंधन में आवश्यक सुधार लाने तथा शहरीकरण की क्षमता के दोहन के प्रति वचनबद्ध है।

उभरते भारत में प्रबंधन एवं कौशल की आवश्यकता

प्राची सिंह, गार्गी कालेज

प्रबंध या प्रबंधन एक महत्वपूर्ण तकनीक एवं कौशल है जिसका तात्पर्य है अपने सहयोगियों अथवा अधीनस्थों के साथ मिलकर या मार्गदर्शन कर सफलतापूर्वक कार्य करवाने की कला। एक सफल प्रबंधक वह व्यक्ति होता है जो एक संस्था में इस प्रकार की प्रणाली या व्यवस्था विकसित एवं लागू करने में सक्षम हो, जिसके तहत उसे अपने सहयोगियों या अधीनस्थों के बीच बार उपस्थित हुए बिना ही कार्य निष्पादित होते रहें। प्रबंधन के अंतर्गत कार्य नियोजन, निर्णय लेना, संगठन बनाना, कर्मचारी निर्धारण (स्टाफिंग), समन्वय, अभिप्रेरण, निर्देशन एवं मार्गदर्शन, संचार–संप्रेषण नवाचारिता (इन्नोवेशन) आदि अत्यंत महत्वपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण प्रबंधकीय कार्य है। किसी संगठन संस्था अथवा व्यवसाय में उसे उपयुक्त समय एवं परिस्थिति में यथेष्ट मात्रा में प्रयोग करना इसकी प्रमुख सफलता है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत एक विकासशील देश और विकास की सीढ़ियां तेजी से चढ़ने के लिए प्रयासशील है। प्रत्येक देश की भांति भारत की भी अपनी कुछ सीमाएं एवं समस्याएं है। भारत में न सिर्फ

सांस्कृतिक विविधता है, बल्कि यहां पर प्रचुर मात्रा से भाषायी विविधता भी है। यही कारण है कि यहां पर किसी एक ही मॉडल एवं प्रक्रिया को आदर्श नहीं माना जा सकता है। यह देश न केवल भाषा विविधता से युक्त है बल्कि यहां सामुदायिक विभिन्नता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रबंधकी किसी एक शैली को न अपनाकर स्थान, शहर, वातावरण, संसाधन एवं उनकी उपलब्धता के आधार पर किसी भी कार्य या व्यवसाय के आगे बढ़ाने के अनुकूल प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है।

भारत प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर देश है। यहां की नदियां, पहाड़ एवं समुद्र तथा भौगोलिक बनावट आदि सब कुछ अभूतपूर्व है। यहां प्रचुर मात्रा में सभी संसाधन उपलब्ध हैं किंतु उनका समुचित दोहन एवं सदुपयोग नहीं हो पाया है। इसलिए भारत जैसे देशों में प्रबंध एवं प्रबंधन का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। देश की आजादी के बाद हमारे पुरोधाओं ने एक प्रजातांत्रिक प्रणाली का चयन किया और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से एक समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने का लक्ष्य तय किया। चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है अतः सबसे पहले कृषि के विस्तार की दिशा में कार्यक्रम लागू किए गए। भारत जैसे विकासशील देशों में इसीकारण तकनीक एवं प्रौद्योगिकी की अपेक्षा प्रबंधन पर ज्यादा जोर दिया गया। लेकिन आज समय तेजी के साथ बदल रहा है। पिछले 100 वर्षों में और विशेष तौर पर सूचना एवं तकनीक तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछले तीस–चालीस सालों में जो अभूतपूर्व क्रांति आई है, अब उससे कोई भी देश अछूता नहीं बचा है। यदि प्रगति की इस गति को अपनाने में कोई देश थोड़ा भी पीछे रह जाता है तो वह दीर्घकाल तक पीछे ही रह सकता है।

हमारे देश में बहुत सारे क्षेत्र में यांत्रिक उत्पाद एवं उत्पादों की भारी कमी है। इसलिए अब तुरंत यह आवश्यकता है कि विकसित तकनीकों एवं प्रौद्योगिकियों को आयातित किया जाए, अन्यथा हमारे यहां तेजी से तैयार होने वाले प्रबंधकों की खाली फौज तैयार होकर रह जाएगी। शिक्षा क्षेत्र में आए तीव्र विस्तार एवं सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के साक्षा एवं निजी प्रयासों तथा उदारवादी नीतियों के कारण हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में कुशल प्रबंधक तैयार हो रहे हैं। आज हालात यह है कि विकासशील देशों जैसे कि भारत के कुशल प्रबंधक विकसित देशों की ओर भाग रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका में प्रबंध–कर्मचारी अनुपात 1:17 का है जबकि यही भारत जैसे देशों में 1:100 का है। अमेरिका में अधिकांश प्रबंधक तृतीय विश्व देशों से प्रवासित लोग हैं।

हमारे देश में बीसवीं शती में राजकीय उपक्रमों में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई, किंतु सूचना–प्रौद्योगिकी के आगमन से बीसवीं शती के आखिरी दशक में तथा ईक्कसवीं शती में तेजी से निजी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों, संस्थानों में तेजी से उदय हुआ है। इसके लिए जहां प्रशासनिक अधिकारियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होगी। वही भारत की पुरानी एवं पारवारिक संस्थानों तथा निजी क्षेत्र के नवीन संस्थानों को पेशेवर प्रबंधकों की आवश्यकता होगी। यद्यपि देश भर के कई राज्यों में सरकार के द्वारा प्रबंध संस्थान स्थापित किए गए और निजी क्षेत्र में शिक्षा संस्थान भी तेजी से इस दिशा में बढ़ रहे हैं, तथापि प्रबंधन की कुशलता एवं गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी।

आज भारत एवं उसकी अर्थव्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं, जहां पर सारे विश्व की नजरें उसे देख रही हैं। पूरे विश्व को यह भी आशा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था समग्र रूप से पूरे विश्व को एक नई गतिशीलता प्रदान करने की क्षमता वाली होगी। आज भारत में प्रबंधकों को जहां दीर्घकालीन वृद्धि, जन कल्याण, विकास तथा समृद्धि को लक्ष्य बनाना होगा, वही उन्हें देश की प्रशासन एवं समाजवादी प्रणाली के अनुरूप सरकारी नियंत्रण एवं सरकारी क्षेत्र तथा राष्ट्रीयकरण के साथ–साथ निजी क्षेत्र की साझेदारी व्यावसायिक लाभप्रदता तथा व्यावसायिक सफलता एवं समृद्धि को भी ध्यान में रखना होगा।

आज के दौर में भारतीय प्रबंधकों को अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए संघर्षपूर्ण कार्य करने होंगे। भारतीय प्रबंधकों को कई विषमताओं

एवं अंतरो को पाटना होगा। जैसेकि तकनीकी अंतर को विदेशी तकनीकें आयात करके, कुशलता का अंतर प्रबंधकों को प्रशिक्षित करके तथा साधनों की कमी को संसाधनों के समुचित दोहन से पाटा जा सकता हैं मोटे अर्थों में आज हमारे देश का इन दस क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधकों की आवश्यकता हैः–

1. देश की पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने के लिए
2. देश में उपलब्ध स्रोत एवं संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग हेतु
3. देश एवं समाज के लिए सामाजिक दायित्व की पूर्ति हेतु
4. परंपरागत (देसी) प्रबंधक के स्थान पर पेशेवर प्रबंधन हेतु
5. देश में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं लालफीताशाही की बुराइयों को मिटाने हेतु
6. सरकारी तंत्र की अकर्मण्यता हटाना एवं गतिशीलता लाने हेतु
7. देश में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु
8. देश की अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक विकास को तीव्र गति देने हेतु
9. देश में औद्योगिक क्षेत्रों में प्रजातंत्रिक व्यवस्था विकसित करने हेतु
10. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु

आज पूरे देश में प्रबंध एवं प्रबंधन के महत्व को स्वीकार किया जाने लगा है। बीसवीं सदी में यह सोच थी कि प्रबंधन का मतलब दूसरों से काम लेने की युक्ति है यानि कि प्रबंधक अपने अधीनस्थ को निर्देश एवं आदेश देकर काम निष्पादित कराना है। लेकिन अब इक्कीसवीं सदी में यह सोच तेजी से बदल रही है। अब यह माना जाता है कि प्रबंधक अपने अधीनस्थों को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन से सिर्फ पर्याप्त सुअवसर प्रदान करें और उन्हें अपनी पूरी प्रतिभा का उपयोग करने का अवसर दें तो कार्य अपने आप आगे बढ़ते हैं।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रबंधन अन्य व्यक्तियों से अपेक्षित कार्य करने की कला है। किसी संस्थान में एक प्रबंधक या मालिक स्वयं सभी कार्यों को नहीं करता, बल्कि उन्हें अन्य व्यक्तियों की सहायता से योग्यतानुसार काम देकर कराता है। एक संस्थान का प्रबंधन ऐसी नीतियां बनाता एवं निर्णय लेता है, जिससे न सिर्फ कर्मचारी एवं उत्पादन प्रभावित होता है, बल्कि उसका प्रभाव उपभोक्ता, राज्य, देश एवं जनता पर पड़ता है। इस प्रबंधन में मानव भ्रम, संस्थान की प्रौद्योगिकी, तकनीक, मशीनें, कच्चा माल, उत्पाद एवं उत्पादन सभी शामिल होते हैं। अर्थात् वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय एवं भौतिक साधनों का संगठन एवं संचालन ही प्रशासन एवं प्रबंधन है। एक संस्थान को सफल बनाने में जितना हाथ अच्छे प्रबंधन का होता है। उतना ही हाथ प्रबंधित, दक्ष एवं कुशल कर्मचारियों का भी होता है।

संस्थानों के लिए कौशल निर्माण (टैलंट बिल्डिंग) एक चुनौती के रूप में सामने है। इस वैश्विक दुनिया और तेजी से बदलते व्यावसायिक वातावरण में वैश्विक प्रतियोगिता का निर्णय कुशलता (टैलंट) की उपलब्धता पर काफी हद तक निर्भर करता है। इस प्रतियोगिता में जीतता वही है, जिसके पास कौशलपूर्ण कार्मिक की संख्या अधिक होती है। अमूमन सही जानकारी की कमी की वजह से कार्यपालक अनजाने में ही काफी जोखिम भरा निर्णय लेते हैं। दरअसल, वे प्रायः केवल कार्मिकों की संख्या पर ही ध्यान देते हैं न कि कौशल के प्रकार पर। प्रायः प्रबंधन के अभाव में उनके पास अक्सर इस तरह का निर्णय लेने के बारे में सही जानकारी की कमी होती है।

वे प्रायः यह निर्णय नहीं ले पाते कि किस तरह का कौशल कहां पर फिट बैठेगा। वास्तव में, इसके लिए काफी सूक्ष्मता से ध्यान देने की जरूरत होती है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो कारोबार को आगे बढ़ाना काफी मुश्किल होता है। सही समय पर सही जगह पर सही लोग के नहीं होने से कंपनियों की रणनीतियों को ठीक से लागू नहीं किया जा सकता है। यहां सच बात यह है कि कंपनियां सही रणनीति अपनाने के द्वारा कौशल सुधार के मामले में आगे रह सकती है। वैसे इन बातों पर वही कंपनियां ध्यान देती हैं, जिनके लिए इनोवेशन (नवाचारिता) एक अहम चीज है। ऐसी कंपनियां मानव पूंजी निवेश को काफी प्राथमिकता देती हैं। हम यहां उन्हीं बातों को बताने जा रहे हैं, जिनको अपनाकर कोई कंपनी सफलता के पायदान चढ़ सकती हैं। साथ ही, कौशल की कमी और भविष्य में मांग और पूर्ति को ध्यान में रखकर तैयारी को भी आगे बढ़ा सकती है।

- कौन कार्मिक कहां फिट होगा इसका निर्णय सही ढंग से होनी चाहिए। इसके द्वारा कंपनियां अपना लक्ष्य स्पष्ट कर सकती है और कौशल का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।
- अपनी रणनीति के अनुसार कौशल की संख्या को सुनिश्चित करना एक मुश्किल काम है। क्योंकि भविष्य में कंपनी को कितनी संख्या में कौशल की जरूरत होगी इसका अनुमान लगाना होता है। साथ ही वर्तमान में कितना कार्यबल चाहिए यह भी निर्धारित करना अहम है।
- कंपनी की प्राथमिकताएं क्या हैं? यह पूरी तरह स्पष्ट होनी चाहिए। वहीं वर्तमान में कौशल और जरूरत के बीच में कितनी कमी है, इसका पता लगाना काफी जरूरी है। साथ ही इस कमी को पूरा करना भी प्राथमिकताओं में होनी चाहिए।
- कौशल की जरूरत को ध्यान में रखकर वित्त (फाइनेंस) को निश्चित करना ताकि कौशलपूर्ण लोगों को आसानी से हायर

किया जा सके। मानव पूंजी नियोजन को विकसित करना भी इसका एक चरण है। मानव संसाधन की शुरूआती लक्ष्य को भी स्पष्ट करना चाहिए। ताकि संदेह की कोई गुंजाइश न रहे।

- प्रबंधकों को नई सोच के साथ तैयार करना चाहिए ताकि वे कार्मिकों की गतिशीलता पर ध्यान दे सकें। उस पुरानी मानसिकता से भी बाहर निकलना होगा जिसमें टर्न–ओवर को जीत या हार की कसौटी पर कसा जाता था। मानव पूंजी और कार्मिक के सामाजिक पूंजी गतिशीलता को भी समझना होगा। दरअसल, इसका फायदा कंपनी को होगा। सही तालमेल के साथ काम करने से घाटे को कम किया जा सकता है।

- कंपनी की भावी योजना काफी मायने रखती है। हर कंपनी के पास ऐसी योजना जरूर होनी चाहिए, जिससे वह भविष्य में कौशल संबंधी होने वाली कमी को पूरा करने के लिए अभी से सही

और सटीक प्लानिंग (नियोजन) करे। इसके लिए भी कौशलपूर्ण बेहतर मनोदशा की जरूरत होती है। साथ ही कौशल को प्रबंधित करने के लिए भी लंबे प्रयास करने होते हैं।

आज बैंकिंग एवं आवास वित्त क्षेत्र के साथ–साथ समस्त वित्त एवं अर्थ जगत के लिए कुशल प्रबंधन की आवश्यकता है जो देश में होने वाली प्रगति एवं विकास के लाभ को ग्राम एवं शहरी एवं अर्धशहरी क्षेत्रों में समान रूप से पहुंचा सकें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में पर्याप्त जोखिम भी जुड़ा है अतः ऐसे में कौशलपूर्ण प्रबंध एवं प्रबंधन की भूमिका और भी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि समाज के हाशिए में पड़े गरीब एवं भूमिहीन तबकों को अपने पैरों में खड़े होने के लिए किस प्रकार की परियोजनाओं, योजनाओं एवं कार्यक्रमों से सहायता पहुंचाई जा सकती है, उन्हें इस दिशा को भी ध्यान में रखना होगा, ताकि वित्तीय समावेशन का लाभ सभी को समान रूप से प्राप्त हो सके।

यानि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जब एक उपक्रम / संस्थान के प्रबंधकों द्वारा कार्मिकों के विकास पर ध्यान दिया जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है, पदोन्नति के सुअवसर दिए जाते है तो उनमें अपनत्व की भावना एवं जिम्मेदारी की भावना का विकास होता है। वे अपने विकास को संस्था के विकास के साथ जोड़ देते है। यानि यह कहना बिल्कुल उचित है प्रबंधन व्यक्ति का विकास है, न कि वस्तुओं का निदेशन।

नव–सन्यास

सन्यास की अवधारणा को ओशो ने भारत की विश्व को अनुपम देन बताते हुए सन्यास के नाम पर भगवा कपड़े पहनने वाले पाखंड़ियों को खूब लताड़ा। सभी भगवा धारी पाखंडी होते है ऐसा नहीं है। ओशो ने हर एक पाखंड पर चोट की। ओशो ने सम्यक सन्यास को पुनरुज्जीवित किया है। पुनः बुद्ध का ध्यान, कृष्ण की बांसुरी, मीरा के घुंघरू और कबीर की मस्ती संसार को दी है। सन्यास पहले कभी भी इतना समृद्ध न था जितना आज हुआ है। इसलिए यह नव–संन्यास है। ओशो की नजर में सन्यासी वह है जो अपने घर–संसार, पत्नी और बच्चों के साथ रहकर पारिवारिक, सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए ध्यान और सत्संग का जीवन जिए। उनकी दृष्टि में एक सन्यास वह है जो इस देश में हजारों वर्षों से प्रचलित है। उसका अभिप्राय कुल इतना है कि आपने घर–परिवार छोड़ दिया, भगवे वस्त्र पहन लिए, चल पड़े जंगल की ओर। वह सन्यास तो त्याग का दूसरा नाम है, वह जीवन से भगोड़ापन है, पलायन है और एक अर्थ में आसान भी है। अब यह आसान है कि नहीं, लेकिन कभी अवश्य आसान था। भगवे वस्त्रधारी सन्यासी की पूजा होती थी। उसने भगवे वस्त्र पहन लिए, उसकी पूजा के लिए इतना पर्याप्त था। वह दरअसल उसकी नहीं, उसके वस्त्रों की पूजा थी। वह सन्यास इसलिए भी आसान था कि आप संसार से भाग खड़े हुए तो संसार की सब समस्याओं से मुक्त हो गए। क्योंकि समस्याओं से कौन मुक्त नहीं होना चाहता? लेकिन जो लोग संसार से भागने की अथवा संसार को त्यागने की हिम्मत न जुटा सके, मोह में बंधे रहे, उन्हें त्याग का यह कृत्य बहुत महान लगने लगा, वे ऐसे सन्यासी की पूजा और सेवा करते रहे और सन्यास के नाम पर परनिर्भरता का यह कार्य चलता रहा। सन्यासी अपनी जरूरतों के लिए संसार पर निर्भर रहा और तथाकथित त्यागी भी बना रहा। लेकिन ऐसा सन्यास आनंद न बन सका, मस्ती न बन सका। दीन–हीनता में कहीं कोई प्रफुल्लता होती है? धीरे–धीरे सन्यास पूर्णतः सड़ गया। सन्यास से वे बांसुरी के गीत खो गए जो भगवान श्रीकृष्ण के समय कभी गूंजे होंगे–सन्यास के मौलिक रूप में। अथवा राजा जनक के समय सन्यास ने जो गहराई छुई थी, वह संसार में कमल की भांति खिल कर जीने वाला सन्यास नदारद हो गया।

स्वामी तथागत भारती

किसना

श्रीमती उमा सोमदेवे

स्कूल की हर कक्षा में प्रथम आने पर भी किसना को पिता की मार खानी पड़ती तथा परिवार का तिरस्कार भी सहना पड़ता। बिना वजह पिटाई पिता का शौक था तो माता भी कुछ कम न थी। भोजन की उचित व्यवस्था का अभाव था। सोने– बिछाने के लिए टाट के बोरे थे और घर में गंदगी की कोई कमी न थी। जन्मजात 'अंडर वेट' किसना के लिए भोजन कभी भरपेट न मिला। प्राणांतक मार से शरीर क्षीण हो गया और किसना जब बीमार हुआ तो मलेरिया की गोली भी लाने के लिए घर में लोग राजी न हुए। कहते हैं कि किसी ज्योतिषी ने उसके पिता को किसना को परिवार का काल (मृत्यु) बतला दिया था। इसी वजह किसना को घर में कोई स्थान न था। समय बीतता चला गया और किसना के पिता का भंयकर डिप्रेशन से देहांत हो गया। सुना है उनके बड़े एवं सबसे प्रिय बेटे ने उनके साथ धोखा किया था। उनकी चाहत थी कि बड़ा बेटा बड़ा होनहार है सो वह पढ़कर नौकरी कर सभी भाई बहनों को पढ़ाएगा और परिवार को खुशहाल कर देगा। किसना तो परिस्थिति वश परिवार से बहुत दूर निकल गया था, मगर उसके बड़े भाई ने शादी पश्चात परिवार से दूरी बना ली और कौड़ी–कौड़ी इकठ्ठी कर अच्छा खासा बैंक बैलेंस खड़ा कर लिया। लेकिन होनी को देखें कि उसके बच्चे किसी मुकाम पर न पहुंचे। लड़का उम्र के 32 वर्ष में प्राइवेट नौकरी पर लगा तथा लड़की बाजार में सब्जी बेचते पाई गई। उसकी बीबी जो उसके मामा की लड़की थी पूरी सुर्पनखा थी और किसी तरह बदला लेने की चाह में किसना के परिवार में ब्याही गई थी। उसके दुष्ट स्वभाव और नीच प्रवृत्ति की वजह से परिवार में किसी से न बनी। पति के संचित धन और चालाक मन का उसे बड़ा गर्व था। बहु के बच्चों की बाट जोहते–जोहते किसना की मां का भी स्वर्गवास हो गया। यह अच्छा हुआ कि किसी गंभीर बीमारी से उन्हें जुझना न पड़ा। माता के जाते ही किसना का परिवार तहस–नहस हो गया। मां की मौत के बाद अंतिम क्रिया के लिए भी किसना के बड़े भाई भाभी ने रिश्तेदारों से चंदे का सहारा लिया, मगर अपने संचित धन से मां की अंतिम यात्रा की सामग्री न खरीद सका। किसना ने अपनी मां की तेरहवीं के लिए बड़ा योगदान दिया; किन्तु कथित बड़प्पन का मारा किसना का बड़ा भाई बेरोजगार तथा छोटे नौकरीवाले भाईयों से भी चंदा मांगना न भूला।

खानदान में बड़ा लड़का होने की वजह से उसका बड़ा मान था क्योंकि वह फोकट में मुर्गियों की दावत उड़ाने के लिए रिश्तेदारी में अक्सर आया जाया करता था। अब वह रिटायर हो चूका है और अलग–अलग रिश्तेदारी में मजे से दावत उड़ा रहा है। उसके बीबी का कमीनापन अभी भी कायम है। दोनों ने कभी किसी की किसी तरह से मदद की होगी, ऐसा किसी को मालूम नहीं। केवल भगवान चित्र गुप्त ही जानते होंगे। किसना को थोड़ा बहुत अपनी मां की सेवा करने का मौका मिला। उसने मां की तीर्थ यात्रा हवाई यात्रा से करा दी। समय–समय पर कुछ राशि मां को भेजता रहा। अंतिम समय में वार्तालाप के अभाव में मां को धन भेज न सका। किसना को आज भी इस बात का दुःख है तथा दुख इस बात का भी है कि वह पिता की कुछ भी सेवा न कर सका। लेकिन पिता को दिया गया वचन उसने निभाया। दो छोटे भाइयों को पढ़ा–लिखाकर सरकारी नौकरी लगवा दी। उनका परिवार बस गया। वे खुशहाल हुए। एक और भाई को नौकरी का न्यौता दिया मगर उसे नौकरी करना पसंद न था। आज वह अपने बड़े परिवार के साथ भिखमंगे सा जीवन जी रहा है। उसका उसके परिवार के प्रति दायित्व बड़ा है और स्थाई नौकरी के अभाव में धन की कमी। वह स्वभाव से उग्र था। 50 के पार करने पर उसमें थोड़ी नरमी आयी। यह नरमी पूरी तरह से गर्मी उतरने के बाद आयी वरना उसने एक बार किसना को मारने में आगे–पिछे न देखा था। किसना की बहने बेशर्म निकलीं। बड़ी वाली तो क्रूर तथा दुष्ट और छोटी वाली चालाक लोमड़ी। किसना की बहनों से कभी न पटी। आज किसना के दो भाई जिन्हें किसना ने नौकरी पर लगाया, उसमें से एक की शादी कराई। वे किसना के बैरी बन गए हैं। वजह कुछ भी नहीं। मगर व्यर्थ के मनमुटाव ने परिवार में बैर उत्पन्न कर दिया और पूरा परिवार तहस नहस हो गया। वे किस मुंह से किसना से कहेंगे कि उनके बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम करें। जैसा किसना के माता–पिता ने बोया उसकी फसल भी उतनी ही कमजोर निकली। किसना के अपने परिवार में बेटे–बेटियां सभी उच्च शिक्षित, उच्च आयवर्ग वाली निकली। माता–पिता से बढ़कर परमात्मा ने उसका साथ दिया। माता–पिता में परमात्मा का वास होता है यह बात किसना जिस संवर्ग और इलाके से संबंधित है वहां लागू नहीं होता। वहां इसी प्रकार की परिस्थिति सब तरफ है। हर बच्चा किसना और हर माता–पिता राक्षस प्रवृत्ति के हैं। अशिक्षा और कमीनेपन का वहां बोलबाला है। सन्मार्ग की बात करना वहां पाप है। वहां पापियों की भरमार है।

किसना के गांव में एक दुष्ट परिवार आ बसा। उसका मुखिया बदमाश प्रवृत्ति का था। उसने कई लोगों की जायदाद हड़पी और

मालामाल हो गया। बच्चे उसके पदचिन्हों पर चले और अपनी बाप के बाप निकलें। आज कल गांव की हर बुरी खबर से उनका नाता होता है। गांव वासी त्रस्त हैं लेकिन वे मस्त हैं। राजनीति में हाथ आजमाने की वजह से उनके जिगरे बलशाली हो गए हैं। उन्मत हाथी की तरह विचरण करते हुए उन्हें देखा जा सकता है। वहां कोई भी उनके मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने कोशिश की, मगर सफल न हो सके। उनकी चालें हमेशा उनके पक्ष में रही। गांव के इज्जतदार लोग उनके पास फटक न सके। कई तो स्वर्गवासी हो गए और कईयों ने गांव छोड़ दिया। अब उन्ही राक्षसों का राज है। चित भी मेरी पट भी मेरी ऐसी स्थिति उनकी है। गांव वालें डरते हैं क्योंकि कहते हैं ''नंगों से खुदा भी डरता है।''

किसना के गांव की डरावनी हालत है। वहां अधिकतर जनजातियां और पिछड़े लोग बसते हैं। जन–जातियों में अधिकतर युवा लडकियां युवकों के साथ बिना ब्याहे गृहस्थ हो जाती हैं। यह स्थिति अब अन्य लोगों की भी हो गई है। काफी बेमेल जोडियां होती हैं वहां। कभी बहुत कम पढ़ा लिखा पुरुष अच्छी पढ़ी–लिखी लड़की को फांस लेता है तो कभी अच्छा पढ़ा लिखा शिक्षित युवक अनपढ़ लड़की से गृहस्थ हो जाता है।

किसना के गांव में मदिरा पीने का बड़ा चलन है। पुरुष तो पुरुष स्त्रियां भी गटक जाती हैं। अब कच्ची बनाने का जमाना गया। रेडीमेट दुकानों पर उपलब्ध है। कामगार पति अक्सर 40 से 50 की उम्र मेंनर्कवासी हो जाते हैं। ऐसे में स्त्री को पेंशन और नौकरी मिल जाती है जो कि फायदे का सौदा होता है। इसलिए कई स्त्रियां दारूबाज पति से तंग आकर उसे मरने के लिए छोड़ देती हैं या उसकी देखभाल नहीं करतीं। बच्चे पढ–लिख कर भी पिता के पद चिन्हों पर चलते हैं। अब गांव का स्वरूप काफी कुछ बदल गया है। वहां स्कूल की हालात बहुत खराब है। शिक्षा का व्यवसाय चल रहा है मगर फल अकेले मास्टर जी खा रहे हैं। दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट 10 प्रतिशत से कम ही होता है। यह शर्मनाक होते हुए भी किसी को कोई शर्म नहीं है। गांव में जुआं खेलने और निठल्ले घूमने का जैसे सबको लाइसेंस मिला हुआ है। उच्च शिक्षा की अनेक सुविधाएं होने के बावजूद वहां कोई उच्चशिक्षित होना नहीं चाहता। झगड़ा, मारपीट, गालीगलौच वहां आम बात है। मुर्गी चोरी, भैंस, गाय और बकरी की चोरी रोज किसी न किसी के घर में होती है। शाम होते ही अनेक घरों से रोने की जोर से सीना पीटने की तथा हाय–हाय की आवाजें आती हैं। चोर कहीं बाहर के नहीं वह तो पड़ोसी एक–दूसरे के घर में ही चोरी करते है। लफंगों का बाजार किसना के गांव जैसा शायद कहीं और न होगा। ईश्वर ने खूब सोच समझकर उस गांव की नींव रखी होगी। आस–पड़ोस के हजार गांवों में किसना के गांव को अच्छा नहीं समझा जाता।

पर्यावरण की दृष्टि से किसना का गांव अत्यंत रमणीय है लेकिन जिस तरह गांव में गोबर और कचरे के ढेर दिखते हैं उससे पता चलता है कि गांव में कितने पढ़े–लिखे लोग रहते हैं। गांव में भूकंपीय खतरा बढ़ गया है। किसना के गांव के आस–पास का सारा क्षेत्र खनिज पदार्थों से भरपूर है। अंग्रेजों के जमाने से खनिजों का दोहन होने की वजह से भूगर्भीय खतरा मंडरा रहा है। हो सकता है 50 या 100 साल लगे मगर वह गांव भूगर्भ में समाएगा इसकी गारंटी है। स्कूल के बिल्कुल समीप दूरसंचार टावर विद्यार्थियों की सेहत के लिए कितना फायदेमंद है यह बताने की जरूरत नहीं है। विज्ञान काफी आगे बढ़ गया मगर किसना के गांव के लोगों की बुद्धि का विकास संक्षिप्त ही रहा। दुनिया कितनी भी आगे बढ़े मगर चंद स्वार्थी लोग यदि अपने विकास को प्राथमिकता देगें तो गांव का विकास कैसे होगा? वैसे तो हर गांव राजनीति का अखाड़ा बन चुका है। छोटे–छोटे पंचायतों के चुनाव ऐसे होते हैं मानो लोकसभा या विधानसभा के चुनाव हो रहे हो। अनेक समस्याओं की जड़ मदिरा होती है। जहां सौ में से पचहत्तर प्रतिशत लोग पीने वाले हो एवं गांव के 25 प्रतिशत लोग मदिरा सप्लाई करने वाले हों वहां उन्नति कैसे होगी। पीने वालों के आगे योग–प्राणायाम की बाते बेमानी है। हर घर वहां लड़ाई का मैदान बन चुका है। कारण पूछों तो कुछ विशेष नहीं। अनेक जानलेवा झगड़े तो केवल लांछन लगाने और एक दूसरे पर शक करने के कारण होते हैं। शक का कोई इलाज नहीं यह जानते हुए भी पढ़े–लिखे व अच्छे खाते–पिते घर में पति–पत्नी कलह उत्पन्न करते हैं। बच्चों पर बड़ा बुरा असर होता है लेकिन यदि बच्चे बड़े हो तो वे पिता की गलती न रहने पर भी मां का ही साथ देते हैं जिससे घर के मुखिया की स्थिति एक भगौड़े के समान हो जाती है। तंग आकर वह कभी–कभी आत्महत्या तक कर बैठता है। अब गांव में पंचों से फैसला कराने का रिवाज लगभग खत्म हो गया है। लड़ाई–झगड़े संबंधी स्टाम्प पेपर पर समझौते का कोई औचित्य नहीं है फिर भी स्टाम्प पेपर पर आगे झगड़ा न करने की कसम खाकर पुलिस की झोली भरी जाती है। वकील भी अच्छा पैसा बनाते है। किसना के गांव में इसी तरह के बुद्धिजीवी अधिक रहते है।

किसना के गांव में पुलिस का खौफ नहीं है। हफ्ताबंदी और भ्रष्टाचार ने सब की बोलती बंद कर दी है। लोग भ्रष्टाचारियों को घूस देकर अपना कार्य करवाते हैं। किसना का गांव दुनिया का सबसे निराला गांव है।

किसना अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त होने वाला है। सुना है उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। उसका बचपन फिर लौटने वाला है तथा उसके जीवन में रोज दीवाली मनाने का वक्त आने वाला है। किसना को बचपन में ढोलक बजाने का बड़ा शौक था। माता–पिता ने शौक को बढ़ावा देने के बदले उसको ढोलक की तरह पीटा। इसलिए किसना एक जन्म केवल संगीत की साधना करेगा। शादी नहीं करेगा। सेवानिवृत्ति के बाद वह बांसुरी सीखना चाहता है। जवानी के दिनों में उसकी जैसी सीटी कोई बजा नहीं सकता था। लोगों ने सीटी के भरोसे ही पदमश्री प्राप्त कर लिया मगर किसना इसमें भी पिछड़ गया। नौकरी लगने पर उसने सोचा था कि वह किसी होटल में जाकर अच्छा सुकुन से भरपेट भोजन करेगा, एक टॉनिक की बॉटल लेकर पीएगा तथा अपने ढोलक के शौक को आगे बढ़ाएगा। मगर लोगों ने तथा परिवार के सदस्यों ने उसकी ढोलक बजा दी। कुछ हो न सका। किसना राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करना चाहता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात न जाने वह क्या–क्या करना चाहता है। भोलेनाथ का भक्त किसना ऑलराउंडर है। देखें क्या होता है। लोग गांव का मजाक उड़ाते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित होने के बावजूद वहां राष्ट्रीयता की भारी कमी है। किसना सेवा–निवृत्ति पश्चात गांव लौटना नहीं चाहता। वह नहीं चाहता कि वह उसी गंदगी में प्रवेश करें। लेकिन कुछ जरूरतमंदो की मदद करना आवश्यक समझता है इसलिए कुछ दूरी पर किसना अपना आश्रम स्वरूप ठिकाना बनाने की सोच रहा है। परमात्मा किसना और उसके जज्बातों की रक्षा करे, यही प्रार्थना है।

(यह एक काल्पनिक लेख है, किसना और उसके गांव का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है।)

यादें

डॉ0 निवेदिता
(पत्नी श्री आर.के. पाण्डे,
पूर्व महाप्रबंधक)

आज 30 अप्रैल है अरे हां आज ही तो पाण्डे जी सेवा निवृत हो रहे हैं, यह सोचकर क्षण भर को विश्वास ही नहीं हुआ कि राष्ट्रीय आवास बैंक में काम करते हुए हमारे जीवन के 27 साल पंख लगाकर उड़ गये, ऐसा लगता है कि जैसे यह तो कल की ही बात है। रिजर्व बैंक से राष्ट्रीय आवास बैंक में आना यह सब कुछ इतने सुचारू एवं स्वाभाविक रूप में हुआ कि पता ही नहीं चला कब हम इस परिवार के अहम सदस्य बन गये।

धीरे–धीरे स्मृति पटल पर वह सारी यादें ताजा हो आईं कि किस तरह एक के बाद एक हौजखास से ट्रकों की लाइनें जंगपुरा को रवाना हुईं और जंगपुरा पहुंच कर तो मानो रोज ही त्यौहार होता था। आये दिन एन.एच.बी. के किसी न किसी ऑफिसर का ट्रक अनलोड होता, बच्चों के ग्रुप में और नये बच्चे शामिल होते, उन दिनों में तो जंगपुरा के फ्लैट्स के भाव तो सातवें आसमान पर थे, असल में यह आसपास में बने हुए मकानों की तुलना में काफी भव्य थे तथा उनमें आम सुख सुविधाओं का भी पूरा ख्याल रखा गया था। ऐसा एहसास होता था कि यहां हर खुशी के पीछे दूसरी खुशी स्वयं ही खड़ी है, जिसकी ठोस वजह भी है। यहां शिफ्टिंग के दौरान तकरीबन सभी अधिकारी समान आयु के ही थे और उनके बच्चे भी लगभग समान अवस्था के रहे होंगे। जिस वजह से बच्चों के दोस्तों का ग्रुप दिन प्रति दिन वृहत् से वृहत्तर होता गया और महिलाएं भी खासी प्रसन्न थी, उनकी तो जैसे मन की मुराद पूरी हुई, बहुत सारी सहेलियां सहज ही उपलब्ध हो गईं। पुरुष वर्ग भी काफी संतुष्ट था, ऑफिस और घर की दूरी नगण्य हो गई थी, लम्बे और थकान भरे रोज़मर्रा के जाम से छुटकारा जो मिल गया था। इस प्रकार सभी प्रसन्न थे। पूर्णतः रामराज्य तो नहीं पर सुखी एवं आह्लादपूर्ण (खुशनुमा) समाज की श्रेणी तो बनती है।

यहां जंगपुरा में निवासित प्रत्येक पारिवारिक इकाई का सहज ही सामूहिक विलय हो चुका था, यह कब और कैसे हुआ अपने आप में एक पहेली है, पर सत्य है कि यहां प्रायः एक परिवार की तरह ही व्यवहार होता था। यहां सुख और दुःख व्यक्ति विशेष से संबंधित न होकर सामूहिक हो जाया करते थे। इसकी पुष्टि एक छोटी सी घटना से करती हूं। श्री सुनील बैरी के पिताजी को हार्ट अटैक हुआ था, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, उस समय यहां रहने वाले सभी आफिसरों ने रात और दिन की ड्यूटी स्वयं ही बांध ली थी। ईश्वर की कृपा से अंकल घर आ गये, तभी उनकी मां ने गद्गद होकर कहा था मेरे सारे बेटों की वजह से ही सुनील के पिताजी ठीक हो पाये हैं। यह अपने आप में ही स्नेह एवं सौहार्द का ज्वलन्त उदाहरण है।

जंगपुरा फ्लैट्स की एक और खास बात यह भी थी कि शायद ही यहां ऐसा कोई त्यौहार हो जो कि न मनाया जाता हो। होली, दिवाली के अलावा लोहड़ी, पोंगल, ईद आदि–आदि। श्री परवेज के घर में ईद की सिवैयां खानी हैं, तो कालरा जी के घर में लोहडी है। श्री सुब्रहमन्यम के यहां पोंगल तो श्री रघु के घर में गौलू होता था, कहीं जन्माष्टमी तो कहीं बसंतपंचमी, सभी में लोग पूर्ण उत्साह से शामिल होते थे और इन सबके बीच में हल्दी कुमकुम की रस्म जो केवल महिलाओं की ही गैट टू गैदर होती थी, यही कुछ छोटी–छोटी चींजे जो कि हमें भावनात्मक रूप से जोड़े हुए थीं, जिससे अंततः एक परिवर की अनुभूति होती ही थी। इतना सब कुछ राष्ट्रीय आवास बैंक के जंगपुरा स्थित आवासीय फ्लैट्स के बारे में बताया, पर पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि जब तक मैं उसकी (एन एच बी) भौगोलिक स्थिति का चित्रण न करूं तो सब कुछ अधूरा ही है।

यह चर्चा का विषय तो नहीं है कि यहां का लैण्डमार्क क्या है पर उपयोगिता कि दृष्टि से यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यहां पर एक नाला और उससे सटा हुआ एक कूड़ादान जोकि हमारी आंख की किरकिरी था पर यह लैंडमार्क हमारे घर आने वाले सभी मेहमानों को घर ढूढंने में मदद अवश्य करता था। अब तक तो आप सबको स्पष्ट हो ही चुका होगा कि ये फ्लैट्स नाले के इस पार और उस पार स्थित हैं। शायद दिल्ली के मानचित्र में यह नाला न आये क्योंकि अब वह सरस्वती नदी की तरह भूमिगत हो चुका है पर उन दिनों तो वह नाला हमारे लिए कावेरी नदी की तरह ही था। गर्मियों में एक सूखी सी धारा के रूप में बहता हुआ यह नाला ही बरसात के दिनों में विकराल रूप धारण करता था। यमुना के बढ़ते हुए जलस्तर पर उतनी नज़र सरकार भी नहीं रखती होगी जितनी हम लोग नाले के स्तर पर रखते थे। यह तो था पिछवाड़ा। सामने की ओर एक सड़क जो कि भूमि अधिग्रहण की शिकार होने के कारण छोटी सी गली में परिवर्तित हो चुकी थी। कायदे और बेकायदे से पार्क की गई गाड़ियां अक्सर अपने अस्तित्व को बचाने में असफल होती सी प्रतीत होतीं। ऊपर से वर्षा ऋतु में वाटर लॉगिंग की समस्या रही सही कसर भी पूरी कर देती। रेसक्यू ऑपरेशन तो सवेरे ही शुरू हो जाता, गाडियां आधी पानी में डूबी हुई निरंतर अलार्म बाजाती रहती, सर्वत्र कोलाहल ही कोलाहल होता, बस स्टॉप भी जाना दूभर होने के कारण बच्चों की अकारण ही स्कूल से छुट्टी होती। इतना सब होने पर भी राष्ट्रीय आवास बैंक के कर्मठ कर्मचारी तो बैंक जाते ही थे, लेकिन अपने नाले के उस पार वाले मित्रों के सौजन्य से।

मेरा यह सौभाग्य रहा कि मुझे नाले के दोनों ओर रहने का मौका मिला। सी–33 में पार्किंग की समस्या जिसके लिए अक्सर रिश्तेदारों की नाराज़गी भी सहन करनी पड़ती। यहां ग्राउण्डफ्लोर में रहने वाले बेसमैन्ट में एक छत्र अधिकार करते थे तो सैकेण्ड फ्लोर के निवासी भी ऊपर की छत पर पूर्ण स्वामित्व का दावा ठोकते। ऐसे ही छोटे–मोटे, खट्टे–मीठे अनुभव वहां होते रहते थे जो कि जीवन की एकरसता या कहिए नीरवता को भंग करने में काफी सक्षम थे।

सी–33 से सी–23 में शिफ्टिंग का अनुभव भी अपने आप में अनूठा। हफ्ते भर तक डिनर का सिलसिला चलता रहा जैसे कि हम बहुत दूर जा रहें हो। मदद करने का तो यह आलम था कि कोई अपनी गाड़ी से पाण्डे जी का कम्प्यूटर शिफ्ट करवाने का जिम्मा लिए बैठा था तो किसी ने ए.सी. शिफ्ट करवाया, पता नहीं किसने कब और कैसे सारी की सारी क्रॉकरी सही सलामत पहुंचवाई। तो अब आप ही बताइए भला क्या ऐसे परिवार से दूर रह पाना या इसे भुला देना हमारे लिए संभव है? सी–33 से विदाई तो सी–23 में वेलकम का दौर भी काफी दिनों तक चला। इसलिए मेरा मानना है कि राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ जो एक पारिवारिक संबंध का बोध है वह उचित है उसे नकारा नहीं जा सकता।

ऐसे अनगिनत कई पहलू हैं जो कि राष्ट्रीय आवास बैंक को उसके नाम की सार्थकता का प्रमाण पत्र देते हैं। ईंट गारे से तो मकान बनता है, वह आवास में परिवर्तित ही तभी होता है जब उसमें लोग रहते हैं और उनमें परस्पर एक भावनात्मक संबंध होता है। पशु पक्षी भी उसी स्थान अथवा वृक्ष को अपने आवास के लिए चुनते हैं जहां वे सुरक्षित होते हैं। इतने वर्ष इस बैंक से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े होने के कारण तथा स्वयं के अनुभव से मैं यह कहने में जरा भी नहीं संकोच करूंगी कि यहां कार्यरत सभी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि समय–समय पर आने वाले एन.एच.बी. के सभी मुखिया अत्यन्त कुशल एवं विशिष्ट प्रतिभा सम्पन्न रहे हैं। श्री वर्मा जी उनमें से एक हैं। इनके प्रति हम सभी का लगाव कुछ इसलिए भी ज्यादा रहा, क्योंकि वे एन.एच.बी. के प्रारंभ से जुड़े सदस्य भी हैं। जो अपनी मेहनत, कुशलता एवं प्रतिभा से बैंक के इस सर्वोच्च पद पर पहुंचे। मैंने उन्हें दुःख एवं सुख दोनों ही अवस्थाओं में प्रत्येक के करीब पाया है। वे एक बरगद के वृक्ष की भांति प्रत्येक बटोही को बिना किसी भेद भाव के समान रूप से छांव प्रदान करते हैं। यहां पर कार्यरत सभी आफिसर बहुत अच्छे इंसान हैं और अपने–अपने क्षेत्र में प्रवीण हैं। मैं आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देती हूं। राष्ट्रीय आवास बैंक सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी।

होम लोन स्विच करते समय क्या ध्यान रखें

आशीष जैन
उप प्रबंधक

आमतौर पर लोग पहले घर खरीदने का मन बनाते ही एक घर या फ्लैट देखने लगते हैं। काफी खोजबीन के बाद जब पसंद आता है तब धन की व्यवस्था करते हैं। सबसे पहले यह देखते हैं कि अपने पास एवं संबंधियों से कितना मिल सकता है। इसके बाद बैंक ऋण लेने के बारे में सोचते हैं। कई बार तो ब्रोकर या दलाल अथवा बिल्डर ही अपनी डीलिंग वाले बैंकों से लोन दिलाने की बात करते हैं। खरीददार बिल्डर के समझाने के कारण ऋण बाजार में दूसरे बैंकों पर नहीं जाता, क्योंकि उसकी भागदौड़ बच जाती है और वैसे भी हमारे देश में बैंकिंग व्यवस्था बहुत पुरानी एवं रूढ़िवादी है। यहां बैंकों में नए ग्राहक का बहुत स्वागत नहीं किया जाता। प्रायः रुखी–सूखी भाषा में आव–भगत होती है तरह–तरह के दस्तावेज मांगे जाते हैं। बैंक के ही कुछ लोग उन्हें दलालों के माध्यम से आने की सलाह देते हैं, जहां उनकी फीस अलग से देनी होती है। इन्हीं सब बातों के कारण लोग दलाल या बिल्डर द्वारा सुझाए गए बैंक से ऋण लेने को तैयार हो जाते हैं फिर, चाहे वह बाजार दर से एक से दो प्रतिशत महंगा ही क्यों न मिल रहा हो।

जब एक बार घर खरीद की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और उन्हें पता चलता है कि वे अब बैंक बदल कर कम ब्याज का विकल्प चुन सकते हैं तो वह ऐसा करने को तैयार हो जाते हैं। बहुत सारे बैंक होम लोन स्विच करने वाले ग्राहकों का दौड़कर स्वागत करते हैं क्योंकि ऐसे ऋणी को लोन देने में कम जोखिम होता है। पहले ऋण देनेवाले बैंक ने सारी औपचारिकताओं एवं दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी कर चुका होता है अतः इस बैंक को इस भागदौड़ से छुटकारा मिल जाता है। यही कारण है कि घर खरीदने के बाद लोग होम लोन की कम ब्याज दर वाले उस बैंक की तलाश शुरू कर देते हैं जो कम दर पर लोन देने की पेशकश कर रहा हो। अब वे अपना लोन दूसरे बैंक में स्विच करने की संभावनाओं पर विचार करने लगते हैं। लेकिन क्या कम ब्याज दरों पर लोन स्विच करना

वास्तव में फायदेमंद होता है? इसमें ऐसे कारक अहम भूमिका निभाते हैं। लंबी अवधि में यह विकल्प लोन की लागत भी बढ़ा सकता है और नहीं भी। यदि आप अपने लोन को स्विच कराने के बारे में सोच रहे हैं तो लंबी अवधि के मद्देनजर सभी पहलुओं पर गौर कर लें। इसमें नीचे दी गई जानकारी उपयोगी हो सकती है।

देखें कितनी आएगी लागत : दूसरे बैंक में लोन स्विच कराने पर आपको एक बार फिर लोन प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। प्रीपेमेंट चार्ज भी सिर्फ फ्लोटिंग दर पर लोन लेने वालों के लिए खत्म किया गया है। फिक्स्ड दर पर लोन लेने वालों को प्रीपेमेंट फीस देनी पड़ सकती है। कई बार कुछ बैंक ऐसा विशेष अभियान चलाते है, जिस दौरान ऐसी स्कीमों में छूट आदि दी जा रही होती है। ऐसे मौकों का फायदा उठाना चाहिए।

नए बैंक की ब्याज दर बढ़ने की संभावना पर गौर करें : मौजूदा बैंक के ब्याज दर बढ़ाने के तुरंत बाद लोन दूसरे बैंक में स्विच नहीं करना चाहिए। हो सकता है दूसरा बैंक भी मौजूदा बैंक का अनुसरण करते हुए अपनी ब्याज दरें बढ़ा दे। ऐसे में दूसरे बैंक की ब्याज दर मौजूदा बैक की ब्याज दर से अधिक हो सकती है। विभिन्न बैंकों की ब्याज दरों का रुझान समझने के लिए आप फाइनेंशियल वेबसाइट्स की मदद ले सकते हैं।

दूसरे बैंक की मंजूरी भी जरूरी : यदि ऊपर बताई गई बातें स्पष्ट कर लेने के बाद आप लोन स्विच कराना चाहते हैं तो दूसरे बैंक को भी आपकी होम लोन रिफाइनेंस का आवेदन स्वीकार करना होगा। कुछ कारण हैं जिनकी वजह से वह बैंक एप्लीकेशन खारिज कर सकता है:

- यदि प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन हो और प्रोजेक्ट बैंक से अप्रूव्ड न हो।
- यदि आपने मौजूदा होम लोन की ईएमआई नियमित अदा न की हो।

- प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन में देरी हो रही हो। कब्जा प्राप्ति में देरी की संभावना हो।
- यदि लोन का बड़ा हिस्सा पहले ही अदा कर चुके हों और बैंक को आपको लोन देने में फायदा नहीं दिख रहा हो। क्योंकि अधिकांशतः बैंक अपने द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज पहले वसूलते हैं मूल बाद में। यदि आ अवधि निकल गई है, तब आप ब्याज का अधिकांश हिस्सा चुका चुके होते हैं अब आप मूल चुका रहे होते हैं।
- यदि लोन के कुल ब्याज का बड़ा हिस्सा पहले अदा कर चुके हों और सिर्फ मूलधन की राशि बकाया हो, तो लोन स्विच करने में आपको ज्यादा बचत नहीं होगी। ऐसे में संभावित बचत का तुलनात्मक विश्लेषण करें। इसके बाद आप मौजूदा बैंक के साथ बने रहने का विकल्प भी चुन सकते हैं।

होम लोन ट्रांसफर की प्रक्रिया : होम लोन ट्रांसफर कराने में काफी कागजी प्रक्रिया होती है। कई निजी बैंक या बैंक एजेंट इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करते हैं। इसके बावजूद आपको बैंक के कई चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। आमतौर पर लोन ट्रांसफर में यह प्रक्रिया होती है :

- मौजूदा बैंक आपको एक कंसेंट लैटर/एनओसी देता है। इसमें बकाया राशि पर उल्लेख होता है।
- यह कागजात आपको उस नए बैंक को देने होते हैं, जिसमें आप स्विच करना चाहते हैं।
- इन दस्तावेजों के आधार पर नया बैंक आपकी ऋण राशि (लोन अमाउंट) पुराने बैंक को मंजूर करता है और आपके नाम बकायेह का भुगतान मिलने के बाद पुराना बैंक आपका लोन खाता बंद कर देता है।
- इसके बाद प्रॉपर्टी के दस्तावेज नए बैंक को ट्रांसफर होते हैं। इसके साथ पुराने बैंक को बची लोन की अदायगी रद्द हो

जाती है, क्योंकि यह अदायगी अब नए बैंक में देय हो जाती है।

- हालांकि ज्यादातर बैंक फ्लोटिंग दर वाले होम लोन पर प्रीपेमेंट पेनाल्टी नहीं लेते हैं, लेकिन फिक्सड दर वाले लोन पर यह अभी भी लागू है। यह प्रीपेमेंट फीस बकाया मूलधन के 2 से 5 फीसदी के बराबर हो सकती है। वहीं, बैंक यह चार्ज पेनाल्टी के रूप में भी लेते हैं। कहीं–कहीं इसमें छूट भी मिलती है।
- होम लोन स्विच कराने में आपको सभी मंजूरी लेनी होगी। इसमें प्रॉपर्टी का लीगल वेरिफिकेशन, क्रेडिट एप्रैजल और नए बैंक के साथ टेक्निकल इवैल्यूएशन आदि शामिल हैं। अंत में होम लोन स्विच कराना उसी स्थिति में फायदेमंद होता है जब ऐसा लोन अवधि के शुरूआती वर्षों में किया जाए।

कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि घर खरीदने एवं कब्जा मिलने के साथ ही ऋण (लोन) लेने के बाद अगले दो से पांच सालों के भीतर ही दूसरे बैंक में लोन स्विच करने में फायदा होता है। लोन स्विच करना तब भी फायदेमंद होता है जब ऋण की राशि काफी बड़ी हो और लंबी अवधि के लिए लिया गया हो। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि अवधि के बीच में लोन स्विच करना उतना लाभकारी साबित नहीं होता जब तक कि ब्याज दर में भारी अंतर न हो। इसके साथ ही ऐसा करने से पहले सभी पहलुओं पर मौद्रिक लाभों पर भी विचार कर लेना चाहिए। वैसे आजकल होम लोन की प्रथा तेजी से बढ़ रही है और कई बैंक होम लोन स्विच करने वाले ग्राहकों को प्राथमिकता देना पसंद करते हैं। इससे उन्हें नए लोन की अपेक्षा कम भागदौड़ में अधिक बिजनेस मिल जाता है। इससे एक लाभ यह भी रहता है कि बैंक अपने ऋणों पर ब्याज दरें बढ़ाने के पहले कई बार सोचते हैं क्योंकि इससे उन्हें अपने ग्राहकों के द्वारा होम लोन स्विच करने का भय बना रहता है और कोई भी बैंक प्रायः नहीं चाहता कि उसके ग्राहकों/उपभोक्ताओं की संख्या में कमी आए।

पैमाना

रंजन कुमार बरुन
सहायक महाप्रबंधक

दुनिया का शायद ही कोई राष्ट्र होगा जहां नौकरी की भाषा वह विदेशी भाषा हो जिसके बोलने वाले पांच प्रतिशत से भी कम हों। प्रशासन, शिक्षा, न्याय व्यवस्था से लेकर निजी क्षेत्रों तक में पहली प्राथमिकता में वे चुने जा रहे हैं जो बेहतर अंग्रेजी जानते हैं। मानो आपकी प्रतिभा का एकमात्र मापदंड अंग्रेजी जानता हो। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में 2011 में बदलाव किए गए। नया बदलाव अंग्रेजी के प्रति तो झुका हुआ है ही, इस परीक्षा की कसौटी भी ऐसी रखी गई है जो कैट, जी मैट और जीआरई जैसी परीक्षाओं के ज्यादा करीब है और स्पष्ट रूप से शहरों में रहने वाले तथा अंग्रेजी पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वालो के पक्ष में। नतीजा वही हुआ जिसका डर था। 2011 के सी–सैट (सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट) के बाद हिंदी समेत भारतीय भाषाओं में पढ़े हुए दलित आदिवासी नौजवान दौड़ से बाहर हो गए हैं। इससे पहले जहां लगभग पचास प्रतिशत उम्मीदवार अपनी भाषाओं के बूते प्रारंभिक परीक्षा को पारकर मुख्य परीक्षा तक पहुंचते थे, अब वे लगभग नगण्य हैं और अंतिम रूप से चुने जाने वाले तो और भी कम। 2014 की परीक्षाओं में 1122 चुने गए उम्मीदवारों में सभी भाषाओं के मिलाकर 53 छात्र हैं, जिसमें हिंदी माध्यम से चुने हुए 26। यह मामूली गिरावट नहीं है और इसके कारण लखनऊ, इलाहबाद, पटना से लेकर जयपुर, भोपाल के लाखों छात्रों से भारी रोष है। इसका असर तो बाकी भारतीय भाषाओं के छात्रों पर भी हुआ है, लेकिन उतना नहीं जितना हिंदी भाषी राज्यों पर।

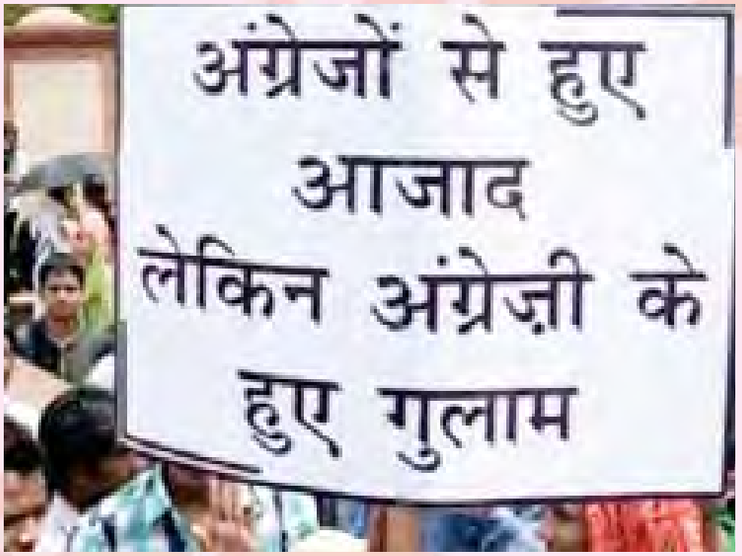

विचारणीय प्रश्न यह है कि अचानक 2011 में कौन सी मजबूरियां रहीं कि जो ये परीक्षा पद्धति बदली गई। भाषाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले नौजवान आखिर कहां जाएंगे जब इन्हें देश की सर्वोच्च सेवाओं में प्रवेश करने का मौका ही नहीं मिलेगा। संसद की सहमति से पूरे देश ने इसका स्वागत किया और वर्ष 1979 में आयोजित परीक्षा में बैठने वालों की संख्या सारे कीर्तिमानों को तोड़ते हुए अप्रत्याशित रूप से बढ़ी। जहां 1960 और 1970 में इस परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या छह हजार और दस हजार थी वहीं वर्ष 1979 में यह बढ़कर एक लाख से भी ज्यादा हो गई। पहली बार गरीब, पहली पीढ़ी के शिक्षित, आदिवासी, दलित इन सर्वोच्च सेवाओं में चुने गए और वर्ष 1979 से 2010 तक के रिकार्ड इस बात के गवाह है कि हर वर्ष 15 से 20 प्रतिशत उम्मीदवार अपनी भाषाओं के बल पर आए।

सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव प्रोफेसर एस.के. खन्ना (यूजीसी के पूर्व वाइस चेयरमैन) की सिफारिशों के अनुसार किया गया। आखिर अंग्रेजी भारतीय भाषाओं पर पैर रखते हुए पहले चरण में कैसे प्रवेश पा गई, इसका उत्तर तो तत्कालीन सरकार ही दे सकती है, लेकिन इसके दुष्परिणाम बहुत घातक हो रहे हैं। वर्ष 2013 के शुरू में संघ लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा में भी ऐसे परिवर्तन किए थे जो कोठारी समिति की सिफारिशों के एकदम उलट थे, लेकिन संसद से सड़क तक उसके खिलाफ पूरे देश में आवाजें उठीं और सरकार को मुख्य परीक्षा में प्रस्तावित भाषा संबंधी बदलाव वापस लेना पड़ा। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा सी–सैट में यह भेदभाव अभी भी बरकरार है और उसी के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं। सी–सैट के खिलाफ एक जनहित मामला भी दिल्ली हाईकोर्ट में विचारधीन है। हाईकोर्ट के आदेश पर कार्मिक विभाग ने मार्च 2014 में एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है, लेकिन उसमें भारतीय भाषाओं का कोई प्रतिनिधि नहीं है।

अच्छी बात यह है कि नई सरकार इस मुद्दे के प्रति संवेदनशील जान पड़ती है और इसीलिए सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग को सी–सैट परीक्षा में पुनर्विचार करने का आग्रह किया है और आयोग से कहा है कि यदि परीक्षा की तिथि आगे भी बढ़ानी पड़े तो उसके लिए भी कदम उठाए जाएं। सरकार के इस आश्वासन के प्रति दिल्ली और देश के दूसरे शहरों में आंदोलित छात्रों को आशा बंधी है, लेकिन बात तो तब बनेगी जब उनकी मांग के अनुरूप व्यवस्था में बदलाव भी किया जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि नई सरकार लोकतंत्र की आवाज सुनेगी और ऐसे बदलाव किए जाएंगे जब सिर्फ अंग्रेजी को ही प्रतिभा का मापदंड नहीं माना जाएगा।

कोलेस्ट्रॉल

डा0 वर्षा सोमदेवे, एम.बी.बी.एस

कोलेस्ट्रॉल या पित्तसांद्रव मोम जैसा एक पदार्थ होता है, जो यकृत से उत्पन्न होता है। यह सभी पशुओं और मनुष्यों के कोशिका झिल्ली समेत शरीर के हर भाग में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल कोशिका झिल्ली का एक महत्वपूर्ण भाग है, जहां उचित मात्रा में पारगम्यता और तरलता स्थापित करने में इसकी आवश्यकता होती है। कोलेस्ट्रॉल शरीर में विटामिन डी, हार्मोन्स और पित्त का निर्माण करता है, जो शरीर के अंदर पाए जाने वाले वसा को पचाने में मदद करता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल भोजन में मांसाहारी आहार के माध्यम से भी पहुंचता है यानी अंडे, मांस, मछली और डेयरी उत्पाद इसके प्रमुख स्रोत हैं। अनाज, फल और सब्जियों में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लगभग 25 प्रतिशत उत्पादन यकृत के माध्यम से होता है। कोलेस्ट्रॉल शब्द यूनानी शब्द कोले और स्टीयरियोज (ठोस) से बना है, और इसमें रासायनिक प्रत्यय ओल लगा हुआ है। 1769 में फ्रेंकोइस पुलीटियर दी ला सैले ने गैलेस्टान में इसे ठोस रूप में पहचाना था। 1815 में रसायनशास्त्री यूजीन चुरवेल ने इसका नाम कोलेस्ट्राइन रखा था। मानव शरीर को कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता मुख्यतः कोशिकाओं के निर्माण के लिए, हारमोन के निर्माण के लिए और बाइल जूस के निर्माण के लिए जो वसा के पाचन में मदद करता है; होती है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में नैशनल पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट के प्रमुख रिसर्चर डॉ. गांग हू के अनुसार कोलेस्ट्रॉल अधिक होने से पार्किंसन रोग की आशंका बढ़ जाती है।

प्रकार : कोलेस्ट्रॉल रक्त में घुलनशील नहीं होता है। उसका कोशिकाओं तक एवं उनसे वापस परिवहन लिपोप्रोटींस नामक वाहकों द्वारा किया जाता है। निम्न–घनत्व लिपोप्रोटीन या एलडीएल, बुरे कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। उच्च–घनत्व लिपोप्रोटीन या एचडीएल, अच्छे कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। ट्राइग्लीसिराइड्स एवं एलपी (क) कोलेस्ट्रॉल के साथ ये दो प्रकार के लिपिड, कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बनाते हैं, जिसे रक्त परीक्षण के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है।

कोलेस्ट्रॉल मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं–

एल डी एल : न्यूनघनत्व लिपोप्रोटीन (लो डेनसिटी लिपोप्रोटीन्स) कोलेस्ट्रॉल को सबसे ज्यादा नुकसानदायक माना जाता है। इसका उत्पादन लिवर द्वारा होता है, जो वसा को लिवर से शरीर के अन्य भागों मांसपेशियों, ऊतकों, इंद्रियों और हृदय तक पहुंचाता है। यह बहुत आवश्यक है कि एल डी एल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम रहे, क्योंकि इससे यह पता चलता है कि रक्त के प्रवाह में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो गई है। ऐसे में यह रक्तनली की दीवारों पर यह जमना शुरू हो जाता है और कभी–कभी नली के छिद्र बंद हो जाते हैं। परिणामस्वरूप हार्टअटैक की संभावना बढ़ जाती है। राष्ट्रीय कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार शरीर में एल डी एल कोलेस्ट्रॉल का स्तर 100 मिली ग्राम/डीएल से कम होना चाहिए। एलडीएल (बुरा) कोलेस्ट्रॉल अत्यधिक होता है, तो यह धीरे–धीरे हृदय तथा मस्तिष्क को रक्त प्रवाह करने वाली धमनियों की भीतरी दीवारों में जमा होता जाता है। यदि एक थक्का(क्लॉट) जमकर संकरी हो चुकी धमनी में रुकावट डाल देता है, तो इसके परिणामस्वरूप हृदयाघात या स्ट्रोक हो सकता है।

एच डी एल : उच्च घनत्व लिपोप्रोटीन (हाई डेनसिटी लिपोप्रोटीन्स) को अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। इसका उत्पादन भी यकृत ही से होता है, जो कोलेस्ट्रॉल और पित्त को ऊतकों और इंद्रियों से पुनश्चक्रित करने के बाद वापस लिवर में पहुंचाता है। एच डी एल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का अधिक होना एक अच्छा संकेत है, क्योंकि इससे हृदय के स्वस्थ होने का पता चलता है। राष्ट्रीय कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार शरीर में एच डी एल कोलेस्ट्रॉल का स्तर 60 मिली ग्राम/डीएल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अच्छे कोलेस्ट्रॉल भोजन में शामिल हैं मछली का तेल, सोयाबीन उत्पाद, एवं हरी पत्तेदार सब्जियां। सप्ताह में पांच दिन, एवं प्रत्येक बार लगभग 30 मिनट के लिए ऐरोबिक व्यायाम (पैदल चलना, दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना आदि) करें तो केवल दो महीनों में एचडीएल 5 प्रतिशत से बढ़ा सकते हैं। धूम्रपान कम या बंद करने भर से एचडीएल 10 प्रतिशत से बढ़ सकता है। वजन कम करना भी अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का अन्य तरीका है। शरीर का वजन प्रत्येक छः पाउण्ड कम करने पर शरीर में अच्छा कोलेस्ट्रॉल 1 मिली ग्राम/डेसि. लि. से बढ़ा सकते हैं।

वी एल डी एल : अतिन्यून घनत्व लिपोप्रोटीन (वेरी लो डेनसिटी लिपोप्रोटीन्स) शरीर में लिवर से ऊतकों और इंद्रियों के बीच कोलेस्ट्रॉल को ले जाता है। वी एल डी एल कोलेस्ट्रॉल, एल डी एल कोलेस्ट्रॉल से ज्यादा हानिकारक होता है। यह हृदय रोगों का कारण बनता है।

वृद्धि के कारक

खाघ पदार्थो में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा (प्रति 100 ग्राम)

क्र.स.	पदार्थ का नाम	कोलेस्ट्रॉल की मात्रा
1	बिना चर्बी का मांस	70 मि.ग्रा.
2	मगज कच्चा	2000 से अधिक मि.ग्रा.
3	मक्खन	250 से 280 मि.ग्रा.
4	केवियर	300 से अधिक मि.ग्रा.
5	मछली	70 मि.ग्रा.
6	आइससक्रीम	45 मि.ग्रा.
7	गुर्दा कच्चा	375 मि.ग्रा.
8	मेमना कच्चा	70 मि.ग्रा.
9	सुअर की चर्बी	95 मि.ग्रा.
10	चेडार	100 मि.ग्रा.
11	कांटेज क्रीम	15 मि.ग्रा.

12	क्रीम	120 से 140 मि.ग्रा.
13	जिगर कच्चा	300–425 मि.ग्रा.
14	समुद्री झींगा	200 मि.ग्रा.
15	मार्जरीन	65 मि.ग्रा.
16	सम्पूर्ण दूध (तरल)	11 मि.ग्रा.
17	दूध (सूखा)	85 मि.ग्रा.
18	मलाई उतारा दूध(तरल)	3 मि.ग्रा.
19	भेड का मांस	65 मि.ग्रा.
20	सूअर का मांस	70 मि.ग्रा.
21	झींगा	125 मि.ग्रा.
22	चीज स्प्रेड	65 मि.ग्रा.
23	चिकेन (कच्चा)	60 मि.ग्रा.
24	क्रैब	1125 मि.ग्रा.
25	अंडा(संपूर्ण)	550 मि.ग्रा.
26	अंडे की जर्दी	1500 से 2000 मि.ग्रा.

सामान्य परिस्थितियों में यकृत कोलेस्ट्रॉल के उत्सर्जन और विलयन के बीच संतुलन बनाए रखता है, किन्तु यह संतुलन कई बार बिगड़ भी जाता है। इसके पीछे कुछ कारण हैं। यह संतुलन तब बिगड़ता है, जब–

अधिक मात्रा में वसा युक्त भोजन सेवन
शरीर का वजन की अति वृद्धि
खानपान में लापरवाही
नियमित व्यायाम का अभाव

आनुवांशिक कारण भी है। देखा गया है कि अगर किसी परिवार के लोगों में अधिक कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होती है तो अगली पीढ़ी में भी इसकी मात्रा अधिक होने की आशंका रहती है।

कई लोगों में शरीर में कोलेस्ट्रॉल उम्र के साथ भी बढ़ता देखा जाता है।

वृद्धि–लक्षण : कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने का अनुभव स्वयं किया जा सकता है। ये वृद्धि तब होती समझें जब–

- पैदल चलने पर सांस फूलने लगता हो।
- उच्च रक्तचाप रहने लगा हो।
- मधुमेह रोगी, शर्करा मात्रा अधिक रहने से उनका खून गाढ़ा होता है।
- पैरों में दर्द रहने लगा हो। अन्य कोई कारण न होने से कोलेस्ट्रॉल वृद्धि हो सकता है।

परीक्षण : लिपिड प्रोफाइल परीक्षण, के अंतर्गत्त कुल कोलेस्ट्रॉल, उच्च घनत्व कोलेस्ट्रॉल (हाई डेनसिटी लिक्विड कोलेस्ट्राल), निम्न घनत्व कोलेस्ट्रॉल, अति निम्न घनत्व कोलेस्ट्रॉल और ट्राय ग्लिसेराइड की जांच होती है। ये जांच नियमित रूप से हर साल करवानी चाहिये। यदि उच्च रक्तचाप की पारिवारिक इतिहास है तो पैतालीस साल की आयु के बाद इसे जल्दी–जल्दी करवा लेनी चाहिए।

कोलेस्ट्रॉल का संतुलन : शरीर में कोलेस्ट्रॉल को स्वयं देख नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो हृदयाघात और दिल से संबंधित अन्य रोगों की संभावना बढ़ जाती है। आम तौर पर पुरुषों के लिए 45 वर्ष और महिलाओं के लिए 55 वर्ष की आयु के बाद हृदय से जुड़े रोगों की संभावना अधिक होती है।

लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को संतुलित न कर सकते हों। इसके लिए अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव करना होता है। यदि वजन अधिक है तो इसमें कमी लाने का प्रयास करना चाहिये। भोजन में कम कोलेस्ट्रॉल मात्रा वाले व्यंजन चुनें। तैयार भोजन और फास्ट फूड से बचें। तली हुई चीजें, अधिक मात्रा में चॉकलेट न खाएं। भोजन में रेशायुक्त सामग्री को शामिल करें। यह कोलेस्ट्रॉल को संतुलित बनाए रखने में सहायक होते हैं।

नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में बढ़ोतरी नहीं होती। इसके अलावा, योगासन भी सहायक होते हैं। कोलेस्ट्रॉल कम करने में प्राणायाम काफी सहायक सिद्ध हुआ है। धूम्रपान से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल का चिकित्सकीय उपचार भी संभव है। कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा से पीड़ित व्यक्तियों हेतु कई तरह के उपचार संभव हैं, पर इस पर आरंभ से नियंत्रण करना ही इसका सबसे बढ़िया उपाय है। ऐलोपैथी में कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए स्टेटिन दवा दी जाती है। होम्योपैथी में कोलेस्ट्रॉल को हाइपरलिपिडिमिया कहते हैं। इसमें सिर्फ नियंत्रण के लिए ही कुछ दवाइयां उपलब्ध हैं, जबकि आयुर्वेदिक दवाओं में आरोग्यवर्धिनी, पुनर्नवा मंडूर, त्रिफला, चन्द्रप्रभा वटी और अर्जुन की छाल के चूर्ण का काढ़ा बहुत लाभकारी होता है।

अन्य नियंत्रक : हाल में हुए अध्ययनों में पता लगा है कि हरी और काली चाय कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में कारगर है। जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएँ भी कम होती हैं। हरी और काली चाय में जो प्राकृतिक रूप

से कुछ रसायनों का मिश्रण होता है, उनसे कोलेस्ट्रॉल काफी कम हो जाता है। इसके लिए हरी चाय अकेले काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ निम्न वसा आहार भी लिया जाए तो दिल के दौरे का खतरा 16–24 प्रतिशत कम हो सकता है।

प्रोफेसर रोजर कॉर्डर के अनुसार एक गिलास रेड वाइन को अपनी दैनिक जीवन शैली में शामिल करना चाहिए। इसमें प्रोसाइन्डिंस नामक रसायन होता है जो स्वास्थ्यवर्धक होता है, यह डार्क चॉकलेट में भी पाया जाता है। यह रक्तवाहिका प्रकार्यों को बेहतर करते हैं, आर्टरी–क्लॉगिंग एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करते हैं और हार्ट के लिए हेल्दी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाते हैं। मछली का तेल भी बुरे कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में बहुत सहायक होता है। फोलिक एसिड के कैप्सूल भी लाभदायक होते हैं।

कोलेस्ट्रॉल बुरा ही नहीं अच्छा भी : हम कई बार बुरे कोलेस्ट्रॉल को कैसे घटाएँ उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कैसे बढ़ाएँ, उस ओर कम ध्यान देते हैं तो आइए जानें कुछ बातें अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए और सिर्फ जाने ही नहीं बल्कि उस पर अमल कर अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएँ व स्वस्थ रहें और हृदय रोग को दूर रखें।

- जैसे अलसी के बीज (पीसे हुए) का प्रयोग करें।
- सोया व सोया से बने पदार्थ
- हरी पत्तेदार सब्जियाँ, अखरोट एवं बादाम का प्रयोग करें।
- महिलाओं के लिए एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थैरेपी एचडीएल बढ़ाने में मदद करती है।
- घुलनशील रेशे जो ओट्स, फल व सब्जियाँ और छोले, राजमा में पाए जाते हैं, दिन में दो बार लेने की कोशिश करें।
- मोनो अनसेचूरेटेड वसा को अपने आहार में सम्मिलित करें जैसे कनोला तेल, जैतून तेल और वसा जो पीनट बटर में पाया जाता है, जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है बिना टोटल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाए। जैतून के तेल में संतृप्त वसा की मात्रा कम होती है, जिससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी संतुलित बनाए रखने में मदद मिलती है।
- प्याज : कच्चा प्याज एलडीएल घटाने में मदद करता है व एचडीएल बढ़ाने में भी मदद करता है।
- तैलीय खाद्य पदार्थ जैसे, पराठा, समोसा, कचोरी, सेंव, मठरी और अन्य तैलीय पदार्थों से परहेज करें।
- मलाईरहित दूध का प्रयोग करें चाय, कॉफी, दही आदि के लिए।
- संपूर्ण अनाज, अंकुरित अनाज, दालें, दलिया, जौ आदि का प्रयोग अधिक मात्रा में करें।
- चोकर सहित आटे की रोटी का प्रयोग करें और गेहूँ के आटे में चने का आटा या सोया आटा मिश्रित करें। गेहूँ का आटा. चना आटा 4:1 के अनुपात में।
- घी, क्रीम, मलाई, मक्खन, आइसक्रीम आदि का परहेज करें।
- मैदे से बनी हुई चीजें जैसे ब्रेड, बिस्किट, नूडल्स, पिज्जा, बर्गर आदि का परहेज करें।

इन सब बातों का ध्यान रखकर हम स्वस्थ रह सकते हैं, हृदय रोग से बच सकते हैं।

कुछ तथ्य

- अगर हम 1 प्रतिशत कोलेस्ट्रॉल कम करते हैं तो हम 20 प्रतिशत हृदय रोग होने की आशंका से बचते हैं।
- यदि आपका कोलेस्ट्रॉल 220 मिली/डीएल है तो हृदय रोग होने की आशंका उतनी तीव्र गति में बढ़ जाती है।
- हम अपना कोलेस्ट्रॉल बिना दवाइयों के भी अपनी जीवनशैली में बदलाव लाकर कम कर सकते हैं।
- लीवर अधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है लेकिन जितनी संतृप्त वसा हम लेंगे उतना ज्यादा हमारा शरीर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करेगा।
- यदि आप हृदय रोग से ग्रसित हैं तो कोलेस्ट्रॉल स्तर कम करके स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं।

कार्बन के रासायनिक यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। प्रकृति में इनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक है। जीवन पद्धति में कार्बनिक यौगिकों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें कार्बन के साथ–साथ हाइड्रोजन भी रहता है। ऐतिहासिक तथा परंपरा गत कारणों से कुछ कार्बन के यौगकों को कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इनमें कार्बनडाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख हैं। सभी जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, आरएनए तथा डीएनए कार्बनिक यौगिक ही हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिको को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मेथेन ($सीएच_4$) सबसे छोटे अणुसूत्र का हाइड्रोकार्बन है। ईथेन ($सी_2एच_6$), प्रोपेन ($सी_3एच_8$) आदि इसके बाद आते हैं, जिनमें क्रमशरू एक एक कार्बन जुड़ता जाता है। हाइड्रोकार्बन तीन श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैंः ईथेन श्रेणी, एथिलीन श्रेणी और ऐसीटिलीन श्रेणी। ईथेन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन संतृप्त हैं, अर्थात इनमें हाइड्रोजन की मात्रा और बढ़ाई नहीं जा सकती। एथिलीन में दो कार्बनों के बीच में एक द्विबंध (=) है, ऐसीटिलीन में त्रिगुण बंध वाले यौगिक अस्थायी हैं। ये आसानी से ऑक्सीकृत एवं हैलोजनीकृत हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बनों के बहुत से व्युत्पन्न तैयार किए जा सकते हैं, जिनके विविध उपयोग हैं। ऐसे व्युत्पन्न क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऐल्कोहाल, सोडियम ऐल्कॉक्साइड, ऐमिन, मरकैप्टन, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइट, हाइड्रोजन फास्फेट तथा हाइड्रोजन सल्फेट हैं। असतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक सक्रिय होता है और अनेक अभिकारकों से संयुक्त सरलता से व्युत्पन्न बनाता है। ऐसे अनेक व्युत्पंन औद्योगिक दृष्टि से बड़े महत्व के सिद्ध हुए हैं। इनसे अनेक बहुमूल्य विलायक, प्लास्टिक, कृमिनाशक ओषधियाँ आदि प्राप्त हुई हैं। हाइड्रोकार्बनों के ऑक्सीकरण से ऐल्कोहॉल ईथर, कीटोन, ऐल्डीहाइड, वसा अम्ल, एस्टर आदि प्राप्त होते हैं। ऐल्कोहॉल प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हो सकते हैं। इनके एस्टर द्रव सुगंधित होते हैं। अनेक सुगंधित द्रव्य इनसे तैयार किए जा सकते हैं। इसी प्रकार कोलेस्ट्रॉल को भी विभिन्न प्रयोगों में लिया जा सकता है।

गंगा

सौरभ सील
सहायक महाप्रबंधक

गंगा पूरे भारत भर के सभी धर्म संप्रदाय के लोगों के लिए न सिर्फ एक पवित्र नदी है बल्कि यह संस्कृति की प्रतीक और वाहक भी है। यह मानव के लिए जीवनदायिनी है। इसके जल की पवित्रता न सिर्फ धार्मिक प्रतीक मात्र है बल्कि वैज्ञानिक रूप से गंगा का जल विश्व की संपूर्ण नदियों की तुलना में शुद्ध माना गया है। हालांकि वर्तमान में यह शुद्धता गंगा के उदगम से कुछ सौ किलो मीटर तक ही सीमित है। लेकिन आज से दो सौ वर्षों पूर्व तक यह शुद्धता गंगा के मुहाने यानि कि बंगाल की खाडी तक विद्यमान थी। इसे लोग न सिर्फ खेतों की सिंचाई एवं नहाने धोने के लिए करते थे, बल्कि अमृत मान कर इसका जल पान करते थे। इसकी शुद्धता एवं पवित्रता की प्रतीकात्मकता इसी से समझी जा सकती है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु शय्या पर होता है तो उसे गंगा जल को अमृत मानकर पिलाया जाता है। इसी कारण इसे स्वर्ग दायिनी, पतित पावनी एवं मोक्ष दायिनी माना गया है।

सदियों से गंगा के उद्गम के बारे में कई जन श्रुतियां प्रचलित है। इनमें से एक तो यही है कि भगीरथ ने तपस्या कर अपने पुरखों, सगर के शापित सौ पुत्रों की मुक्ति के वरदान में गंगा को मांग कर धरती पर अवतरित कराया, जिनके प्रबल वेग को शिव जी की जटाओं ने रोक कर एक धार प्रदान की, जो भगीरथ के रथ के पीछे चलती–चलती सगर राज्य से होती हुई समुद्र में जा मिली। गंगा के अवतरण की दूसरी कथा आप स्वयं गंगा जी के मुख से सुने –

मैं आपकी गंगा हूं। आपके गंगाजल की एक बूंद, जानते हैं मैं कैसे बनी? मेरी कहानी तो बस एक बूंद की है लेकिन है मज़ेदार..... एक बार शंकर ने गायन किया और उसका प्रभाव ऐसा हुआ कि विष्णु पिघल कर बूंद में बदल गए। ब्रह्मा आए, बूंद को कमण्डल में समेट लिया और कहा आप गंगा हैं। आप मेरे कमण्डल में आई इसलिए आपके भीतर ब्रह्मा के सृजन की क्षमता होगी। आप विष्णु के पिघलने से बनी हैं, आपके भीतर विष्णु के पालन की क्षमता होगी, शिव की जटाओं में आपका वास होगा, शिव के संहार की भी क्षमता होगी। आप पंचतत्व में जलतत्व की प्रतिनिधि होंगी। आपका जन्म संगीत से हुआ है, आपको लोग संगीत की तरह देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। संगीत की तरह प्यार करेंगे।

मैंने पूछा – ''मुझे क्या करना पड़ेगा?''

''सामने देखिए इस भू–भाग से मिट्टी ले जाकर बिछाना होगा, एक सुन्दर दुनिया बसानी होगी और उससे पहले आपको ही इस हिमालय को हरा करना है।'' मेरी एक बूंद से हिमालय के मन को मानसरोवर भर गया, वादियां हरी हो गई। अनहारी हरियाली ने मुझे अपने गले का हार बना लिया। यहां खत्म हुआ मेरा काम तो सबने अपनी ताकत मुझे दी, कहा ''जाओ आबाद कर दो बेटी, आबाद करके समुद्र में मिल जाना। इसी तरह पंचतत्व दुनिया की सेवा करते हैं।''

मनवसरोवर से मैं भीतर–भीतर चली तो मेरा रंग हरा हो गया। राह में इतनी चट्टानों से टकराई, इतना टकराई कि मेरे साथ जाने कितनी बूंदों ने राह बनाना सीख लिया और जब गिरी गोमुख में एक देश खड़ा था वहां उसके इंतजार में। वह देश भारत था, जो नवमस्तक होकर मेरे स्वागत के लिए खड़ा था। फिर क्या था मैं उनके कल्याण के लिए आगे चल पड़ी। कहते हैं – परोपकाराय बहन्ति नद्या..... नदी तो परोपकार के लिए बहती है। मैं गोमुख एक तीव्र गति से चली तो मेरे साथ अलकनंदा, भगीरथी, जाह्नवी जैसी मेरी सात बहने भी मेरे साथ मिलती गई। मेरा वेश एवं परिमाण बढ़ता गया। जन कल्याण का मन में यह भाव लिए हरिद्वार की धरती से गुजरना मेरे लिए गौरव की बात थी। हरिद्वार यानि हरि का द्वार। जहां अमृत की बूंद टपकी थी। जहां शिव ने सती को यज्ञ कुंड से निकाल कर तांडव किया था। यह घाट राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तिहरि की याद में बनवाया। और इस शहर में मेरे प्रति लोगों की आस्था असीम है।

शाम को हर की पौड़ी पर जिस तरह आरती होती है यह एक अलग अनुभव है। घंटा, शंख, धड़ियाल.....जाने कितने स्वर..... जाने कितने रंग.....जाने कितने दीये.....मेरे जल की धार पर लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शान्ति के लिए बहाते हैं। आशा रखते हैं कि इस आरती के समय मेरे तट पर उपस्थित हों।

लेकिन आज उन्नीसवीं सदी में मैं तो एक किलोमीटर दूर खड़ी हूं, ठगी सी। सन् 1848, अंग्रेज इंजीनियर कॉटले के नेतृत्व में मुझे विभाजित कर पहली बार नहर निकालने का विराट अभियान चलाया गया जिसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन गर्वनर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किया था। आस्था कमजोर नहीं पड़े, इसलिए पूजा और अर्चना के स्थान मेरी मूल धारा पर न बनाकर उस नहर को बनाया गया। शायद मेरे वेगपूर्ण विकराल स्वरूप से उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा होगा। सोचा होगा कहीं मैं रौद्ररूप धारण कर सबको बहा न ले जाऊं। पर भला मैं ऐसा कैसे कर सकती थी। परोपकार और जनकल्याण के लिए ही तो मैं कोटि–कोटि भारतवासियों की तन एवं मन की प्यास बुझाने तथा धार्मिक एवं आध्यात्मिक परितुष्टि के लिए ही तो आई थी। जिसे मैं आज तक कर रही हूं। यही कारण है कि आस्था एवं विश्वास का केन्द्र मैंने मूल धारा पर न बनाकर उस नहर को बनाया गया। मैंने इतिहास से पूछा कि इस नहर पर विष्णु के पांव कैसे आ गए?

शंकराचार्य ने वेदान्त का अद्वैत मत प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार जब परमात्मा एक ही समय में सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों में रह सकता है तो मुझे भी रहना होगा। अब मेरे पास मेरा तीस प्रतिशत जल था और उसी के सहारे मुझे समुद्र तक की यात्रा करनी है। ज्यों ही मैं चलने को तत्पर हुई तो किसी ने मुझे डॉट कर कहा..... चलो अब तुम्हें मेरे आश्रम के सामने से होकर बहना है। आज के दौर में भी मेरे साथ चल रही कई जल धाराओं को न चाहते हुए भी जाना पड़ा। अपनी ही धाराओं से अलगाव का दुःख मन में लिए मैं हरिद्वार से चल पड़ी। हरिद्वार से निकलकर मैं बिजनौर के सिद्धकुटी वनक्षेत्र में उत्तर प्रदेश के विस्तीर्ण मैदानों मे प्रवेश करते ही अपने संकुचन के साथ–साथ आवेग भी त्यागने लगती हूं। यहां यकायक मेरे चौड़े पाटों के दोनों ओर रेती और हरियाली की गोद में बसी आबादी दृश्यमान होने लगती है। एक मायने में पतित पावनी गंगा या फिर सरिता और संस्कृति के सहअस्तित्व की सपाट गवाही सबसे पहले उत्तर प्रदेश ही प्रकट होती है। मैदान की सभ्यता यात्रा पर निकली भगीरथी की इस तपस्या की अग्नि परीक्षा उत्तर प्रदेश से भी शुरू होती है। कुछ किलोमीटर चलते ही सबसे पहले बिजनौर की बैराज मेरी कलकल धारा पर मानवीय स्वार्थ के अवरोध खड़े करता है। इसके बाद मैं गंगा प्रगति की चादर ओढ़कर सिसकते–सुबकते आगे के प्रवाह मार्ग में चुपचाप लोगों की असंवेदना का उत्सर्जन और गंदगी खुद में समाती हुई चलती हूं। फिर तो कहीं मैं नदी दिखती हूं तो कहीं ठहरा हुआ तालाब या गंदा नाला। मेरी जिस दारुण दशा को लेकर आज की सरकारें, संस्कृतिकर्मी और धर्मशील बेचैन हैं, उसके लिए सबसे बड़ा गुनहगार उत्तर प्रदेश ही है।

देश और संस्कृति के प्रति कृतज्ञता बोध को सनातन संस्कार

मानने वालों के लिए 'गंगा उत्कठा और व्यग्रता की जैसी–जैसी बानगियां दिखने को मिल रही है, वे मेरे गुनहगारों के लिए शायद खतरे की घंटी भी है। मैं उत्तराखंड से बिजनौर के रास्ते उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हूं। यहां प्रातः काल होते ही सैकड़ों लोग दोनों हाथ उठाकर हर–हर गंगे का उद्घोष करते हैं। यहां पर उपस्थित मैं मेरे उन बच्चों की निर्मलता को लेकर कतई शक नहीं है। जब इन्हें मेरी दुर्गति के बारे में पता चला तो कई की आंखे भर आई। फिर इन्हीं अश्रुपरित नेत्रों में आशा की किरण भी कोंधी कि अब मुझ गंगा को गंदा करने का धंधा शायद बंद हो सके। मेरे अगले पड़ाव मोटा महादेव के सिद्धपीठ मंदिर में सैकड़ों नर–नारी गंगा के उद्धार की करतल ध्वनि से कामना कर रहे थे। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव मुजफ्फरनगर के मीरापुर और रामराज कस्बे से होते हुए मेरठ स्थित महाभारतकालीन राजधानी हस्तिनापुर का पांडवेश्वर मंदिर था। यह कुरुवंश की वही भूमि है। जहां मेरा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा लेते हैं कि वे आजीवन विवाह नहीं करेंगे। हस्तिनापुर से मवाना होते हुए मैं गंगा अलीगढ़ के शहर लरौरा से बढ़ते हुए फरूखाबाद और कन्नौज पहुंचती है। यह वही कन्नौज है जिस पर सम्राट हर्ष वर्धन और राजा जयचंद ने शासन किया था। यहां से आगे बढ़ते हुए बिठूर (ब्रह्मावर्त) को छूते हुए कानपुर शहर में प्रवेश करती हूं। यह वही शहर है जहां चर्म शोधक कारखानों सहित तमाम प्रकार के प्रौद्योगिक उत्पादों का कचरा मुझ में डाला जाता है। इसके बाद में प्रयागराज (इलाहाबाद) के संगम पर अपनी छोटी बहिन यमुना से मिलती हूं। इस शहर ने भी मुझे मां की तरह माना, पूजा एवं अर्चना की, परंतु अपना सारा मल–मूत्र और औद्योगिक कचरा भी बहाया। इसके बाद मिर्जापुर होते हुए बनारस को, अ अपनी गोद में लेकर बढती है। यह अति प्राचीन धार्मिक एवं सांस्कृतिक शहर है, भगवान शिव की आराधना केन्द्र भी है, परंतु इस शहर ने भी मुझे मां तो कहां, पर मैला ढौनेवाली से ज्यादा आदर नहीं दिया। फिर भी मैं उन्हें दुलारती हुई, पटना, भागलपुर होते हुए बंगाल में प्रवेश करती हूं यहां तक पहुंचते–पहुंचते मैं खुद अपना अस्तित्व भूल जाती हूं। इस राह में मेरी अनेक छोटी बहनें मुझमें समा जाती है, पर सब मेरी ही तरह प्रदूषण और कचरा तथा मल–मूत्र का भार उठाए होती है। हर भारतवासी मुझे मां कहता है पूजा, आरती एवं अर्चना करता है पर मेरी घोर उपेक्षा करता है। यहां तक कि बंगाल में प्रवेश करते ही मुझे पुनः कई धारों और नामों में बाट दिया जाता है। मेरे मन में आज भी कई सवाल उभरते हैं। काश कोई इन सवालों के हल तलाशने की बात करता।

कौन रोकेगा गंगा में उद्योगों का जहर – औद्योगिक प्रदूषण और शहरों की गंदगी ने गंगा जल को खतरे में डाल दिया है। गंगा को पुनर्जीवन के लिए इस 'जहर' को रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए न सिर्फ सरकारों को सचेत होना होगा, बल्कि गंगा किनारे के उद्योगों को भी अपनी जिम्मेदारियां समझनी होगी।

औद्योगिक प्रदूषण – उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक और विषैले उत्प्रवाह को नदियों में सीधे जाने से रोकने के लिए उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र (ईटीपी) लगाने की व्यवस्था है। ईटीपी से शोधित होने के बाद ही औद्योगिक उत्प्रवाह को कारखाने से बाहर बहाया जा सकता है लेकिन मौजूदा स्थिति बिल्कुल उलट है। उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेश में 2.275 जल प्रदूषणकारी उद्योग चिह्नित किये है जिनमें से 515 स्वतः बंद हो चुके हैं। चल रहे 1760 उद्योगों में से 1685 में ईटीपी स्थापित है। इनमें भी 56 उद्योग ऐसे है जिनमें ईटीपी से शोधित हुआ उत्प्रवाह मानकों की कसौटी पर खरा नहीं उतरता जबकि 75 उद्योगों में ईटीपी स्थापित ही नहीं है। प्रदेश में 545 ऐसे अतिप्रदूषणकारी उद्योग चिन्हित किए गए है जिनका बीओडी (बायोकेमिकल आक्सीजन डिमांड) लोड 100 किलोग्राम प्रतिदिन से ज्यादा है या फिर जिनका उत्प्रवाह विषैला है। अतिप्रदूषणकारी उद्योगों से प्रभावित होने वाली नदियों में केवल गंगा ही नहीं है बल्कि यमुना, गोमती, रामगंगा, हिंडन, सरयू, काली ईस्ट, काली वेस्ट, घाघरा, राप्ती, सई, रिहंद और शारदा भी इससे प्रभावित है।

आज की तत्काल आवश्यकता है कि गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में तुरंत कार्य किया जाए। केवल सरकारें ही नहीं, जन–जन को

जागृत होना पड़ेगा कि गंगा में किसी प्रकार का कूड़ा–कचरा न डाला जाए, यहां तक शव दहन एवं पूजा सामग्री को भी न प्रवाहित किया जाए। तुरंत ही मल–मूत्र एवं सीवेज को गंगा में न डालने के उपाय तलाशें जाए और उन पर समयबद्ध कार्यवाही की जाए। तभी जाकर हम जीवन दायिनी एवं मोक्ष दायिनी गंगा को नया जीवन दे पाएंगे। आज भी गंगा हजारों लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। यदि हम इसे पावन स्वरूप दे सकें और इसके साथ बसे तीर्थ नगरों के विकास का एक अंग बना दें तो और भी भारी मात्रा में रोजगार मिल सकते हैं। गंगा में कानपुर से लेकर बंगाल के कोलकाता शहर तक जलमार्ग की असीम संभावनाएं विद्यमान है जिससे न केवल सस्ती माल ढुलाई का विकल्प मिलेगा, बल्कि यात्री

आवागमन भी सुचारू हो सकता है धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटन के साथ–साथ जल पर्यटन एवं तीर्थाटन के अनेक अवसर एवं विकल्प पैदा होंगे, जिससे करोड़–करोड़ भारतवासी लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

गंगा जैसी नदियों को बचाने के लिए याद रखनी होंगी पांच बातें : शहरी बस्तियां, बढ़ते औद्योगिक विकास और तेजी से बढ़ती पानी की मांग के चलते जल की गुणवत्ता की समस्याएं पैदा हो गयी है। इसकी सबसे ज्यादा मार नदियों खासकर गंगा नदी पर पड़ी है। भारत में नदियों के जल की गुणवता संबंधी 90 प्रतिशत समस्याएं अंधाधुंध तरीके से नदियों में गिर रहे शहरी सीवेज की वजह से है। शहरी बस्तियों से गिरने वाला कचरा आमतौर पर जैविक होता है और इससे जल की गुणवत्ता किस तरह प्रभावित होगी, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन औद्योगिक ईकाइयों से गिरने वाला गंदा पानी और खतरनाक रासयनिक तत्व की मात्रा शहरी सीवर के मुकाबले भले ही कम हो मगर नदियों की सेहत पर यह गहरा और गंभीर असर डालती है। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला कचरा और गंदा पानी इतना खतरनाक होता है कि आमतौर पर नदियां उसे अपने प्रवाह के रास्ते में साफ भी नहीं कर पातीं। यही गंगा के साथ हो रहा है। इसी तरह कृषि भी नदियों को बीमार करने के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार है क्योंकि किसान जिस तरह अपने खेतों में खाद और रासयनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करते है वे बारिश के साथ बहकर नदी क जल में मिल जाते हैं। इस तरह अगर हम देखें तो जल गुणवत्ता खराब करने के लिए मुख्यतौर पर पांच कारक जिम्मेदार है। इसमें सबसे प्रमुख नदियों में सीवेज का गिरना है। निसंदेह नदियों की गंदगी में इसकी भूमिका सबसे ज्यादा है। दूसरा प्रमुख कारक है। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला कचरा और दूषित जल। इसके अलावा नदियों के प्रवाह के क्षेत्र में बनी डंप साइट से निकलने वाले जहरीले तत्व भी प्रमुख वजह है। साल में कुछ महीनों में नदियों में पानी की कमी हो रही है। उस दौरान भी नदी को अपने जल को स्वच्छ रखने में दिक्कत होती है। कई बार बांध टूटने या भूस्खलन होने के चलते भी अचानक से नदी में अवसाद बढ़ जाता है। इस तरह नदियों खासकर गंगा नदी की सफाई और उसको संरक्षित रखने के लिए हमें पांच बातें याद रखनी होंगी। पहली, किसी भी सूरत में सीवेज नदी में नहीं गिरना चाहिए। यह सीवेज भले ही ट्रीट किया हो या न किया हो। अक्सर यह दलील दी जाती है कि सीवेज को ट्रीट करके नदी में डाला जा सकात हैं मैं समझता हूं यह गलत है। किसी भी स्थिति में सीवेज नदी में नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उद्योगों को अपने सीवेज को ट्रीट करके उसे औद्योगिक इस्तेमाल में लाना चाहिए। इसके साथ ही औद्योगिक इकाइयों को जीरो सीवेज की अवधारणा पर चलते हुए बिल्कुल सीवेज रिलीज नहीं करना चाहिए।

तीसरी बात हमारे किसानों को याद रखनी होगी कि उन्हें सिंचाई के ऐसे साधन इस्तेमाल करने होंगे जिनसे पानी की अधिक से अधिक बचत हो। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैविक कीटनाशकों के इस्तेमाल पर जोर देना होगा।

चौथी बात यह है कि नगरपालिकाओं को बायो–मेडिकल और खतरनाक व जहरीले तत्वों से समाहित कचरे को पहले तो पुनः उपयोग में लाने के लिए रिसाइकिल करना चाहिए। अगर इससे भी बात न बने तो उसे निर्धारित कचराघर में दबा देना चाहिए।

पांचवी बात यह है कि शहरों में कचरे को उठाने, ले जाने और निपटाने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हम इन बातों पर अमल करते हैं तो न सिर्फ हमारे गंगा बल्कि दूसरी नदियां भी फिर से अविरल और निर्मल हो जाएगी।

आसान नहीं नजर रखना : उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि अविष्कार उद्योगों में ईटीपी तो लगे है पर उन्हें चलाने का खर्च बचाने के लिए कारखाना मालिक अक्सर उनका इस्तेमाल नहीं करते और उत्प्रवाह को बिना शोधित किए चोरी–छिपे बहा देते है। प्रायः कारखाना मालिक उत्प्रवाह को साफ करने के लिए महंगे व प्रभावी रसायनों का उपयोग नहीं करते। बहुतेरे उद्योगों में स्थापित ईटीपी अब बेकार हो चुके है। स्टाफ की कमी के कारण बोर्ड को नियमों का उल्लघन करने वाले उद्योगों पर नजर रखने में मश्किलें आती हैं।

मौजूदा हालात खतरनाक : उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) गंगा नदी के जल में प्रदूषण की जांच करने के लिए प्रदेश में 13 स्थानों से पानी के नमूने लेता है। यह स्थान है। गढ़मुक्तेश्वर डाउनस्ट्रीम (गाजियाबाद), राजघाट डाउनस्ट्रीम नरौरा (बुलंदशहर), कन्नौज अपस्ट्रीम व डाउनस्ट्रीम, बिठूर (कानपुर), कानपुर अपस्ट्रीम व डाउनस्ट्रीम, डलमऊ (रायबरेली), इलाहबाद अपस्ट्रीम व डाउनस्ट्रीम और तारीघाट डाउनस्ट्रीम (गाजीपुर) है। इन स्थानों पर महीने महीने में एक बार पानी के नमूने लिये जाते हैं। बोर्ड की रिपोर्ट बताते हैं कि नमूनों में पानी में घुलित आक्सीजन, जीवाणुओं की संख्या और बायोकेमिकल आक्सीजन डिमांड (बीओडी) बेहद खतरनाक है।

काव्य सुधा

मासूमों की चाह

डा0 अमर सिंह सचान,
राजभाषा अधिकारी

मां! तुम अक्सर कहती हो मेरा बच्चा बब्बर शेर बनेगा;
यार–दोस्तों से हमदर्दी और दुश्मनों को ढेर करेगा।
मां! तुम कहती हो कि मैं वीर शिवाजी सा हूं हिम्मतवाला;
मैं राणा प्रताप सा योद्धा हूं मैं एक दिन बनूंगा सबका रखवाला।
क्या सच में मां मेरी, मैं ऐसा ही वीर बनूंगा;
जैसा कि तुम कहती हो वैसा ही क्या मैं धीर–गंभीर बनूंगा।
पर मां मुझको यकीन नहीं है कि दुनिया ऐसा होने देगी;
हर कदम–कदम पर अड़चन हैं, वह बीज न ऐसा बोने देगी।
अब देखो न मां कक्षा में शिक्षिका, कैसे मुझे पढ़ाती है;
होमवर्क के न होने पर, वह प्रायः मुर्गा मुझे बनाती है।
कहती है होमवर्क न होने पर, मैं चूहा तुम्हें बना दूंगी;
मेरे जादू में यह दम है कि मैं सांप यहां पर ला दूंगी।
मां शिक्षिका के इस जादू से, हम बच्चे सब डर जाते हैं;
पढ़ना–लिखना भूल–भालकर, दिन भर हम सब घबराते हैं।
लगता है चूहा न बन जाऊं या सांप कहीं न आ जाए;
न जाने हम में से किसके पास, बैठा कुंडली मार कर दिख जाए।
मां कभी–कभी हम मासूमों को वह छिपकली, काकरोंच से डराती हैं;
यह बात–बात में मिलती धमकी, हम सबको सचमुच कुंद बनाती है।
मां समझाओ इन टीचर को, हम नादान, मासूम, कोमल मन हैं;
उनकी हर छोटी–छोटी बातें हम मासूमों के लिए रखती बहुत वजन हैं
यदि हम डरे, सहमें, भीगी बिल्ली से दिन भर बैठेंगे कक्षा में;
कौन उबारेगा आशंका व भय से, कौन खड़ा होगा मेरी रक्षा में।
क्या ऐसी ही शिक्षा से हम रानी झांसी, भगत सिंह या आजाद बनेंगे;
क्या डर–डर कर जीनेवाले यूं वीर शिवाजी व प्रताप से होंगे।
बंद करो यह जादू–टोना और भूत–प्रेत के पोषण वाली शिक्षा;
ऊंच–नीच के भेदभाव को न लादो जाति धर्म की अपनी इच्छा।
हमको आजादी एवं मस्ती से पढ़ने दो, बचपन का आनंद उठाने दो;
शैशव के अल्हड़पन से जीते–जीते, मासूमों को आगे बढ़ जाने दो।
मत छीनो वात्सल्य–प्रेक की धारा, निष्कलंक–निष्पाप हमारा भोलापन;
कच्ची मिट्टी के घर से तन में, बसने दो हंसता निर्मल मन।

यहां सब गरीब है

पंकज चड्ढा

यहां सब गरीब हैं, जी हां सब गरीब हैं
सबका अपना–अपना नसीब है।
कोई धन का गरीब, कोई तन का गरीब।
कोई मन का गरीब, कोई फन का गरीब।
कोई भक्ति से गरीब, कोई शक्ति से गरीब।
कोई मुक्ति से गरीब, कोई युक्ति से गरीब।
कोई गरीब है अपने विचारों से,
कोई गरीब है अपने अधिकारों से।
कोई गरीब रहता है अंधियारों में,
वंचित होता खुशियों के उजियारों से।
यहां हर तरफ हर एक गरीब है,
यह बात सुनने में बहुत अजीब है।
कुछ लोग अमीरी का दिखावा करते हैं,
शायद वे यह बात नहीं हैं समझते।
धन की कमी नहीं है फिर भी वो,
रातों को सुख की नींद नहीं सोते।
यह बात कड़वी होकर भी सच है,
सुख की नींद पाना भी एक 'लक है
गरीबी तो केवल रोटी खोजता है
मगर अमीर सच्ची भूख खोजता है।
चाहे हो कोई गरीब पर यदि है संतुष्ट
तो वो अपना आपा नहीं खोते हैं।
होकर अमीर भी यदि नहीं हैं संतुष्टि,
तो वे हर वक्त हंसकर भी रोते हैं।

सेवा निवृत्ति

श्री आर.के. पांडे, महाप्रबंधक के साथ बैंक के अधिकारीगण

श्री आर.के. पांडे, महाप्रबंधक के साथ बैंक
के वरिष्ठतम अधिकारीगण

श्री एन. उदय कुमार, उप महाप्रबंधक का डॉ0 जी.एन.
सोमदेवे, सहायक महाप्रबंधक अभिवादन करते हुए

श्री एन. उदय कुमार, उप महाप्रबंधक के साथ
श्री सौरभ शील सहायक महाप्रबंधक तथा अन्य अधिकारीगण

पंजी. सं. दिल्ली इन/2001/6138

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 1988 में संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत एक शीर्षस्थ आवास विकास वित्त संस्थान के रूप में हुई थी। अपनी 25 वर्षों की यात्रा में, राष्ट्रीय आवास बैंक ने निम्न एवं मध्य आय वर्ग के परिवारों पर अपना ध्यान केन्द्रित रखने के साथ, जनसंख्या के सभी वर्गों की आवास आवश्यकताओं को संबोधित करने हेतु इस सेक्टर में क्षमता निर्माण पर कार्य किया है।

बैंक आवास वित्त बाजार में समग्र विस्तार एवं स्थिरता को प्रोत्साहित कर रहा है। राष्ट्रीय आवास बैंक की सहक्रियात्मक नीति सर्मथन में आवास वित्त उद्योग की गहनता एवं पहुंच को विस्तारित किया है।

अपनी विनियामक भूमिका को सम्पूरित करने हेतु राष्ट्रीय आवास बैंक पूरे देश भर के सभी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों सहित जनसंख्या के सभी वर्गों को सेवा देने हेतु अपने उपभोगता आधार को भी व्यापक बना रहा है। राष्ट्रीय आवास बैंक के ताजातरीन प्रयासों में सरसाई (भारत सरकार द्वारा समर्थित केन्द्रीय रजिस्ट्री) और एनएचबी रेजीडेक्स एक टिकाऊ बाजार अवसंरचना वृद्धि की दिशा में चरण हैं जो कि बाजार में पारदर्शिता एवं संतुलनीयता को बढ़ाएगें।

निम्न आय परिवारों की ऋण पात्रता को सुकर बनाने के क्रम में, बैंक ने आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के तत्वावधान में निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास की स्थापना की है।

अपने प्रोत्साहन अधिकार पत्र के एक हिस्से के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक रिवर्स मार्टगेज लोन (आरएमएल) उत्पाद के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के हितों को भी समर्थित कर रहा है।

राष्ट्रीय आवास बैंक आवास वित्त हेतु एशिया–प्रशान्त यूनियन की मेजबानी कर रहा है जो कि एशिया–प्रशान्त क्षेत्र में वित्तीय संस्थानों, सरकारी निकायों, केन्द्रीय बैंकों तथा सदस्य संस्थानों के बीच ज्ञान की साझेदारी एवं नेटवर्किंग हेतु एक वैश्विक मंच है।

राष्ट्रीय आवास बैंक पूरे देश भर में 13 कार्यालयों के माध्यम से राज्यों में अपनी स्थानीय उपस्थिति को विस्तारित कर रहा है।

रा.आ.बैंक के प्रयासों की विस्तृत जानकारी हेतु, कृपया वेबसाइट www.nhb.org.in को देखें।

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

नई दिल्ली (मुख्यालय) अहमदाबाद, बैंगलूरू, चैन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुम्बई, पटना, भोपाल, भुवनेश्वर, नागपुर, जयपुर।

मुद्रण तिथि : 31 जुलाई 2014, पृष्ठ सज्जा एवं प्रिंटिंग–जे.के. ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा० लि०, फोन–011 41012081